खण्ड-330, अंक-8
गुरूवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1900
(30 मार्च, 1978 ई0)

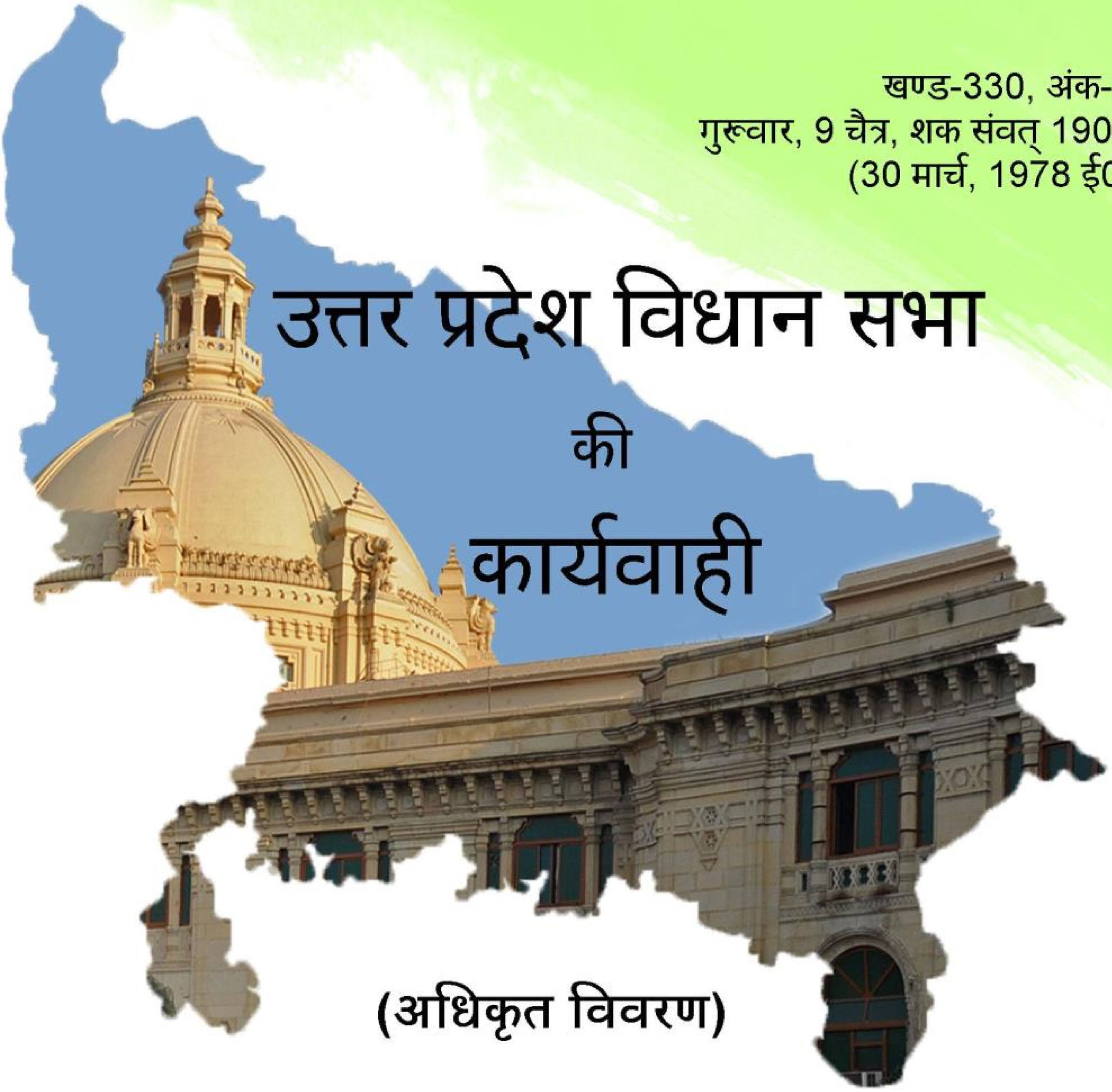

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	867
प्रश्नोत्तर	871
विविध विषय	927
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	928
प्रश्नों के उत्तरों में किसी मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	930
घाघरा नहर के निरन्तर कटाव से बस्ती जनपद की भूमि फैजाबाद की ओर बढ़ आने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	931
सीतापुर के बकवा झील तथा किवानी नदी में शारदा सहायक नहर का पानी छोड़ देने से महमूदाबाद, सीतापुर के किसानों की फसल नष्ट होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	931
महोबा व हमीरपुर कस्बों में नगरपालिकाओं की अव्यवस्था तथा रिक्शा व तांगा स्टैण्ड की समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	932
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उन्नाव की आटोमोबाइल इकाइयों का माल न खरीदने से आठ इकाइयों के बन्द होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	932
प्रदेश के शीत गृहों के मालिकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल करने से आलू उत्पादकों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	933
कानपुर में एक पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा एक हरिजन बालिका का अपहरण तथा एक अन्य हरिजन के घर में लूटपाट करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	934
अमेरिका के राजदूत श्री राबर्ट गोहीन तथा मुख्य मंत्री के बीच हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	936
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	937
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन देने के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाई गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	938
प्रदेश में हुई ओला वृष्टि के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य की तिथि निर्धारण ..	938
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति के कार्यकाल के वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	939

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री भीमा प्रसाद द्वारा दल बदलने के सम्बन्ध में सूचना	940
लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों तथा निकायों के निर्वाचन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	940
सम्भल, मुरादाबाद में हुये साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	941
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित)	945
उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 (पारित) ..	952
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 (पारित)	965
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन में विचारार्थ लेने पर आपत्ति	990
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	992
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित)	992
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1007
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1008
संभल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	1009
नत्थियां	1011

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 30 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसीदास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 346

अकबर हुसैन, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी श्री,
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकीनन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुद्धू राम, श्री
बृजबल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्र सेन, श्री
मुन्कदी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री

रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरुप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री

हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 30 मार्च, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट

**1—श्री कन्हई सिंह (जिला इटावा)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई और उसकी मुख्य संस्तुतियां क्या-क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये बिना ही शासन को सर्व-प्रथम 17 मई, 1977 को हस्तगत करा दिया था तथा अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया था। उसको अन्तिम रूप दिये जाने के लिये आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री छेदीलाल साथी से दिनांक 15-6-77 को पुनः उनसे यह कहा गया था कि वह रिपोर्ट को तरतीब देकर पूरा कर दें। उन्होंने इसी माह कुछ सामग्री सहित शासन को पुनः वह सामग्री लौटा दी है। अब शासन द्वारा परीक्षण कियाजाना है कि रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा नहीं और उसमें आयोग की संस्तुतियां क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही उचित एवं वांछनीय है।

श्री कन्हई सिंह—

क्या मंत्री जी सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राम सिंह—

रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है। उसके प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जाएगी। अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि जो सामग्री उन्होंने दी है, वह पूरी है या नहीं। उसको ठीक से देखने के बाद ही कोई निर्णय होगा।

श्री कन्हई सिंह—

यह रिपोर्ट, कब तक सदन के पटल पर रखी जाएगी। 15 दिन या 20 दिन, कोई समय निर्धारित हो जाना चाहिए ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, निश्चित समय निश्चित करना सम्भव नहीं है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि "मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं," ऐसे कहने वाले सदस्यों के लिए मैं अत्यन्त मजबूर हूं कि उनको अवसर नहीं दूंगा। माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हों, जिन पर मेरी नजर पड़ेगी, उनको मैं बुलाऊंगा। जो कहेंगे कि 'मुझे अवसर दें, एक मिनट का अवसर दें', उनको मैं अवसर नहीं दूंगा।

श्री सुखपाल पांण्डेय (जिला बस्ती)—

बात यह है कि दाहिने आंख पर माईक की छांह ज्यादा पड़ती है, इसलिए आपकी नजर इधर नहीं पड़ पाती है।

श्री अध्यक्ष—

जो आप बार-बार कहते हैं कि—एक प्रश्न करना चाहता हूं, इस तरह से अगर 423 सदस्य कहने लगें, तो सदन की कार्यवाही चलना सम्भव नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांण्डेय—

आप कोई सुनिश्चित व्यवस्था करें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साथी कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस क्या थे, जिन पर उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस कमीशन के विचाराधीन जो विषय थे, वे इस प्रकार थे:

(1) ऐसे वर्गों की सूची तैयार करना जो शैक्षिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से अत्यधिक पिछड़े हों और यह भी पता लगाना कि ऐसे प्रत्येक वर्ग की राज्य में कितनी जनसंख्या है। यह यों बहुत लम्बा है, मैं मुख्य-मुख्य पढ़े देता हूं, बाकी छोड़े देता हूं।

(2) यह संस्तुति करना कि प्रस्तर (1) में वर्णित वर्ग को उनके पिछड़ेपन को देखते हुये क्या-क्या सुविधायें शिक्षा के प्रसार हेतु, शासन द्वारा दी जानी चाहिये।

(3) यह संस्तुति करना कि इन वर्गों का सामाजिक स्तर ऊंचा करने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिये।

(4) उक्त संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आर्थिक पहलुओं पर शासन को अपनी रिपोर्ट देना।

(5) प्रस्तर (1) में वर्णित वर्गों के लिये सेवा पदों एवं प्रशिक्षण आदि में आरक्षण देने के संबंध में संस्तुति देना।

(6) संविधान के अनुच्छेद 15 (5), 16 (4) तथा 46 के अन्तर्गत इन वर्गों को शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये, संस्तुति देना।

(7) प्रस्तर (1) में वर्णित वर्गों के पैत्रिक धंधों में क्या सुविधाएं इन धन्धों के संरक्षण एवं विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए, संस्तुति देना।

(8) उपर्युक्त सभी सुविधाएं इन वर्गों को कितनी अवधि के लिए शासन द्वारा दी जानी चाहिए, संस्तुति देना।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट श्री छेदीलाल साथी ने दिया 17-5-77 को वह अन्तरिम नहीं थी, बल्कि उत्तर में जो दिया गया है कि 15-6-77 को उनसे तरतीब बनाने के लिए कहा गया, उस अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप करने के लिए नहीं कहा गया, क्या यह बात सही है ?

श्री राम सिंह---

इस आयोग का कार्यकाल 31 मई, 1977 तक था। 17 मई, 1977 को भूतपूर्व अध्यक्ष ने शासन को पत्र लिखा कि चूंकि विधान सभा के चुनाव सन्निकट हैं, इसलिए मजबूर हैं, वह पूरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सामग्री जो थी, वह प्रस्तुत कर दी और त्याग-पत्र दे दिया। इसको देखने के पश्चात मालूम हुआ कि जो बची हुई सामग्री थी वह उसमें सम्मिलित नहीं की गयी थी। इसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया जो बची हुई सामग्री है, वह चुनाव के पश्चात् अवैतनिक रूप में कार्य करके पूरी कर देंगे।

श्री सुखपाल पांण्डेय---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो रिपोर्ट छेदीलाल साथी ने दी है, वह अपूर्ण है, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी जाति के लोग है, जो आरक्षण में नहीं आते हैं, उनकी आय आरक्षित जातियों से कम है, उनको शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह---

रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् मालूम होगा कि कौन-कौन जातियां शामिल करने की संस्तुति की है और कौन-कौन जातियां नहीं हैं ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जो छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट थी, वह अपूर्ण थी, उसको पूरा करने के लिये आपने दिया है। तो जब वह पूरी होकर आ जायगी तो क्या स्पष्ट आश्वासन देंगे कि उसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो छेदीलाल साथी ने कहा है कि हम उसको मुकम्मिल बना कर देंगे, कब तक बनाने के लिये उन्होंने कहा है ?

श्री रामसिंह---

मैंने उत्तर में कहा है कि अन्तिम रूप से पूरी सामग्री अपने दृष्टिकोण से दे दी है, इसी महीने में, जो हमने कहा था, वह बना करके उन्होंने दे दिया। शासन को देखना है कि रिपोर्ट पूरी है या नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि पिछड़े वर्ग में कौन-कौन जातियां आती हैं और उनकी कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है ?

श्री रामसिंह---

मान्यवर, अब तक पिछड़ी जातियों की 58 जातियां आती हैं, जिनमें 21 मुसलमान और 37 हिन्दू जातियां ह। लेकिन जो आयोग गठित हुआ था सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से गठित हुआ था, जो बैकवर्ड में भी, बैकवर्ड है, उनके लिए। तो रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अत्यधिक पिछड़ी हुई जातियां कौन सी हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

कल मंत्री जी ने अपने भाषण में

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न करें।

श्री रघुबर दयाल शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सच है कि आयोग के अध्यक्ष ने 17 मई, 1977 को यह पत्र में लिखा है कि वह अपनी पूरी रिपोर्ट समस्त संस्तुतियों सहित आपको अग्रसारित कर रहा है और माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि 17 मई को जो सामग्री प्रस्तुत की गयी थी, उसके सम्बन्ध में शासन की ओर से कहा गया कि यह अधूरी है और उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया कि वह अधूरी है और उन्होंने अब उसे पूरा करने के बाद हमें लौटा दी है।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आयोग आर्थिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट दे रहा है या जातिगत आधार पर ?

श्री राम सिंह--

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और जातिगत भी है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि

(श्रीमती रामरति देवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

रामरति जी, मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा। जो भी सदस्य इस तरह से करेंगे मैं अवसर नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरह से दूसरे सदस्यों के साथ अन्याय होता है। सभी सदस्य समान हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले कांग्रेसी शासन ने इस आयोग की संस्तुतियों को मानकर 15 प्रतिशत का आरक्षण किये जाने की घोषणा की थी, क्या यह सच है ?

श्री राम सिंह--

इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। मेरी जानकारी है कि इस आयोग की रिपोर्ट पर उस सरकार ने कुछ नहीं किया था। इस आयोग में यह जरूर किया जा रहा है कि अत्यधिक पिछड़े वर्ग कौन-कौन से हैं।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया था, उसके जवाब में आयोग ने जो उत्तर दिया है क्या माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जिसकी हालत आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से बहुत गिरी हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस जाति को प्रथम नम्बर पर रखने की कृपा करेंगे क्योंकि इस जाति के लोग हरिजनों से भी ज्यादा पीछे हुए हैं, किस आधार से आपने इस तरह का कोई सुझाव दिया है ?

श्री राम सिंह—

जहां तक अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रश्न है, वह तो केन्द्रीय सरकार का विषय है। पिछड़े वर्ग में शामिल राज्य सरकार करती है।

श्री नारायण सिंह भौसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सर्वाधिक पिछड़े वर्ग की कोई सूची बनी है ? क्या इस तरह का कोई वर्गीकरण किया गया है कि किस श्रेणी में कौन लोग आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछड़ेपन का आधार क्या है आर्थिक है अथवा जातिगत ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं। आर्थिक है, सामाजिक है और शैक्षिक भी है।

डिप्लोमा फार्मेटिसिस्ट एसोसिएशन का क्रमिक अनशन एवं मांगें

**2—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश के सदस्य लगभग तीन सप्ताह से विधान भवन के सामने क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और शासन को उनकी मांगें स्वीकारने में क्या कठिनाई है ?

स्वास्थ मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हां। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश की मांगों की सूची संलग्न है। मांगे शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1011 पर)

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो वे कौन सी हैं और कब तक कर ली जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि उनकी मांगे सरकार के विचाराधीन हैं और अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, उनका प्रश्न है कि आपने उनकी कुछ मांगें स्वीकार की हैं क्या ?

श्री कल्याण सिंह—

अभी सभी मांगें विचाराधीन हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उनकी मांगों को पूरा कर दिया जायगा और कब तक ? या सरकार द्वारा विचार ही समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह---

2---2 1/2 महीने के अन्दर ही अन्दर मांगों पर अंतिम निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें पूछा यह गया था कि "उनकी मांगें क्या हैं और शासन को उनकी मांगें स्वीकार करने में क्या कठिनाई है" । क्या सरकार न उसमें से कुछ को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र जी, आप इतने पुराने सदस्य है । उन्होंने स्वयं कहा है कि जो कुछ भी मांगें हैं, उन सब पर विचार कर रहे हैं और 2-2 1/2 महीने के अन्दर ही निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मांगें तो बहुत होती है, कुछ मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होता है....

श्री अध्यक्ष---

कारण क्या है, ये ही वे सब विचार कर रहे हैं ।

श्री ऊदल---

मांगों में से मुख्य-मुख्य 2-3 मांगें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इसके लिए आपको लाबी में उत्तर देखना चाहिए ।

श्री कल्याण सिंह---

ये इस प्रकार हैं---

(1) वेतनमान में वृद्धि की जाय,

(2) पदोन्नति के रास्ते प्रशस्त किये जायें,

(3) सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया जाय,

(4) अपरेन्टिस काल में 250 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाय,

(5) डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं की कमियों को पूरा करके स्थायी मान्यता तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाये,

(6) फार्मेसिस्टों का पंजीकरण जीवन में केवल एक बार किया जाये,

(7) जिला स्तर हास्पिटल फार्मेसी की स्थापना की जाय,

(8) डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम में समानता लाकर साढ़े तीन वर्ष के समय में पूरा किया जाय,

(9) ई0एस0आई0 तथा लेप्रोसी अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्टों को डाक्टरों की भांति भत्ता दिया जाय तथा चिकित्सालयों के वार्डों एवं स्टोरों में दवाओं का वितरण प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों द्वारा कराया जाय,

(10) पंजीकृत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को कन्डेन्स कोर्स कराकर प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों के लिए स्वीकृत वेतनमान दिया जाय तथा फार्मेसी एमेंडमेंट ऐक्ट, 1976 को लागू न किया जाय,

(11) चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मेसिस्टों को आवास की सुविधा दी जाय अन्यथा उन्हें यात्रा भत्ता तथा आवास भत्ता दिया जाय,

(12) डाक्टरों के समान फार्मेसिस्टों को भी नान प्रेक्टिसिंग भत्ता दिया जाय तथा जहां पर चिकित्सक न हों, वहां पर फार्मेसिस्टों को 50 प्रतिशत चार्ज भत्ता दिया जाय ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मांगें शासन के विचाराधीन कब से है और कब-तक उनके विचाराधीन रहेंगी ?

श्री कल्याण सिंह---

वैसे तो यह मांगे वर्ष 1976 से चली आ रही है लेकिन उनके ऊपर सक्रियरूप से विचार नहीं किया गया । वर्तमान सरकार ने सक्रिय रूप से विचार करना आरम्भ किया है और एक-एक मांग पर विचार चल रहा है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एमरजेन्सी को देखते हुए कि कम्पाउन्डर्स की कमी हो रही थी, तो किस सन् में और कितनी संख्या में फार्मेसिस्टों की भर्ती की गयी थी?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन मांगों पर 2 या 2 1/2 महीनों में निर्णय हो जायगा, तो क्या वे आश्वासन देकर इस अनशन को समाप्त करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं । वह इससे ज्यादा और क्या आश्वासन देंगे---दो-ढाई महीने का समय लगेगा । उत्तर तो आप मंत्री जी से वह नहीं ले सकते, जो आप चाहते हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देंगे कि यह जो सिटिंग चल रही है, इसके उठने से पहले-पहले इस विवाद को निपटा देंगे और तय कर देंगे ?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, हमारा प्रयास तो होगा कि शीघ्र से शीघ्र निपटारा हो जाय । फाइनेंस का क्वेश्चन इसमें इन्वाल्व है इसलिए हमने दो-ढाई महीने कहा है ।

श्री अध्यक्ष---

करीब-करीब सवा महीने का टाइम है, उचित होगा कि सवा महीने तक आप निर्णय कर लें । यह तो विभागीय मामला है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, हमारा अपना प्रयास यह है कि चूंकि मामला वित से संबंधित हैं, इसलिए दो-ढाई महीने की बात कहो। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि शीघ्र यह मामला समाप्त हो।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि प्रदेश में फार्मेसिस्टों का बहुत आभव है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस मामले पर निर्णय करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

अब इसका तो उत्तर दे दिया, बार-बार कहने से क्या फायदा।

श्री गुलाब सेहरा---

मान्यवर, राजकीय अयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय के अन्दर जो फार्मेसिस्ट काम कर रहे हैं, उनमें जो अप्रशिक्षित हैं, उनको रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए शासन ने अपनी स्वीकृति दे दी है ?

श्री कल्याण सिंह---

इसको देखकर बता पाऊंगा, चूंकि इसका संबंध उससे नहीं था।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)---

मान्यवर, क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि 69 के फार्मेसिस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत जिन फार्मेसिस्टों को योग्य घोषित किया गया था, क्या उसकी सूची उनके पास है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो नया प्रश्न आप कर रहे हैं।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विभाग के अन्तर्गत जी डाक्टरों की मांगे हैं, और उनकी मांगों की जो प्राय: उपेक्षा की जाती है, क्या माननीय मंत्री जी उनकी मांगों को मानने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। उन्होंने कहा कि मांगों पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कुछ मांगों पर निष्क्रिय विचार भी होता है। तो सक्रिय और निष्क्रिय विचार क्या है, इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

बेहतर होगा कि इस पर आप मंत्री जी से जाकर विचार विमर्श कर लें।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, मै यह जानना चाहता हूं कि तीन सप्ताह से जो क्रमिक अनशन चल रहा है, उसमें कोई अधिकारी इन अनशनकारियों से मिला था या मंत्रीजी मिले थे और उन्होंने अब-तक जो इस

सदन के अलावा, जो आज आश्वासन दिया है, इसके अलावा और पहले कोई आश्वासन दिया था? क्या यह बात सही है कि कुछ मांगें, जो 12 की है, जिसके संबंध में गुलाब सेहरा ने चर्चा किया, वह कुछ तो यहां राजकीय औषधालयों में जो कार्य कर रहे हैं, उनको यह सुविधा दी जा रही है, अन्य लोगों को नहीं दी जा रही हैं, यह भी इनकी शिकायत है तो उक्त मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

इनके प्रश्न के पहले अंश का उत्तर यह है कि इन फार्मेसिस्टों में से कुछ लोग मुझसे कई बार मिले हैं,मैंने हर बार कहा है कि शासन इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। इन दिनों में भी, मैंने उनको अवगत कराया इस बात से कि आन्दोलन करने को, क्रमिक अनशन करने की आवश्यकता नहीं, शासन सक्रियरूप से विचार कर रहा है और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है।

स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग

**3—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराने की औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं और निकट भविष्य में ही इनके सामान्य निर्वाचन कराये जायेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टरूप से बताने की कृपा करेंगे कि ये औपचारिकतायें कब तक पूरी हो जायेंगी और सामान्य निर्वाचन इन स्थानीय निकायों के कब तक संपन्न हो जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

औपचारिकताओं से मतलब यह है कि 604 स्थानीय निकाय, 5 नगरमहापालिकाएं और 177 नगरपालिकाएं, 383 नागरिक क्षेत्र इससे संबंधित हैं और 39 अधिसूचित क्षेत्र हैं। तो जो चुनाव लोक सभा के और विधान सभा के होते हैं उनमें जो योग्यता होती है किसी उम्मीदवार के खड़े होने की, उसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय में एक आवश्यकता होती है कि जितने भी प्रत्याशी हों, उन पर जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स होते हैं, उनकी अदायगी न हो, तो ऐसी कुछ औपचारिकताएं भी पूरी करायी जा रही हैं और बाकी वही हैं, जो चुनाव सम्बन्धी है।

दूसरा जो प्रश्न का विषय है, तो उसके संबंध में आज ही कार्य-वृत्त में एक संशोधन विधेयक है 14 नम्बर पर और 15 नम्बर पर, उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि 31 मार्च, 1978 के बजाय 31 दिसम्बर, 1978 तक संशोधन कर दिया जाय, तो निश्चित रूप से इस वर्ष के समाप्त होते-होते चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप—

स्वायत्त शासन मंत्री से जानना चाहूंगा कि ये औपचारिकताएं—करों का बकाया, इसके आंकड़े जुटाने में शायद दो सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगता है और मैं समझता हूं कि ये स्थानीय निकाय, ये सूची बना चुके हैं इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न का

अंश है कि जो स्थानीय निकाय आज अधिकारियों के हाथ में हैं क्या उनका संचालन गैर-सरकारी व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने का शासन का विचार है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो करों के बकाया के संबंध में औपचारिकताएं हैं, ऐसा नहीं हैं कि उनके पूरा करने में 2 सप्ताह की आवश्यकता होती है, बल्कि उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें कम से कम 45 से 60 दिन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो सुझाव दिया गया है, उस पर निश्चिय रूप में विचार कराया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें, जब वह तरमीम करायी गयी कि 3-4 महीने बीत चुके हैं और वित्तीय वर्ष, कल ही समाप्त होने वाला है, उसके अनुसार भी नयी सूची तैयार करानी पड़ेगी।

(श्री कृष्ण स्वरूप के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य से कहूंगा कि दो प्रश्न तो आप कर चुके।

श्री कृष्ण स्वरूप--

उसी प्रश्न का एक अंश रह गया। मैंने पूछा था कि जब तक चुनाव संभव न हो, तो तब तक जो वहां का प्रशासन है, वह जिलाधिकारियों के हाथ से लेकर किन्हीं जनप्रतिनिधियों, गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को देने का कोई मार्ग निकालेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

वर्तमान शासन चुनाव अति शीघ्र कराना चाहता है इसलिये स्थानीय निकायों में गैर-निर्वाचित प्रतिनिधियों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार का भी प्रश्न है, पहले प्रश्नकर्ता को अवसर मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराते समय जो औपचारिकताएं पूरी करायी जा रही हैं, उसमें प्रयास करेंगे कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कराई जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं स्वयं इस राय का हूं जैसा कि तारकुंडे समिति की संस्तुति है, उसको कार्यान्वित किया जाय और लगभग 2 महीने पूर्व इस संबंध में मैंने अपनी राय व्यक्त करके, मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी है और उसमें सलाह दी है कि जैसा कि बिहार में लागू है और गुजरात में जो स्थिति है कि स्थानीय निकायों के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है और मध्य प्रदेश ने भी यही किया है तो वैसा ही यहां कर दिया जाय। अब यह प्रश्न विचाराधीन है।

(श्री शारदा प्रसाद जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक बात और स्पष्ट कर दूं यदि आयु इस चुनाव में 18 वर्ष की कर देंगे तो फिर चुनाव जल्दी कराना सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि इलेक्टोरल रोल फिर से बनवाने पड़ेंगे जिसमें समय लगेगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

1971 में जब चुनाव हुये थे और उस समय जो नियम आदि बने थे और जो टैक्स आदि की सूची बनी थी उसमें क्या अब कोई परिवर्तन हो गया है ? क्या उस समय भी ऐसा ही था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उस समय भी ऐसा ही था ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु कर देंगे तो चुनाव में देर लगेगी, तो क्या यह निकट भविष्य दूर भविष्य में बदल जायेगा ?

(हंसी)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

स्थानीय निकायों के चुनाव में जो असेम्बली चुनाव की सूची होती है उसी को स्वीकार कर लिया जाता है, उसमें आयु 21 वर्ष होती है। अब यदि शासन यह निर्णय लेता है कि आयु 18 वर्ष कर दी जाये, तो पूरी सूची फिर से बनवाना पड़ेगी और उसमें समय लगेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है, मैं इसे मान्य करार नहीं देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

पिछले बजट के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव दिसम्बर के अन्त तक करा दिये जायेंगे और यह आश्वासन बार-बार दिया गया था किन्तु आज तक चुनाव टलते जा रहे हैं और आगे भी टलने की सम्भावना है, तो क्या मंत्री जी कोई स्पष्ट आश्वासन इस संबंध में देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

पहले जब बजट सत्र हुआ था, तो मैंने यही कहा था कि जहां तक मुझे स्मरण है, चुनाव निकट भविष्य में शीघ्र ही कराये जायेंगे।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

क्या इस चुनाव में मतदाताओं की आयु 18 वर्ष करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

औपचारिकतायें पूरी करने के लिये जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स आदि की सूचियां बनवायी जा रही है, तो क्या आप ऐसा उसकी जगह नहीं कर सकते हैं कि जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करे,उससे आप "नो ड्यूज" सार्टिफिकेट मांग लिया करें? इससे चुनाव जल्दी हो जायेंगे?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, कोई कठिनाई नहीं है । मैंने निवेदन किया है कि यह जो बिल प्रस्तुत है, उसमें इस बात की मांग की गयी है कि 31 दिसम्बर, 78 के पूर्व चुनाव करा दिये जायेंगे। जहां तक मुझे आशा है, चुनाव जितनी जल्दी आप लोग चाहते हैं उतनी जल्दी करा दिये जायेंगे ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने बतलाया कि मताधिकार की आयु घटाने के संबंध में 2 माह पूर्व मैंने अपनी राय मुख्य मंत्री को भेजी है। तो सरकार इस विषय में कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस संबंध में, यह विषय मंत्रि परिषद् के समक्ष जायगा। लेकिन निर्णय कब-तक सरकार ले लेगी इसके लिये मैं कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नगरपालिका सीतापुर के गैंगमैनों तथा मेट के स्थायीकरण की मांग

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर द्वारा गैंगमैनों तथा मेटों को स्थायी करने के बारे में कोई पत्र जून, 76 में मिला था ? यदि हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। इस विषय में उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट को निदेशित कर दिया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट गुणावगुण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी को, उनके स्थायी करने के संबंध में निर्देश कब जारी किये गये और उसके आधार पर क्या जिलाधिकारी ने उनको स्थायी कर दिया ? क्योंकि वह 12 साल से काम कर रहे हैं और मेरा 7 महीने पहले का प्रश्न है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार जी के प्रश्न पर जब शासन को इस बात की जानकारी हुई, तो माननीय राजेन्द्र कुमार जी के पत्र पर आख्या मांगी गयी। उस पर आदेश दिया गया कि इनको स्थायी किया जाय। तो इस संबंध में निर्णय जो है वह जिला मैजिस्ट्रेट करेंगे। इसमें 12 गैंगमैन हैं और एक मेट है। इस संबंध में कार्यवाही पूरी हो गयी है जहां तक मैं समझता हूं कि 15 मई, 1978 के अन्दर जो भी आदेश हैं, वह पारित हो जायेंगे।

खीरी जिले में नसबन्दी के फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच

*2—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग जनपद खीरी में आपात स्थिति के दौरान किए गये नसबन्दी के फर्जी प्रमाण-पत्र की जांच संयुक्त संचालक ने 1977 में की थी ? यदि हां, तो नसबन्दी के कितने फर्जी प्रमाण-पत्र पाए और उनमें किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों की साजिश थी ? शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

संयुक्त निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपनी जांच रिपोर्ट में 19 फर्जी प्रमाण-पत्र पाये जाने का उल्लेख किया है। इसमें निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये:—

1—चिकित्साधिकारी	6
2—लिपिक	2
3—प्रसार शिक्षक	3
4—पुरुष सामाजिक कार्यकर्त्ता	1
5—परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	1
6—ए0 एन0 एम0	1

फर्जी प्रमाण-पत्र के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले के स्वास्थ्य सहायकों (परिवार कल्याण) की सेवा समाप्ति एवं पुर्ननियुक्ति

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि अक्तूबर, 76 में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने तीस स्वास्थ्य सहायकों (परिवार नियोजन) को माह अगस्त की लक्ष्यपूर्ति की त्रुटि के आधार पर सेवा-मुक्त कर दिया था जबकि सेवा-मुक्त स्वास्थ्य सहायकों ने मास सितम्बर, अक्तूबर, 76 के पूरे वर्ष के लक्ष्य का 60 प्रतिशत कार्य कर लिया था ? यदि हां, तो उक्त सहायकों को सेवा में लेने के सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह—

माह अगस्त, 1976 तक की लक्ष्य पूर्ति की त्रुटि के आधार पर केवल 20 स्वास्थ्य सहायकों को माह अक्तूबर, 76 में सेवा-समाप्ति की नोटिस दी गयी थी। इन स्वास्थ्य सहायकों में से केवल तीन स्वास्थ्य सहायकों ने माह अक्तूबर, 76 तक पूरे वर्ष के लक्ष्य का 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्राप्त कर लिया था। इन सभी 20 स्वास्थ्य सहायकों को पुन: सेवा में वापस ले लिया गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, इसमें स्पष्ट है कि आपातकाल के दौरान जो स्वास्थ्य सहायक थे परिवार कल्याण विभाग के, उनको माह अगस्त की लक्ष्यपूर्ति की त्रुटि के आधार पर सेवायें समाप्त कर दी गयीं। मान्यवर, जो यह लक्ष्य पूर्ति का वर्ष है यह सितम्बर, अक्तूबर तक पूरा होता है। तो सितम्बर में जब उन्होंने 60 प्रतिशत के ऊपर 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया था, तो सेवा समाप्त कर देना पूर्ण रूप से अवैधानिक हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो तर्क दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं मूल भूत बात पूछ रहा हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उनकी सेवायें समाप्त करके, फिर शासन ने उन्हें नियुक्त किया है। तो उनकी पुर्ननियुक्ति की गयी। उनका 10—12 वर्ष का सेवाकाल है और उसको समाप्त कर दिया गया है। जबकि इस सेवा काल को निरंतर किया जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

क्या सरकार उनकी सेवाओं की निरन्तरता कायम रखेगी ? यह आप पूछिये।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार यह सब नौकरी में बहाल कर दिये गये हैं वेतन सहित। इसलिये इनकी कान्टीन्यूटी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न स्पष्ट है, इसलिये उत्तर स्पष्ट होना चाहिये कि यदि है भी तो उनकी निरन्तरता तोड़ी नहीं जायेगी।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं कि तोड़ी नहीं गयी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, आपात स्थिति में जिस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके इन स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें समाप्त की, जबकि लक्ष्य 80 प्रतिशत पूरा किया था, उनके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही किया या क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य पूरा किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि श्री टी० पी० पाण्डे ने केवल 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया था और बाकी ने 70, 60, 50, 25 प्रतिशत तक लक्ष्य पूरा किया था और जो कि 80 प्रतिशत से कम ही रहा।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि जिन अधिकारियों ने सेवायें समाप्त कीं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं जानकर इस प्रकरण पर प्रकाश नहीं डालना चाहता था। वर्ष 1976 में जिस प्रकार इस कार्यक्रम को चलाया गया था, उस समय लक्ष्य पूर्ति कराने हेतु क्या कदम उठाने पड़े होंगे, उसके लिये अधिकारी भी मजबूर रहे होंगे। इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन नोटिस जिनको दी गयी थी उनको ले लिया गया है और उनकी कान्टीन्यूटी बनी है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है और आज की मौजूदा सरकार ने मान लिया है कि आपातकालीन स्थिति में जिन्होंने ज्यादतियां की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो, आप कोई कार्यवाही उनके खिलाफ करेंगे कि नहीं जिन्होंने लोगों की सेवायें समाप्त की थीं ? आप इस नीति को बतायें ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इस दृष्टिकोण से मैं पुनः जांच करा लूंगा। ऐसा होगा, तो अवश्य कार्यवाही करूंगा।

प्रदेश के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का नान प्रैक्टिसिंग वेतन व भत्ता

*4--श्री नरेश चन्द्र (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 6501/(सात)-5-247-1972, तारीख 9-1-74 के अनुसार प्रदेश में स्थापित 27 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कुछ चिकित्सा अधिकारियों को नान-प्रैक्टिसिंग वेतन व भत्ता दिया जा रहा है और कुछ को नहीं, यदि हां, तो ऐसी असमानता क्यों ? जिन चिकित्सा अधिकारियों को नान-प्रैक्टिसिंग वेतन व भत्ता नहीं दिया जा रहा है उनकी संख्या क्या है और वह कहां-कहां के चिकित्सा अधिकारी हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । जिला स्तर के प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण केवल निम्नलिखित 5 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को नान-प्रैक्टिसिंग वेतन/भत्ता नहीं दिया गया । इस असमानता को दूर करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1--रसिन	बांदा
2--अल्लागंज	शाहजहांपुर
3--शिवथाना	सीतापुर
4--नगराम	लखनऊ
5--इटौंजा	लखनऊ

राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध संसद सदस्यों, विधायकों एवं केन्द्रीय मंत्रियों का आरोप-पत्र

*5--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उ0 प्र0 में व्याप्त भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची, दुर्व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक किन-किन विधायकों, संसद सदस्यों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के आरोप-पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची, दुर्व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक निम्नांकित विधायकों, संसद सदस्यों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के आरोप-पत्र प्राप्त हुए हैं:--

(1) श्री श्याम लाल अहरवार, विधायक,
(2) श्री दीप नारायण पाण्डे, विधायक,
(3) श्री रामपति, विधायक,
(4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार,
(5) श्री मनोहर लाल, संसद सदस्य,
(6) श्री श्रीराम द्विवेदी, विधायक,

(7) सर्वश्री अब्दुल हाफिज एवं राम चन्द्र आजाद, विधायक,
(8) श्री मन्ना लाल, विधायक,
(9) श्री बाबू राम, विधायक,
(10) श्रीमती शशि प्रभा सिंह, विधायक।

उपरोक्त प्रथम चार आरोप-पत्रों पर सम्बन्धित मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को जांच के आदेश दिये जा चुके हैं तथा आरोप-पत्र में उल्लिखित सर्वश्री जगमोहन लाल, रईस दूल्हा एवं के0 एस0 कोहली, अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण कर दिये गये हैं।

पांचवें आरोप-पत्र पर महा-प्रबन्धक, केसा, कानपुर ने जांच की परन्तु आरोप सत्यापित नहीं हो पाये।

छठें आरोप-पत्र पर प्रारम्भिक जांच के बाद परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा पुनः छान-बीन की जा रही है।

7वें से 9वें आरोप-पत्रों पर परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की गई है और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार 10वें आरोप-पत्र पर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) द्वारा जांच की गई है और दोषी पाये गये कर्मचारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री राम अधार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि हम लोगों को कोई उत्तर लिखित रूप से नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह मामला अप्रैल, 1977 से लेकर अगस्त तक के जो हैं, वह श्री बी0 एन0 बालिगा, भूतपूर्व अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् के काले कारनामों का प्रतीक है। इसी तरह से कई मामले सदन में आये, लेकिन उनकी जांच नहीं हुयी। आज भी तथ्यों को छिपाया जा रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बी0 एन0 बालिगा, विद्युत् परिषद् के थे, जो होलसोल उसके जिम्मेदार थे, क्या उनके चलते हुए सारे गबन और भ्रष्टाचार हुये, तो उसकी आज तक जांच क्यों नहीं करायी गयी? क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई कमेटी इस तरह की बिठायेंगे जो इन सारे तथ्यों की जांच कर सकें?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पांचवें प्रश्न के बजाय छठें प्रश्न के बारे में चर्चा कर दी। पांचवें प्रश्न के संबंध में जिन माननीय सदस्यों और संसद सदस्यों के आरोप-पत्र प्राप्त हुए थे उसमें.....

श्री अध्यक्ष—

उचित होगा कि आप छठें प्रश्न का उत्तर भी इसी के साथ दे दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, उसमें कठिनाई होगी। इसलिये पहले पांचवें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

मान्यवर, पहला आरोप श्री झाम लाल अहेरवार, विधायक का है जो एस0 डी0 ओ0 और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से कंसर्न्ड हैं। इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया है। उसमें जो घटना घटी, उसकी जांच हो रही है।

दूसरा प्रश्न श्री दीप नारायण पाण्डेय, विधायक और रामपति विधायक का जो श्री रियासत अली, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, गोंडा के खिलाफ है कि उन्होंने यूनियन विरोधी नीति अपनायी। श्री रियासत अली का ट्रांसफर कर दिया गया है और मामले में जांच की जा रही है।

अगला प्रश्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का है। उसमें एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के खिलाफ शिकायत है, जो कि अलीगढ़ अण्डर टेकिंग के रिसीवर थे। तथ्यों में यह मालूम हुआ कि यह अण्डरटेकिंग उक्त इन्जीनियर के अण्डर नहीं थी—वह केवल उसका रिसीवर मात्र था। तथ्यों से यह मालूम हुआ कि एक श्री जैन जो इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग के प्रोप्राइटर हैं ने उक्त इन्जीनियर के खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने मोटर बेच दी और सामान बेच दिया। लेकिन जिनके चार्ज में अण्डरटेकिंग थी, उन्होंने कोई फाइन्डिंग नहीं दी। तो यह मामला अदालत में दाखिल कर दिया गया है। यह मैटर सब-जुडिस है।

इसी तरह से माननीय मनोहर लाल, संसद सदस्य ने जो शिकायत की थी, वह श्री आर0 पी0 प्रसाद, मेडिकल आफिसर, 'केसा' के खिलाफ थी कि उनके द्वारा कर्मचारियों की दवा देने में लापरवाही बरती जा रही है। मान्यवर, इसमें तथ्य यह है कि श्री प्रसाद अपने खर्चे पर इंगलैण्ड चले गये थे। तीन महीने बाद इंगलैण्ड से लौटे हैं और काम कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार श्री अब्दुल हाफिज और राम चन्द्र आजाद के प्रश्न थे और उनकी शिकायत थी कि·····

श्री राम अधार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। यह तो सीधा सवाल है। जिन विधायकों ने हस्ताक्षर करक दिया था, उसमें मेरा भी हस्ताक्षर है, उसकी कापी भी है, जिसमें दिया गया है कि विद्युत् परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बी0 एन0 बालिगा पर कई लाख के गबन का आरोप है कि उन्होंने गलत टेण्डर दिये। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्री जी के माध्यम से भी गया है। तो जो श्री बालिगा के खिलाफ गबन के आरोप थे, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह तो छठा प्रश्न है।

जहां तक जांच का प्रश्न है इनमें से एक को छोड़कर सभी सतर्कता आयोग को सौंप दिये गये हैं और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो भी कायवाही होगी वह की जायगी।

श्री राम अधार—

मान्यवर, विद्युत् परिषद् के पत्र की एक कापी हमारे पास है नं0 662 जिसकी कापी मैं दे दूंगा। तो मान्यवर, इसमें ऐसा है कि कन्ट्रैक्ट ला के मुताबिक ऐसा कोई कन्ट्रैक्ट होता है, तो उस अवधि के अन्दर काम होना चाहिए। एक साल के लिए टैन्डर होता है, तो उसके अन्दर काम होना चाहिए यदि नहीं हुआ, तो सिक्यूरिटी जब्त·····

श्री अध्यक्ष—

राम अधार जी आप बहुत लम्बा.....

श्री राम अधार—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह टेन्डर जो बी0 एन0 बालिगा के जमाने में किया गया था, उसकी जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य का पत्र 27-6-77 का प्राप्त हुआ है। उसे भी सतर्कता आयोग को जांच के लिए भेज दिया गया है। श्री बी0 एन0 बालिगा, अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् के काले कारनामे इस प्रकार के हेडिंग के आरोप-पत्र को जांच के लिए भेज दिया गया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने उत्तर में लिखा है कि सात शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जो शासन के विचाराधीन हैं, ये शासन के विचाराधीन कब से हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उन आरोपों में कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि शिकायती पत्र जो शासन को प्राप्त हुए थे, वे अलग-अलग तथ्यों पर आधारित थे। छठा जो शिकायती पत्र था, उसे सतर्कता आयोग को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वह 30 अक्तूबर का था, जिस दिन श्री बी0 एन0 बालिगा रिटायर हुए थे। एक छोटा सा आरोप इस पत्र में था कि श्री बालिगा ने यूनियन कर्मचारियों को उकसाया। एक चौक के व्यक्ति का नाम इसमें है। "रेसपेक्टेड सर,.....श्री बी0 एन0 बालिगा, आन 30 अक्तूबर नाइट एट क्लाइव रोड फील्ड होस्टल इनस्टिगेटेड दि स्ट्राइकर्स एण्ड मिस गाइडेड दि मिन्स्ट्री। मेटर सीरियस। नीड इनवेस्टिगेशन। अरेन्ज रिमूविंग बलिगा फ्राम लखनऊ।" उसी दिन उनका रिटायरमेंट हो गया।

श्री अध्यक्ष—

विद्युत् मन्त्री जी, आपने अंग्रेजी में कहा है कृपया इसका हिन्दी रूपान्तर कर दीजिए।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं कह रहा हूं। इस तार में कहा गया है कि बी0 एन0 बालिगा ने फील्ड होस्टल, लखनऊ में स्ट्राइकर्स को, जो नवम्बर से हड़ताल चल रही थी, उनको इनस्टिगेट किया और सरकार को मिसगाइड किया। एक सज्जन यू0 बी0 सिंह द्वारा हस्ताक्षरित यह तार प्राप्त हुआ था।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न आरोप-पत्रों को मिलाकर कुल कितनी धनराशि के गबन का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व निवेदन किया यह आरोप-पत्र मूल रूप से सतर्कता आयोग को सौंप दिये गये हैं। इनमें सभी हैं, प्रोमोशन के हैं, टेन्डर के हैं.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न है कि कुल कितनी धनराशि के आरोप लगाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी का कहना है कि उसका टोटल नहीं किया गया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

हम इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस पर नियम 498 में आधा घंटे की चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

जब आप लिखकर देंगे तब विचार करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन शिकायतों में यह भी शिकायत मिली थी कि कुछ गलत तरीके से टेंडर एक्सेप्ट किये जा रहे हैं, जिनका कोटेशन लेना चाहिए था और जिस रेट पर पेमेन्ट वगैरह होना चाहिए था, वह नहीं हुआ था ? तो क्या इस आरोप की भी शिकायतें मिली थीं ? अगर हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जो डिटेल्ड शिकायत थी, वह माननीय श्री रामाधार राय जी की थी और वह मूल रूप से भेज दी गयी। शिकायतों में था कि बालिगा ने किसी फर्म से, जो सिद्धार्थ शंकर रे के भाई थे, काम दिलाया। दक्षिण भारत की एक फर्म को श्री बालिगा ने अर्थ वायर खरीदने के लिये परचेज कमेटी से 60 लाख का आर्डर दिलवाया। उत्तर प्रदेश की पार्टियों को आर्डर देने के बजाय वह दक्षिण भारत की फर्मों को आर्डर देते रहे। इसी प्रकार बिना चयन के ऊंचे पदों पर दक्षिण भारत के लोगों को नियुक्त करते रहे। दक्षिण भारतीय एसोसिएशन को दस हजार रुपया दिलवाया। संजय गांधी की सन् 76–77 में सुल्तानपुर में जितनी मीटिंग्स हुई, उनमें मुफ्त बिजली दी गयी, जिससे बोर्ड को काफी क्षति हुई। श्री एस० सी० माथुर बिना चयन के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद पर.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में कौन सी व्यवस्था है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन्हीं के उत्तर से सम्बन्धित है। मैंने टेंडर से सम्बन्धित सवाल पूछा था। मंत्री जी ने उत्तर दिया और उसके बाद फेहरिस्त पढ़ रहे हैं। यह समय काटना चाहते हैं और उसके बाद कह देंगे कि समय समाप्त। इनकी इस हरकत से आप सदन को बचायें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उत्तर का जहां तक सवाल है, उत्तर तो कोई मंत्री अपने विवेक से ही देंगे। आपसे परामर्श तो किया नहीं गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न से सम्बन्धित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप असन्तुष्ट हैं तो नियम 49 में सूचना दीजिये। मैं विचार करूंगा।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनके खिलाफ शिकायतें सही पायी गयीं। जिन पर जुर्म साबित हो गया है क्या उनके लिए ट्रांसफर ही काफी है। अगर ट्रांसफर ही काफी है, तब तो शासन चल चुका। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह कहिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैंने निवेदन किया कि इमीडियेट प्राइमाफेसाई का जहां मामला आया, उन केसेज को ट्रांसफर कर दिया। कुछ जांच सतर्कता आयोग के भी जिम्मे है। जैसे हमारे मन्ना लाल जी विधायक हैं, एक ई0 ई0 के खिलाफ शिकायत की थी उसको विजिलेंस में रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया। एक शिकायत यह की गयी थी कि एक बी0 डी0 ओ0 बिजली की चोरी कर रहे हैं, तो वहां के लाइनमेन व बी0 डी0 ओ0 को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह कार्यवाही भी लोगों के खिलाफ हो रही है। जिनको ट्रांसफर किया गया उन केसेज में भी जांच हो रही है।

श्री बी0 एन0 बालिगा, भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*6—श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला बाराणसी) तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध 1 जनवरी, 1976 से 31 अगस्त, 1977 तक कितने शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए और कितने की जांच हुई और कितने की जांच अभी भी जारी है ? क्या यह सही है कि शिकायत होने के बावजूद भी अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् की सेवा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् (श्री बी0 एन0 बालिगा) के विरुद्ध उक्त अवधि में सात शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे, जो शासन के विचाराधीन हैं। उन्हें 31-10-77 के अपरान्ह से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है, अतः उनकी सेवा अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

नोटः—नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के जूनियर डाक्टरों और छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल स्वास्थ्य मन्त्री से अगस्त, 1977 में मिला और कालेज और अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए एक प्रतिवेदन दिया ? यदि हां, तो वह प्रतिवेदन क्या है और उसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। मेडिकल कालेज, कानपुर तथा सम्बद्ध अस्पतालों में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं। इनके बारे में एक उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है।

देवरिया जिले में पडरौना नसबन्दी शिविर के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं की गयी कार्यवाही

*8—श्री बसन्त लाल (जिला देवरिया), श्री रियासत हुसैन तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पड़रौना विशाल नसबन्दी शिविर सन् 1972–73 में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हंसराज संवाददाता "विस्मिल" पत्रिका ने दिनांक 5 फरवरी, 1973; 23 नवम्बर, 1973; 10 दिसम्बर, 1973; 13 दिसम्बर, 1973 एवं 4 मई, 1977 को शासन को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उनमें अनियमितताएं क्या-क्या हैं और किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच कराकर किन-किन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, दिनांक 5–2–73, 23–11–73, 10–12–73 तथा 13–12–73 के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। दिनांक 4–5–77 का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त शिकायती-पत्रों में निम्नलिखित मुख्य अनियमिततायें दर्शाई गई थीं:—

(1) पडरौना नसबन्दी शिविर में बुड्ढों की नसबन्दी करायी गयी।

(2) पहले से नसबन्दी किये हुये व्यक्तियों की पुनः नसबन्दी करायी गई।

(3) ऐसे व्यक्तियों के फर्जी नाम फार्मों में लिख दिये गये जिनकी नसबन्दी नहीं हुई और हजारों रुपये हड़प लिये।

उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में जांच अतिरिक्त जिलाधीश देवरिया, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर तत्कालीन संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), तत्कालीन संख्याविद्, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो और अन्त में तत्कालीन राज्य परिवार–कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई थी। संलग्न में उल्लिखित दोषी पाये गये 6 चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई तथा 45 प्रेरकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1012 पर।)

*9—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[माननीय सदस्य के प्रार्थना पर स्थगित।]

*10—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

प्रदेश में लेडी डाक्टर विहीन महिला अस्पताल एवं लेडी डाक्टरों की सेवा-निवृति की आयु

*11—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे महिला अस्पताल हैं जिसमें लेडी डाक्टर नहीं हैं और महिला डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए महिला डाक्टरों की प्रथम नियुक्ति की आयु 32 साल से 40 साल कर दी है? क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार ने महिला डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिये यह तय किया था कि महिला डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से 60 साल कर दी जाय? यदि हां, तो क्या महिला डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की अवधि बढ़ाई गई है?

श्री कल्याण सिंह—

प्रदेश में 43 महिला अस्पतालों में लेडी डाक्टर नहीं हैं। महिला डाक्टरों की कमी को देखते हुए 40 वर्ष तक की महिला अभ्यर्थियों को पी0 एम0 एच0 एस0 (महिला) संवर्ग में तदर्थ नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। महिला डाक्टरों की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि 58 साल के बाद सेवा-निवृत्त महिला डाक्टरों को 60 वर्ष तक दो वर्ष के लिये संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाय। अब शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त या सेवा वृद्धि नहीं दी जायेगी।

बस्ती जिले में परिवार कल्याण विभाग के महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*12—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद के तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन में कार्यरत अधिकांश महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण अगस्त, 1977 में जनपद के एक छोर से दूसरे छोर के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा अकारण ही कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं है अथवा एक स्थान पर सेवा करते हुए पांच वर्ष से कम हुआ है उनका स्थानान्तरण रद्द करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

अगस्त, 1977 में केवल 7 महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया, जिनमें से 3 का उनके निजी अनुरोध पर 2 का शिकायत पर तथा 2 का जनहित में स्थानान्तरण किया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनका स्थानान्तरण निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

गोरखपुर जिले के ग्राम गजपुर में कथित सरकारी अस्पताल के भवन का शिलान्यास

*13—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के ग्राम गजपुर में एक सरकारी अस्पताल बनाने की योजना थी और अस्पताल भवन का शिलान्यास भी वर्ष 1974–75 में हो चुकने के बाद आज तक अस्पताल न बनने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त अस्पताल शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री कल्याण सिंह—

न तो ऐसी कोई योजना थी और न ही भवन का शिलान्यास किया गया था।

मेरठ मेडिकल कालेज में विचाराधीन विश्रामालय का निर्माण

*14—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज में मरीजों की देख-रेख करने वाले व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह—

इस मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय में रोगियों की देख-रेख करने वाले व्यक्तियों (अटेंडेंट्स) के ठहरने के लिये रोटरी क्लब मेरठ की सहायता से एक विश्रामालय बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

कानपुर नगर में यू० पी० ड्रग हाउस, श्याम मेडिकल स्टोर तथा आर० के० फ़ार्मा एवं अन्य मेडिकल स्टोरों से बरामद की गयी नकली दवायें एवं गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

*15—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० ड्रग हाउस तथा श्याम मेडिकल स्टोर, कानपुर के नकली दवाओं को बेचने के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों को 16–17 जुलाई, 1976 को गिरफ्तार किया गया है और क्रमशः तीन लाख एवं अस्सी हजार की नकली दवाओं को बरामद किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

वांछित सूचना तालिका 'क' में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1014 पर)

*16—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि जून, 1976 के दूसरे सप्ताह में फीलखाना कानपुर में भी छापा मारा गया और आर० के० फार्मा तथा जूही की एक दवा बेंचने की कम्पनी में 4 जून, 1976 को नकली दवाओं का भंडार पकड़ा गया है ? क्या यह बात सत्य है कि अब तक 15 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं ? यदि हां, तो कितने लोग गिरफ्तार किन-किन फर्मों के किए गए और नकली दवा बनाने से रोकने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

वांछित सूचना तालिका 'ख' में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1015 पर)

छितौनी जिला देवरिया में महिला चिकित्सक विहीन राजकीय महिला चिकित्सालय

*17—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी कब और किसके द्वारा निर्मित हुआ ? इस चिकित्सालय में महिला चिकित्सक कब से नहीं है और उसका कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह---

राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी, जिला देवरिया का भवन निर्माण सितम्बर, 1960 में श्री के0 एन0 खेतान पड़रौना द्वारा किया गया था। उक्त चिकित्सालय में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 से महिला चिकित्सक नहीं है। इसका प्रमुख कारण प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी है।

राज्य रक्षालस संस्थान जिला नैनीताल के कर्मचारियों से जी0 पी0 एफ़0 तथा इ0 पी0 एफ़0 की कटौती

*18---श्री राम दत्त जोशी--

क्या सरकार को जानकारी है कि नैनीताल तहसील म स्थित राजकीय वैक्सीन डिपो, पटवाडांगर के राज्य कर्मचारियों के मासिक वेतन से जी0 पी0 एफ0 और इ0 पी0 एफ0 के नाम से प्रावीडेंट फण्ड की दोहरी कटौती की जा रही है? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर (नैनीताल) के ऐसे समस्त अस्थायी एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों जिन्होंने एक वर्ष अथवा 240 दिन की सेवा इस संस्थान में पूर्ण कर ली हो, से रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर कानपुर के आदेश से एम्पलाईज प्राविडेन्ट फंड की कटौती दिनांक 18-5-58 से एम्पलाईज प्राविडेन्ट (ऐण्ड फेमिली पेंशन फंड्स) ऐक्ट के अन्तर्गत की जाती है। यू0 पी0 लिब्रालाइज पेंशन रूल 1961 तथा यू पी0 रिटायरमेन्ट वेनिफिट रूल 1962 के लागू होने के फलस्वरूप अस्थायी कर्मचारियों द्वारा एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् उनके वेतन से जी0 पी0 एफ0 की कटौती अनिवार्य रूप से निर्धारित दर पर की जाती है।

आगरा जिले के शमसाबाद तथा फतेहाबाद के चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

*19---श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)---

क्या यह सही है कि आगरा जिले के शमशाबाद-फतेहाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सरकारीकरण करना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें क्या-क्या बाधा है? क्या सरकार शीघ्र ही उपरोक्त अस्पतालों का सरकारीकरण करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

आगरा जनपद के शमशाबाद-फतेहाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नहीं बल्कि इन स्थानों पर कार्यरत जिला परिषद् आगरा के चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के आदेश मार्च, 1973 में जारी किये गये थे। जिला परिषद्, आगरा ने इन चिकित्सालयों का नियंत्रण शासन को दिनांक 24-12-1977 को सौंप दिया है।

आगरा जिले के एस0 एन0 मेडिकल कालेज के नर्सिंग स्टाफ़ की स्ट्राइक

*20---श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नरसिंग स्टाफ ने दिनांक 11 व 12 अगस्त, 1977 को स्ट्राइक कर दिया था ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा से सम्बद्ध अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने दिनांक 11 व 12 अगस्त, 1977 को स्ट्राइक कर दिया था। यह स्ट्राइक उक्त अस्पताल की वरिष्ठ

मेट्रन के भाई द्वारा एक स्टाफ नर्स के साथ अभद्र व्यवहार तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर हुई थी ।

फ़ैजाबाद जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण की दाइयों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति

*21—श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित मातृ एवं शिशु-कल्याण तथा दाई कल्याण विभाग में कई वर्ष से कार्यरत 15 हरिजन दाइयों की सेवायें अगस्त, 1977 में समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत दाइयों को प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0 उपलब्ध न होने के कारण नियुक्त किया गया था परन्तु इन दाइयों के स्थान पर प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0 उपलब्ध होने के कारण फैजाबाद जनपद की सबसे कनिष्ठ 15 दाइयों को उनकी सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया था जो बाद में वापिस ले लिया गया और अब उक्त सभी दाइयां कार्यरत हैं ।

आगरा जिले के फतेहाबाद ब्लाक में हैजे से कथित मृत्यु

*22—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि फतेहाबाद ब्लाक, जिला आगरा म मार्च, 1977 से जुलाई, 77 तक हैजे के कारण अनेक मृत्यु हो चुकी है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत अवधि में हैजे से कोई मृत्यु नहीं हुई ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जिले के उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कथित जीप का दुरुपयोग

*23—श्री राम बरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री एवं चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद म एक उप मुख्य चिकित्साधिकारी की जो जीप फैजाबाद में सावन का मेला देखते समय पकड़ी गयी थी उस पर क्या कार्यवाही हुई और इस प्रकार से सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कल्याण सिंह—

चिकित्सा विभाग की कोई जीप फैजाबाद में सावन मेला देखने के सम्बन्ध म नहीं पकड़ी गई । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा । विभागीय वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का दृढ़ता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अपने निरीक्षणों में अन्य बातों के अतिरिक्त वाहनों के समुचित उपयोग का परिनिरीक्षण भी करते हैं ।

बस्ती जिले के सी0 एम0 ओ0 कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*24—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1977 में बस्ती जनपद के कुछ विधायकों द्वारा सी0 एम0 ओ0 तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 (चिकित्सा) कार्यालयों

के कर्मचारियों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन तथा स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को दिया गया है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है उसमें--

1--कुछ कर्मचारियों के अधिक समय से बस्ती में ही तैनात रहने;

2--स्थानान्तरण होने पर आदेश रद्द करा लेने अथवा कुछ समय पश्चात् पुनः बस्ती आ जाने;

3--एक ही जाति के होने व अनियमित कार्य करने ;

4--जाति के आधार पर किसी विशेष स्थान पर तैनाती कराने, तथा

5--अस्पताल हेतु औषधियां एक ही फर्म से क्रय करने के आरोप हैं और कम से कम 8 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी है और जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर के डाक्टर रमाशंकर प्रसाद का स्थानान्तरण एवं पुनः नियुक्ति

*25--श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, जनपद बलिया के तत्कालीन डाक्टर (श्री रमाशंकर प्रसाद) का स्थानान्तरण दिनांक 1 जुलाई, 1977 को किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उन्हें दिनांक 26 अगस्त, 1977 को केन्द्र सीयर, जनपद बलिया पर फिर नियुक्त किया गया?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । डाक्टर रमाशंकर प्रसाद को जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया में पुनः नियुक्ति किया गया ।

मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग की पब्लिक हेल्थ नर्स की ज्येष्ठता सूची

*26--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश के मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग में कितनी पब्लिक हेल्थ नर्सें कार्यरत हैं और क्या उनकी कोई सीनियारिटी लिस्ट (ज्येष्ठता सूची) बनी है और उसको बनाने का आधार क्या है? क्या उनको दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सीनियारिटी के क्रम के आधार पर भेजा जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग के अन्तर्गत 95 पब्लिक हेल्थ नर्सें कार्यरत है । उनकी सीनियारिटी लिस्ट विभाग द्वारा बनाई गई है । इसका आधार प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यार्थियों के द्वारा उक्त कैडर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है । दिल्ली में ट्यूटर कोर्स प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर भेजा जा रहा है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स का कानपुर यूनिवर्सिटी को हस्तान्तरण

*27--श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि विगत विधान सभा ने अपने आपातकालीन सत्र में भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधिनियम में संशोधन करके भारतीय चिकित्सा

परिषद् के डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स की शिक्षाओं के संचालित करने के अधिकार को छीनकर कानपुर यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया था और क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कानपुर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा का संचालन नहीं करता है? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मन्त्री इस अधिनियम में ऐसा उचित संशोधन पुनः कराने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश चार-वर्षीय आयुर्वेदिक एवं तिब्बी का डिप्लोमा कोर्स संचालित कर सके?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। इस अधिनियम में अब पुनः संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के कार्डियोलोजी के रीडर, डा0 आर0 के0 थापर का निलम्बन

*28--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर के हृदयरोग (कार्डियोलोजी) विभाग में कितने रीडर मुअत्तल किये गए थे और उनके विरुद्ध क्या आरोप थे? क्या उनमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत कोई मामला सी0 आई0 डी0 द्वारा दर्ज कराया गया था? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष 1975 में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के कार्डियोलोजी विभाग के एक रीडर इन पीडियाट्रिक कार्डियोलोजी डा0 आर0 के0 थापर को निलम्बित किया गया था। उक्त अधिकारी के विरुद्ध व्यवसायिक अक्षमता, व्यवसायिक दुराचरण तथा चिकित्सकों की आचार संहिता के विरुद्ध असावधानी एवं अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करने के आरोप थे। अपराध अनुसंधान विभाग ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कराकर मामले की जांच की थी तथा विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की। उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

बहराइच जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कालरा एवं पेट की बीमारी

*29--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भयंकर कालरा एवं पेट की बीमारी के रोग पिछले एक माह से बढ़ गए हैं और कई मातें हो चुकी हैं? यदि हां, तो जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन-कौन उपाय किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

माह अगस्त/सितम्बर, 1977 में 3 रोगी अतिसार से ग्रसित हुए जिनमें से एक की मृत्यु हुई।

बहराइच जनपद में 66 बाढ़ चौकियां स्थापित की गयीं जिनमें रोगियों के उपचार के लिये पहले से ही प्रचुर मात्रा में दवाईयां उपलब्ध थीं।

जनपद में 30527 हैजे के टीके लगाये गये तथा 10143 कुओं को विसंक्रमित किया गया।

3816 रोगियों का साधारण उपचार किया गया तथा अतिसार ग्रस्त गांवों में जिला स्तर के अधिकारियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्धित अधिकारियों ने उपचार एवं संक्रामक रोग निरोधक कार्यवाहियों को तथा दौरा किया।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*30—डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेक्रेटरी, स्टूडेन्ट ऐक्शन कमेटी जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर (श्री के0 एम0 तिवारी) की कोई शिकायत दिनांक 29 सितम्बर, 1975 में जिसमें बहुत से मूल्यवान दवाइयों के फर्जी वाउचरों के बनाए जाने के प्रमाण हैं, शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। श्री के0 एम0 तिवारी, सेक्रेटरी, स्टुडेन्ट ऐक्शन कमेटी, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच हो रही है।

श्री सीताराम शुगर कं0 लिमिटेड, देवरिया के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा धनराशि का भुगतान

*31—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सीताराम शुगर कं0 लिमिटेड, बैतालपुर, जिला देवरिया ने अनिवार्य जमा योजना की रकम का भुगतान मजदूरों को कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भुगतान दिलाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

केवल तीन कर्मचारियों को छोड़कर, जो मिल में अपने कार्य पर उपस्थिति नहीं हैं, अन्य सभी कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया गया है।

लखनऊ की अल्कापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 की भूमि का नगरमहापालिका द्वारा अधिग्रहण और भूमि का आवंटन

*32—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आपात्काल में लखनऊ नगर महापालिका के अधिकारियों ने अल्कापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 की निराला-नगर के निकट स्थित लगभग 14 बीघा भूमि अधिग्रहण कर ली है ? यदि हां, तो शासन समिति को उक्त भूमि वापस कराने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आपात्काल में नहीं बल्कि वर्ष 1972 तथा 1973 में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत समिति की भूमि अर्जित की गई थी समिति के प्रत्यावेदन पर शासन ने विकास प्राधिकरण लखनऊ को समिति की भूमि को समिति को वापस करने के आदेश दे दिये विकास प्राधिकरण के सामने यह कठिनाई है कि समिति की भूमि के सभी भूखण्ड का आबंटन लाटरी द्वारा किया जा चुका है। अधिकतर आबंटियों ने भूमि का मूल्य भी जमा कर दिया है तथा कई व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और कुछ भूखण्डों पर निर्माण कार्य भी हो रहा है। विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यक्तियों को समिति की भूमि के भूखण्ड बनाकर आबंटन किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जा रहा है और जो निर्णय लिया जायगा उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायगी

*33—श्री भारत सिंह चौहान—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि को महापालिका ने अधिग्रहण के बाद जिन्हें आबंटित किया है क्या वे आबंटी नगर महापालिका अधिकारियों से सम्बन्धित हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिन व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं उनमें से एक विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता, श्री एस० पी० गुप्ता हैं। शेष आवंटियों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में यह अंकित नहीं है। कि उनमें से कौन-कौन नगर महापालिका के अधिकारियों से संबंधित हैं।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा निजी मकान रखने वालों के नाम से भवन का आबंटन

*34—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा लखनऊ नगर में निर्मित अधिकतर भवन ऐसे व्यक्तियों को आबंटित हैं जो अपने निजी मकानों को अधिक किराये पर उठाये हुये हैं और स्वयं कम किराये के महापालिका के भवनों रह रहे हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब जांच कराके ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त-कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अभी हाल ही में इस संबंध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था जिससे यह पता चला कि ऐसे 20 व्यक्ति है जिनके निजी आवास हैं और वे नगर महापालिका के भवनों में रहते हैं इनमें से 3 व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर किया गया है और शेष मामलों में कार्यवाही हेतु नोटिस दी जा रही है।

[30 मार्च, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार द्वारा हड़ताल की सूचना एवं चुंगी वसूली और प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध श्री शम्भूनाथ शर्मा की नोटिस

*1—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

द्वितीय सत्र 1977 के चौथे गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, हरिद्वार के अधिकारियों को हड़ताल से पूर्व हड़ताल होने की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो अधिकारियों ने चुंगी वसूली की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि कर्मचारियों का एक वर्ग जिसने हड़ताल में भाग नहीं लिया, अपनी सेवायें देने को तैयार था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार के महामंत्री द्वारा नगरपालिका, हरिद्वार के अधिकारियों को हड़ताल की सूचना दी गयी थी। पालिका के अधिकारियों द्वारा हड़ताल में चुंगी वसूली का कार्य उपलब्ध कर निरीक्षकों की सहायता से लिया गया। पालिका के अधिकारियों को कर्मचारियों की ओर से हड़ताल में अपनी सेवायें देने का कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था।

*2—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह भी जानकारी है कि जनता पार्टी के श्री शम्भूनाथ शर्मा आदि ने चुंगी से हुई हानि के संबंध में प्रभारी अधिकारी नगरपालिका आदि को म्यु० ऐक्ट की

धारा 326 के अधीन इसे हानि का उत्तरदायी ठहराते हुए हड़ताल के कुछ समय बाद नोटिस दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और इस कथित हानि की पूर्ति अब कैसे की जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जनता पार्टी के श्री शंभूनाथ शर्मा आदि ने चुंगी से हुई हानि के संबंध में नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी को म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा 326 के अधीन नोटिस दिया था, जिसका उत्तर पालिका के पत्र दिनांक 12-8-1977 द्वारा उन्हें भेज दिया गया था। हड़ताल की तिथि को देय अवशेष चुंगी की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही की जा चुकी है, 1,491 रु0 वसूल हो चुके हैं। पांच निजी गाड़ियों से टोल टैक्स वसूल किये जाने के लिये न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं। इसलिये किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

एम0 बी0 बी0 एस0 के वेटिंग लिस्ट के परीक्षार्थी

*3--श्री रमा शंकर कौशिक--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस सत्र में एम0बी0बी0एस0 के प्रवेश में वेटिंग लिस्ट से ऐसे परीक्षार्थियों की भर्ती की गयी है, जिनके 30 प्रतिशत अंक थे और 50 प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति

*4--श्री भारत सिंह चौहान--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रशासनिक अधिकारी (परिवार नियोजन) की नियुक्तियां हो गई हैं? जिन जिलों में नियुक्ति नहीं की गई, उनका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

निम्नलिखित 11 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं:--

(1) बरेली, (2) ललितपुर, (3) बुलन्दशहर, (4) पौडी-गढ़वाल, (5) बस्ती (6) मैनपुरी, (7) मथुरा, (8) मेरठ, (9) मुरादाबाद, (10) उत्तरकाशी तथा (11) गाजियाबाद।

लोक सेवा आयोग से उक्त पदों के लिये चुने गये अभ्यर्थियों में से 6 जनपदों में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। 3 अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड के सम्मुख स्वास्थ्य परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं हुए और यह औपचारिकता पूरी न करने के कारण उन्हें नियुक्त करना संभव नहीं हो सका। शेष दो जनपदों के लिये प्रशासनिक अधिकारी के पद अभी स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

देहरादून जिले के डैशवाला, डोईवाला आदि ग्रामों को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

*5--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देहरादून जनपद के ग्राम डैशवाला, मिस्सरवाला, डोईवाला, लच्छीवाला तथा मारखम ग्रान्ट की घनी आबादी वाले

एक साथ लगे हुए क्षेत्र को टाउन एरिया अथवा नोटीफाइड एरिया घोषित किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

देहरादून जिले के ग्राम डैशवाला, मिस्सरवाला, डोईवाला,लच्छीवाला तथा मारखम ग्रान्ट को मिलाकर टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया और इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया ।

*6--श्री रणजीत सिंह--

[1ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत उत्तरित] ।

*7--श्री कल्पनाथ सिंह--

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

वाराणसी तथा अन्य नगर महापालिकाओं द्वारा अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम के अधीन दी गयी नोटिस

*8--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक वाराणसी नगर महापालिका एवं दूसरे नगरों में जो किसानों की कृषि भूमि को उनके अन्तर्गत लेने का फैसला किया था और नोटिसें दी थीं, उसे वापस लिया गया और जहां कहीं पांच किलोमीटर कहीं आठ किलोमीटर महापालिका क्षेत्रों के बाहर तक गजट करके लागू किया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कृषि भूमि लेने का कोई फैसला नहीं किया था । नोटिसें नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(2) के अधीन 17 फरवरी, 1975 से 16 फरवरी, 1976 के बीच निर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों को जारी की गई थी कि वह अपनी सम्पत्ति का विवरण फाइल करें ।

यह नोटिस नियमानुसार वापस नहीं ली जा सकती । स्थानीय निकाय के बाहर उपान्त क्षेत्र का विस्तार पांच किलोमीटर आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में है तथा एक किलोमीटर अलीगढ़, देहरादून, गोरखपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर में है । उपान्त क्षेत्र का विस्तार आठ किलोमीटर कहीं भी नहीं है । यह विस्तार उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित है और राज्य सरकार उसे रद्द करने के लिए सक्षम नहीं है ।

मिर्जापुर जिले की नोटीफ़ाइड एरिया, रेणुकोट का चुनाव

*9--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, रेणुकूट, जिला मिर्जापुर के चुनाव में पब्लिक की ओर से चेयरमैन चुनने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

*10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*11-12--श्री देव कुमार--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*13--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*14--श्री सोहन बीर सिंह तोमर--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

आगरा जिले के अयोध्या कुंज एवं इन्द्रपुरी नाले का निर्माण

*15--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आपात्-स्थिति के दौरान अयोध्या कुंज एवं इन्द्रपुरी नाम से दो नालों का निर्माण करीब दस लाख रुपया खर्च करके किया गया जो 1977 की बरसात के प्रथम चरण में ही बह गया? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पूरे मामले की जांच करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आपात्स्थिति के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 5 लाख रु0की लागत से निर्मित अयोध्या कुंज नाले का कुछ भाग गत वर्षा के समय बैठ गया परन्तु इन्द्रपुरी में लगभग 40 हजार रु0 की लागत से अब तक बनाई गयी नालियां एवं नाला सही दशा में हैं।

मामले में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के राजकीय संक्रामक रोग चिकित्सालय एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के जीर्ण-शीर्ण भवन

*16--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या शहर में स्थित राजकीय संक्रामक रोग चिकित्सालय और अकबरपुर कस्बे के शाहजादपुर मुहल्ले में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उनके किसी भी समय गिरने का खतरा है? यदि हां, तो शासन इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत दोनों भवन जीर्णावस्था में हैं । राजकीय संक्रामक रोग चिकित्सालय, अयोध्या के भवन की विशेष मरम्मत किया जाना प्रस्तावित है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को किराये के भवन में अस्थाई रूप से स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

फैजाबाद जिले के पहितोपुर में विचाराधीन होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना

*17--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6-7 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के पहितीपुर (औरंगनगर) बाजार में एक होमियो-डिस्पेंसरी खोलने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकता को

देखते हुए वहां पर शीघ्र ही कोई एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की निकट भविष्य में कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

ग्राम पहतीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद से प्राप्त हुआ था, लेकिन वहां पर उपयुक्त भवन उस समय उपलब्ध न होने के कारण उस पर विचार सम्भव नहीं हो सका। अब एक भवन इस हेतु उपलब्ध हो गया है। अन्य प्रस्तावों के साथ कथित स्थान पर भी उपयुक्तता के आधार पर एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार किया जायेगा।

कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र, गोंडा में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

*18--श्री नरेश चन्द्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र, गोण्डा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का एक पद एक वर्ष से रिक्त है जबकि सादुल्ला नगर डिस्पेंसरी, गोण्डा के चिकित्सा अधिकारी ने वहां पर स्वेच्छा से जाने के लिये शासन को लिख दिया है ? यदि हां, तो शासन के समक्ष रिक्तता पूरी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री कल्याण सिंह--

कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र, गोण्डा में नियुक्त चिकित्सक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पद मई, 1976 से रिक्त रहा है। परन्तु अन्य चिकित्सक द्वारा उक्त पद का कार्य बराबर देखा जा रहा था। सादुल्ला नगर डिस्पेंसरी में कार्यरत चिकित्सक का एतद्विषयक कोई प्रार्थना-पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है। इस पद पर अब अन्य चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है जो दिनांक 24-10-77 से कार्यरत है।

मलेरिया कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*19--श्री नरेश चन्द्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारियों का स्थायीकरण राजाज्ञा सं0 16/10-376-75, दिनांक शून्य मई, 1975 के अनुसार अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राजाज्ञा की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

मलेरिया कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के ज्येष्ठता निर्धारण तथा स्थायीकरण की नीति शासनादेश संख्या 1696/16-10-366-65, दिनांक 17 मई, 1975 में निर्धारित की गयी थी। शासन द्वारा उक्त शासनादेश में नीति निर्धारित कर दिये जाने के बावजूद कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि उच्च न्यायालय में वर्ष 1973 से मलेरिया कर्मचारियों की एक रिट याचिका पर विचार हो रहा था और उच्च न्यायालय नें इस आशय के स्थगन आदेश दे रखे थे कि प्रश्नगत रिट का निर्णय होने तक मलेरिया कर्मचारियों का स्थायीकरण न किया जाय। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 1976 को रिट पिटीशन खारिज की गई। इस प्रकार दिनांक 17 अगस्त, 1976 के पूर्व शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर प्रतिबन्ध था।

उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त शासन सहायक मलेरिया मेंटीनेन्स अधिकारी वर्ग की आपसी ज्येष्ठता निर्धारित कर दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को उनका स्थायीकरण किया

[श्री कल्याण सिंह]

जा चुका है। शेष संवर्ग स्वास्थ्य निरीक्षक, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं। इन संवर्गों की ज्येष्ठता सूची बनाकर प्रकाशित करने तथा आपत्तियां आमंत्रित करने, सम्बन्धित कर्मचारियों की चरित्र पंजी पर विचार करने तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अंतिम ज्येष्ठता सूची तैयार करने तक की औपचारिकतायें पूर्ण करके स्थाई करण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परिस्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

राज्य विद्युत् परिषद् के जूनियर इन्जीनियरों को सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति

*20—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 19 जुलाई, 1977 को जूनियर इंजीनियर संगठन को विद्युत् बोर्ड ने लिखित दिया था कि जिन जूनियर इन्जीनियरों की सामान्य वार्षिक रिपोर्ट मिली है उनको सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कर दी जायगी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 19-7-77 को हुई बैठक में यह समझौता किया था कि जिन अवर अभियन्ताओं (से0 ग्रे0) ने गोपनीय वार्षिक चरित्र पंजिकाओं में संतोषजनक प्रविष्टियां प्राप्त की हैं, उनकी भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायगा। तद्नुसार परिषद् ने फरवरी, 1978 में 37 अवर अभियन्ताओं (ई0 एण्ड एम0) तथा 8 अवर अभियन्ताओं (सिविल) को सहायक अभियन्ताओं के शेष पदों पर पदोन्नति दे दी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोपन, जिला मिर्जापुर के चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं स्थानान्तरण

*21—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोपन, जनपद मिर्जापुर के पुरुष एवं महिला चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जुलाई, सन् 1977 में स्थानीय जनता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। इस शिकायती-पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर द्वारा जांच कराई गई तथा उनकी संस्तुति पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोपन, जिला मिर्जापुर के दोनों चिकित्साधिकारियों को निदेशक द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मिर्जापुर जिले के ओबरा थर्मल पावर में ईंट के भट्ठे पर विद्युत् दुर्घटना एवं मृतकों के परिवारों को दी गयी सहायता

*22—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 को ओबरा थर्मल पावर, मिर्जापुर में ईंट के भट्ठे पर चिमनी से हुई विद्युतना दुर्घट में कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं घायलों की संख्या कितनी है ? मृतक एवं घायलों के परिवारों को सरकार की ओर से कितनी सहायता स्वीकार की गयी और कितना उनको मिल पायी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

21 दिसम्बर, 1976 को ओबरा थर्मल पावर, मिर्जापुर में ईंट के भट्ठे पर चिमनी से हुई विद्युत दुर्घटना में भट्ठे के ठेकेदार के 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 23 व्यक्ति

आहत हुए। परिषद् ने प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को 1000 रु0 तथा सभी आहत व्यक्तियों को 100 रु0 की धनराशि स्वीकृत करके भुगतान कर दिया है केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जो ठेकेदार का भाई था।

*23—श्री रेवती शरण मौर्य—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

मेडिकल प्रैक्टिशनरों का रजिस्ट्रेशन

*24—श्री रमाशंकर कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्रीकृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अप्रैल, 1975 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य शासन को सुझाव दिया था कि तमाम हाई स्कूल पास 10 साल के मेडिकल प्रैक्टिशनरों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाय? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन न किया जाय।

लखनऊ नगर की फातिमा अस्पताल तथा घोसियाना मोहल्ला को सड़क की मरम्मत की मांग

*25—श्री डी0पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को जानकारी है कि नगर महापालिका, लखनऊ के अन्तर्गत मोहल्ला महानगर में बनी सड़क जो फातिमा अस्पताल के सामने की सड़क और घोसियाना मोहल्ला जाने वाली सड़क से मिलती है, उसकी दशा अत्यन्त जीर्णशीर्ण है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत तथा डामर पेंटिंग कब तक कराई जायेंगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

इस सड़क की आंशिक मरम्मत तथा पैच रिपेयर का कार्य विभागीय गैंग द्वारा कराया जा चुका है। इस सड़क की विशेष मरम्मत तथा डामर पेंटिंग का कार्य अगले वित्तीय वर्ष 1978–79 में करा दिया जायगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आर्कीटैक्ट कम-प्लानर एवं आर्कीटैक्ट प्लानर का पद एवं वेतनमान तथा योग्यता

*26—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ के विकास प्राधिकरण में आकटेक्ट-कम-टाउन प्लानर के कितने पद लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किस वतन मान में सृजित किये गय हैं तथा उन पर जो अधिकारी कार्यरत हैं उनको किस वतन-मान में वेतन दिया जा रहा है एवं उनकी अर्हतायें क्या हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आर्कीटैक्ट कम टाउन प्लानर का कोई पद नहीं सृजित किया है। विकास प्राधिकरण द्वारा रु01350-1700 क वेतन-क्रम में आर्कीटैक्ट-

श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कम-प्लानर का एक पद और रु0 800-1450 के वेतन-क्रम में आर्कीटैक्ट प्लानर का एक पद सृजित किया था।

आर्कीटैक्ट-कम-प्लानर के पद के विरुद्ध मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग के एक अधिकारी की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह अधिकारी अपने वेतन मान रु0 1400-1800 में वेतन तथा वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता पा रहे हैं। इस अधिकारी की अर्हतायें निम्न लिखित हैं :—

(1) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रीजनल प्लानिंग (आई0 आई0 टी0, खड़गपुर 1960)

(2) सर्टिफिकेट आफ इकिस्टिक्स (Ekistics) (एथेंस-सेंटर आफ इकिस्टिक्स, ग्रीस, 1960)

(3) फेलो-स्पर्स (spurs) स्पेशल प्रोग्राम फार अरबन ऐंड रीजनल स्टडीज फार डेवलपिंग कंट्रीज (एम0आई0टी0यू0एस0ए0 1974)।

(4) फेलो मेम्बर इस्टीट्यूट आफ अरबन प्लांट्स (इंडिया) आर्कीटैक्ट प्लानर का पद अभी रिक्त है।

नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग में वरिष्ठ नियोजक के पद

*27—श्री देवराम—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ नियोजक के कितने ऐसे पद हैं जिनका मुख्यालय लखनऊ में है तथा उन वरिष्ठ नियोजकों को विभाग के किन-किन खंडों क कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय लखनऊ में वरिष्ठ नियोजक के दो पद हैं। इनमें से एक वरिष्ठ नियोजक को फैजाबाद, झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर नियोजन खंडों तथा इलाहाबाद सिविल लाइंस यूनिट का तथा दूसरे को आगरा, मेरठ, बरेली, पौड़ी गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खंडों एवं टेहरी बांध परियोजना यूनिट का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के प्रधानाचार्य श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*28—श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य (जगदीश प्रसाद वर्मा) के विरुद्ध दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 से 31 अगस्त, 1977 के बीच भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग एवं अनियमितता करने के संबंध में कितने शिकायती-पत्र पीलीभीत की जनता द्वारा मिले ? मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक 24-12-76 से 31-8-77 तक की अवधि में कुल चार शिकायती-पत्र शासन में प्राप्त हुए थे। मुख्य शिकायतों का विवरण संलग्न है। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के विरुद्ध लगाय गय आरोपों

की जांच कराई जा चुकी है । जांच रिपोर्ट शासन को निदेशक आयुर्वेद से अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं और शासन के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1016 पर)

लखनऊ के के0 जी0 मेडिकल कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में उच्चीकृत किये जाने की रूप-रेखा

*29—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई) तथा श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बतायेगी कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने हेतु 50 लाख का अनुदान लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को उच्चीकृत करके पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट स्थापित करने की विस्तृत रूपरेखा एक समिति द्वारा तैयार की जा रही है ।

अध्यक्ष नगरपालिका बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*30—श्री राम सजीवन —

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अप्रैल, 1976 से जुलाई, 1977 तक अध्यक्ष, नगर पालिका बांदा के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र शासन, आयुक्त एवं जिलाधिकारी को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माह अप्रैल, 1976 से माह जुलाई, 1977 तक अध्यक्ष, नगरपालिका बांदा के विरुद्ध शासन को 105, आयुक्त, झांसी मंडल को 36 एवं जिलाधीश, बांदा को 47 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । उक्त पत्रों में लगाये गये आरोपों के संबंध में जिलाधीश बांदा के माध्यम से जांच कराई गई । जांच के फलस्वरूप शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों में से अध्यक्ष तथा पालिका के विरुद्ध सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर नगरपालिका बोर्ड बांदा पर दिनांक एक अगस्त, 1977 को कारण बताओं नोटिस एवं आरोप-पत्र अध्यक्ष के माध्यम से तामील किया गया । आरोप-पत्र का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच पालिका के कुछ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र देने क कारण, पालिका दिनांक 9 अगस्त, 1977 को विघटित हो गयी और आरोप-पत्र पर अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रही । परन्तु सेवायोजन अधिकारी बांदा द्वारा अनियमित नियुक्तियों के कारण तत्कालीन अध्यक्ष के ऊपर न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

*31–32—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

स्वास्थ्य निदेशक द्वारा भेजा गया एरियर का बिल

*33—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 4एफ0(2)/3203, दिनांक 7 मार्च, 1973 द्वारा हजारों रुपयों का एरियर बिल सम्प्रक्षण हेतु शासन को भेजा गया था? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की और अब तक बिल का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

निदेशक के सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री नौशाद अली लैब टेक्नीशियन का रु0 603.80 पै0 का बिल प्राप्त हुआ था। शासन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1346(8)/5-78-18-1147/77, दिनांक 20-3-1978 द्वारा महालेखाकार को भेजी गयी थी। महालेखाकार ने बिल पर कुछ आपत्तियां लगाकर बिल को वापस कर दिया है, आपत्तियों के निराकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में आबकारी निरीक्षक द्वारा कायम किय गये मुकदमें।

*34--श्री सन्त बक्श रावत--

क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ जनपद की मोहनलाल गंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम शिवलर तथा अन्य गांवों में आबकारी निरीक्षक मोहनलाल गंज द्वारा आबकारी के फर्जी मुकदमें जून, 1976 में दर्जनों हरिजन व्यक्तियों पर कायम किये गये हैं और क्या सरकार को इस संबंध में माह अगस्त, 1977 में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

लखनऊ जनपद की मोहनलाल गंज तहसील के शिवलर ग्राम में जून, 1976 मेंआबकारी निरीक्षक द्वारा हरिजनों से संबंधित कोई अभियोग नहीं पकड़ा गया उस माह में गांव सराय, करोरा, मऊ ऊसरी बेलहनी, छिबऊ खेड़ा व इंद्रजीत खेड़ा में कुल 55 अभियोग पकड़े गये जिनमें से 38 हरिजनों के विरुद्ध थे।

इन 38 अभियुक्तों में से 17 अभियुक्तों ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर अर्थदंड की धनराशि जमा कर दी है। शेष 21 व्यक्तियों के मामले अब भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

माननीय सदस्य द्वारा अगस्त, 1977 में आबकारी मंत्री को 5 शिकायती प्रार्थना-पत्र अग्रसारित किये गये थे जिनकी उप आबकारी आयुक्त द्वारा जांच करायी जा चुकी है। उपरोक्त जांच में कोई भी अभियोग फर्जी नहीं पाया गया।

बहराइच जिले में परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य सहायक श्री हरिशंकर सिंह को डी0 आई0 आर0 में दी गयी सजा

*35--श्री विशुन दयाल (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में डी0 आई0 आर0 33 के अन्तर्गत सजा पाये हुए राजनैतिक बंदियों को परिवार नियोजन विभाग बहराइच में उनकी सेवा पूर्ववत् अभी तक बहाल क्यों नहीं की गई ? यदि आदेश कोई हों, तो अवगत कराया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं आदेश हुए ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद बहराइच के परिवार कल्याण विभाग में श्री हरिशंकर सिंह, स्वास्थ्य सहायक को डी0 आई0 आर0 की धारा 33 के अन्तर्गत सजा मिली थी। इन्हें जिला अधिकारी, बहराइच के आदेश दिनांक 22-12-77 द्वारा सवेतन सेवा में बहाल कर दिया गया है।

लखनऊ के तकिया करीम बेग में अवैधानिक रूप से मकानों का निर्माण

*36—डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खसरा नं0 111, तकिया करीम बेग वार्ड बजीरगंज, लखनऊ पर बने गैरकानूनी तामीरात को हटाने के लिये नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कब-कब नोटिस दी गई ? क्या ये नाजायज तामीरात अभी तक नहीं हटाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

खसरा नं0 111, तकिया करीम बेग, वार्ड वजीरगंज, लखनऊ पर निर्मित पांच पक्के भवनों में उनके स्वामियों द्वारा कुछ रद्दोबदल करने के विरुद्ध उन्हें उत्तर प्रदेश योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत मास दिसम्बर, 1975 में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे । इनमें से तीन को सुनने के पश्चात् माह जून, 1977 में डिमालिशन नोटिस जारी कर दिये गये हैं । शेष दो भवनों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टिहरी गढ़वाल जिले के वैक्सीनेटरों के स्थायीकरण की मांग

*37—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में कार्यरत वेक्सीनेटर जिनकी सेवायें स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेटर के पद पर 24 (चौबीस) वर्षों से अधिक की हो गई हैं उनको स्थायी घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि वे कब तक स्थाई घोषित किए जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

ऐसे कर्मचारी अभी स्थायी घोषित नहीं किये गए हैं । प्रश्नगत पदों की क्रमागत स्वीकृति देने का विषय शासन के विचाराधीन है । यह विषय तय हो जाने के उपरान्त ही स्थायीकरण का प्रश्न उठ सकता है ।

सीतापुर जिले के परिचारिकाओं की मांगें

*38—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश परिचारिका संगठन के आवाहन पर जिला चिकित्सालय सीतापुर में अपनी मांगों को न मानने के विरोध में दिनांक 10 नवम्बर, 1977 स परिचारिकाओं ने बिना अपनी वरदी धारण किये हुए काम पर जाने लगीं ? यदि हां, तो इन परिचारिकाओं की मांगें क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां,

उत्तर प्रदेश परिचारिका संगठन की मुख्य निम्नलिखित मांगें हैं:—

(1) नर्सेज कौंसिल का रजिस्ट्रार नर्सों में से ही नियुक्त किया जाय ।

(2) नर्सेज, मिडवाइफ आदि के यूनीफार्म एलाउन्स में बढ़ोत्तरी की जाय ।

(3) नर्सों को 25 प्रतिशत मकान भत्ता दिया जाय ।

(4) पुरुष नर्सों के प्रोन्नत प्रक्रिया को निर्धारित किया जाय ।

]श्री कल्याण सिंह]

(5) नर्सों के वेतनमान में वृद्धि किया जाय ।

(6) नर्सिग निदेशालय की अलग से स्थापना की जाय ।

(7) नर्सिग कालज में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वेतनक्रम को लागू किया जाय ।

(8) आपरेशन थियेटर सुपरवाइजर क पद पर केवल नर्सिग संवर्ग के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाय ।

पी0 एम0 एस0 अधिकारियों की मांगें

*39—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पी0 एम0 एस0 डाक्टरों का प्रतिनिधि मंडल दिनांक 9 नवम्बर, 1977 को स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । दिनांक 9–11–1977 को निम्नलिखित मांगों के संबंध में विचार विमर्श हुआ :—

(1) पी0 एम0 एस0 अधिकारियों को नि:शुल्क आवास के बदले में कवाल शहरों में वेतन का 25 प्रतिशत तथा एक लाख से ऊपर की आबादी के शहरों में वेतन का 17 1/2 प्रतिशत भत्ता दिया जाय जो इस समय क्रमश: 17 1/2 प्रतिशत तथा 12 1/2 प्रतिशत है ।

(2) उक्त भत्ता दिनांक 1–4–1977 के बजाय 1–4–1974 से दिया जाय ।

(3) सीनियर स्केल तथा स्पेशल ग्रेड के अधिकारियों को निशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(4) स्पेशल ग्रेड अधिकारियों को 1,450 रु0 की सीमा तक स्नातकोत्तर वेतन स्वीकार किया जाय ।

(5) पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत पी0एम0एस0 अधिकारियों को मकान आवंटित किये जायं ।

(6) साधारण ग्रेड, सीनियर स्केल तथा स्पेशल ग्रेड के पदों में 30 : 5 : 1 का अनुपात सुनिश्चित किया जाय ।

(7) लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भरती द्वारा चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाय ।

(8) प्रोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पद नहीं हैं, अत: पी0 एम0एस0 संवर्ग में एक समयबद्ध वेतनक्रम बनाया जाय ।

(9) जूरिस एलाउन्स दिया जाय ।

(10) ग्रामीण भत्ता दिया जाय।

(11) चिकित्सा सचिव के पद पर पी0एम0एस0 अधिकारी नियुक्त किया जाय ।

(12) स्वास्थ्य निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर पी0एम0एस0 अधिकारी नियुक्त किया जाय ।

(13) स्पेशल ग्रेड का वेतनमान रु0 1,200-1,800 के बजाय रु0 1,400-1,800 किया जाय ।

(14) एल0 एस0 एफ0 एफ0 योग्यता रखने वाले अधिकारियों के लिये प्रोन्नति का साधन उपलब्ध कराये जायें ।

मेरठ जिले के ग्राम किरबल का विद्युतीकरण

*40—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किरबल, तहसील बागपत, जिला मेरठ, जिसकी आबादी लगभग 12 हजार है, का विद्युतीकरण 8-10 वर्ष पूर्व अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी आज तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ग्राम किरवल, तहसील बागपत, (जिला मेरठ) का 1969 में विद्युतीकरण किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ रिवर बैंक कालोनी के भवन का अस्थायी आवंटन एवं कब्जा न मिलना

*41—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महापालिका लखनऊ द्वारा रीवर बैंक कालोनी का मकान संख्या जी0 22 अस्थाई रूप से किसी व्यक्ति को माह अगस्त, 1977 में किसी को आबंटित किया गया था और जब पुलिस इस मकान का कब्जा दिलवाने गई तो उसकी मुठभेड़ मिलेट्री पुलिस से हुई ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगर महापालिका लखनऊ द्वारा भवन संख्या जी0—22 रिवर बैंक कालोनी का प्रावीजनल आवंटन श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, एडवोकेट को दिया गया था। प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अवस्थी ने स्वयं जोर जबरदस्ती कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया था जिसका विरोध उसमें रहने वाले अध्यासी ने किया और श्री अवस्थी को किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। भवन का कब्जा दिलाने के लिये कोई भी कार्यवाही महापालिका द्वारा नहीं की गई।

कुष्ठ रोगियों के लिये आश्रम एवं चिकित्सा की मांग

*42—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कुष्ठ रोग के जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि यह रोग गत कई वर्षों से बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो बाजारों में घूमने वाले कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों को अनिवार्य रूप से समाज से दूर बसाने तथा उनकी चिकित्सा कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

कुछ परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य तथा कुष्ठ रोग के जीवाणु हवा के द्वारा नहीं फैल सकते हैं। सर्वेक्षण द्वारा नये रोगियों की खोज किये जाने के कारण कुष्ठ रोगियों की संख्या गत कई वर्षों से बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क औषधियां तथा चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। बाजारों में घूमने वाले कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों को बसाने के लिये स्वैच्छिक संस्थायें व आश्रम प्रदेश में कार्यरत हैं।

जिला चिकित्सालय, बस्ती की परिचारिकाओं का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

*43—श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला चिकित्सालय बस्ती में इस समय कुल कितनी ऐसी परिचारिकायें कार्यरत हैं जिन्हें उसी चिकित्सालय में कार्य करते हुए 8 वर्ष से अधिक हो गया है ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला चिकित्सालय, बस्ती में इस समय कुल दस ऐसी परिचारिकायें कार्यरत हैं जिन्हें उसी चिकित्सालय में कार्य करते हुए 8 वर्ष से अधिक हो गये हैं।

*44—श्री शिव लाल मित्तल—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन परिचारिकाओं का स्थानान्तरण (पदोन्नति के साथ) हुआ किन्तु रोक दिया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने का कारण क्या था ?

श्री कल्याण सिंह—

इस चिकित्सालय में कार्यरत 10 परिचारिकाओं में से केवल तीन का स्थानान्तरण पदोन्नति के साथ हुआ था, परन्तु उनकी पारिवारिक परिस्थितियां के कारण उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया।

जल निगम के तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची से संबंधित ज्ञापन

*45—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम ने अभियन्ताओं को पदोन्नति के लिये लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए निगम (या पूर्व एल0एस0जी0डी0) के अपने द्वारा तदर्थ नियुक्त किए गए अभियन्ताओं के सेवा काल को वरिष्ठ मानकर जबकि उक्त तदर्थ नियुक्तियां वाले अभियन्ता लोक सेवा आयोग द्वारा अनेकों बार अनुमोदित किए गए और बाद में अनुमोदित हुए उन्हें पदोन्नत करने का निर्णय निगम ने लिया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं।

*46—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को इस सम्बन्ध में अनेकों विधायकों ने 23 जुलाई, 1977 और उसके पश्चात् अनेकों ज्ञापन सरकार के जी0ओ0 आदि की प्रतिलिपियों सहित दिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निगम को लोक सेवा आयोग को ही वरिष्ठता मानकर पदोन्नति करने का आदेश देगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, माननीय सात विधायकों का एक संयुक्त ज्ञापन दिनांक 23-7-77 प्राप्त हुआ था परन्तु उसके साथ शासनादेशों की प्रतिलिपियां संलग्न नहीं थीं बल्कि कुछ तालिकायें संलग्न थीं।

जी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम सर्विस आफ इंजीनियर्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रेगुलेशन्स, 1977 में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, उझियानी (बदायूं) के सूती मिल मजदूर संघ का ज्ञापन एवं मांग

*47—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स उझयानी (बदायूं) के सूती मिल मजदूर संघ द्वारा कोई ज्ञापन शासन को हाल में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन ने उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स उझयानी (बदायूं) के सूती मिल मजदूर संघ द्वारा प्रतिष्ठान की श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में श्रमायुक्त को सम्बोधित पत्र दिनांक 26-10-77 प्राप्त हुआ है। इसमें उठाये गये मुद्दों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1017 पर।)

देवरिया जिले का कथित डाक्टर विहीन नेबुआ नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*48—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड नेबुआ-नौरंगिया का प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्या इस समय डाक्टर विहीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक डाक्टर की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेबुआ नौरंगिया (जिला देवरिया) डाक्टर विहीन नहीं है।

आई० टी० आई० गोरखपुर के, डी० आई० आर० में बन्दी बनाये गये छात्र का प्रवेश

*49—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि जनता सरकार की नीति थी कि आपातकाल में राजनैतिक कारणों से जिन छात्रों को बन्दी बनाया गया था उन्हें उस कक्षा में प्रवेश दे दिया जाय जिसमें वे पढ़ रहे थे ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि आई० टी० आई०, गोरखपुर के आचार्य द्वारा ऐसे कुछ छात्रों को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर में विद्युत् व्यवसाय के प्रथम वर्ष के एक प्रशिक्षार्थी श्री भगवान दास को, जो डी० आई० आर० में बन्दी बनाए गए थे, प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा रहा था किन्तु श्री भगवान दास प्रधानाचार्य से कक्षोन्नति देकर द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के लिये आग्रह कर रहे थे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

गवर्नमेन्ट इंडस्ट्रियल एण्ड टेनिकल इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा के वर्कशाप फोरमैन तथा श्रीनगर व टिहरी गढ़वाल के वर्कशाप फोरमैन के वेतनमान के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*50—श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा और श्रीनगर एवं टेहरी-गढ़वाल में कार्यरत फोरमैन्स का वेतन मान पहले एक समान था किन्तु वेतन आयोग 1971-73 की रिपोर्ट

[श्री बाबू सिंह]

के बाद म अल्मोड़ा क इन्स्टीट्यूट का वेतन मान ऊंचा कर दिया गया है और श्रीनगर एवं टिहरी-गढ़वाल में कम हो गया है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को 1974–75 में इस असमानता को दूर करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

वेतन आयोग 1971–73 की संस्तुतियां लागू होने से पूर्व भी गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा के वर्कशाप फोरमैन तथा श्रीनगर तथा टिहरी गढ़वाल के वर्कशाप फोरमैन के पदों के वेतनमान एक समान नहीं थे। वेतन आयोग 1971–73 में भी इन पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान संस्तुत किये थे।

वेतनमानों में हुई असमानता को दूर करने के सम्बन्ध में शासन को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

बहराइच जिले के भिनगा महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण की मांग

*51—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद के भिनगा महिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए वर्ष 1976–77 में बजट के चालीसवें आईटम पर एक लाख बासठ हजार पांच सौ रुपया था जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी थी तथा चीफ इन्जीनियर लखनऊ द्वारा केवल एलाटमेन्ट सेन्कशन करना शेष रह गया ? यदि हां, तो एलाटमेंट सैन्कशन कब तक हो जायेगा और आबंटित धनराशि से कब तक भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। वर्ष 1976–77 के बजट के चालिसवें आइटम पर कोई प्राविधान इस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया था।

महिला अस्पताल, भिनगा, जिला बहराइच के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1974–75 में प्रदान की गयी थी, किन्तु धनाभाव के कारण अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव नहीं हो सका है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ करवाना सम्भव होगा।

राज्य विद्युत् परिषद् के जूनियर इंजीनियरों की सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर संगठन का ज्ञापन

*52—श्री बाबू राम वर्मा—

क्या विद्युत मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 18 जून, 1977 को जूनियर इन्जीनियरों की पदोन्नति हुई थी उसमें अनेकों अनियमितताओं के सम्बन्ध में जूनियर इन्जीनियर संगठन ने शासन को दिनांक 5 जलाई, 1977 को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, जून, 1977 में कुछ अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नतियां हुयी थीं जिसके सम्बन्ध में अवर अभियन्ता संगठन का एक ज्ञापन 5–7–77को प्राप्त हुआ था।उस पर विचारोपरांत यह पाया गया कि पदोन्नतियों में कोई अनियमितता

नहीं हुयी थी ।यह पदोन्नतियां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की गई थीं ।

होम्योपैथिक छात्र महासंघ का शिकायती-पत्र

*53—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें छात्र महासंघ (होम्योपैथिक) की ओर से दिनांक 14 जून, 1977 का भेजा गया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। संदर्भित शिकायती-पत्र में की गयी मुख्य शिकायतें परिशिष्ठ 'क' पर संलग्न हैं।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही परिशिष्ठ 'ख' पर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1018 पर।)

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल के डाक्टर विहीन अस्पताल

*54—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि गढ़वाल कुमायूं मन्डल में ऐसे पुरुष एवं महिला अस्पताल हैं जहां उनके खुलने के समय से अभी तक कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कितने? सरकार ने अब तक डाक्टरों की व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री कल्याण सिंह—

गढ़वाल व कुमायूं मण्डल में 18 पुरुष एवं एक महिला चिकित्सालय ऐसे हैं जहां पर खुलने के समय से अब तक डाक्टर नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में रिक्त पदों पर डाक्टरों की तैनाती के आदेश समय-समय पर दिये गये हैं। परन्तु बहुत से डाक्टर वहां पर कार्य भार ग्रहण नहीं करते हैं। पहाड़ में रिक्त पदों पर डाक्टरों की शीघ्र तैनाती की जायगी।

हरदुआगंज बिजली विद्युत् गृह के टरबाइन में आग लगने की घटना

*55—श्री श्रीनारायण तथा श्री देव बहादुर सिंह—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज बिजली विद्युत गृह के गैस टरबाईन में 20 नवम्बर, 1977 को आग लगी? यदि हां, तो कैसे, उससे कितने रुपये की क्षति हुई ? क्या विद्युत मंत्री आगजनी के कारणों की जांच कराकर समुचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, 20 नवम्बर, 77 को हरदुआगंज बिजली विद्युत् गृह में एक विस्फोट हुआ था और आग भी लगी।

आग कैसे लगी इसकी जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 23-11-77 को कर दिया गया है जिसकी रिपोर्ट आने पर ही कारण का पता लग पायेगा।

इस विस्फोट से कितने रुपयों की क्षति हुई इसका भी अनुमान समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही लगाया जा सकेगा।

उपरोक्त विस्फोट के कारणों के जांच के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 23-11-77 को कर दिया गया था जो अपना प्रतिवेदन 31-3-78 तक उपलब्ध करायेगी। उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् ही शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर मण्डल में सेवा मुक्त की गयी दाइयां

*56—श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1975 से जनवरी, 1977 तक गोरखपुर मंडल में सेवारत दाइयों को सेवा से वंचित कर दिया गया है, और क्या यह सच है कि दाई पद पर सेवारत रहने वाली उक्त महिलाओं की सेवा अवधि तीन साल से लगायत बारह साल से भी अधिक की थी? यदि हां, तो पुन: इन दाइयों को सेवा में लेने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह—

गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, आजमगढ़ व देवरिया जनपदों में उक्त अवधि में 992 दाइयों को सेवा से वंचित किया गया। इन दाइयों को ए0 एन0 एम0 के रिक्त स्थानों पर ए0 एन0 एम0 उपलब्ध होने तक के लिये नियुक्ति किया गया था। इनमें से 108 दाइयां तीन वर्ष से 12 वर्षों की अवधि की थीं। इन दाइयों को सेवा में पुन: लेने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

आगरा नगर में खतेना योजना के भवनों के मूल्य तथा भूमि की कीमत में असमानता

*57—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अल्प आय वर्ग क्वाटर्स खतेना योजना (प्रताप नगर) में 'ए' तथा 'बी' ब्लाक के क्वार्टरों की जमीन की कीमत प्राधिकरण द्वारा रु0 35 प्रति वर्ग गज की दर पर निश्चित की गयी जबकि 'सी' ब्लाक में जमीन की कीमत रु0 60 प्रति वर्ग गज निश्चित की गई है ? यदि हां, तो इस अन्तर का कारण क्या है तथा क्या सरकार भूमि के पुनर्मूल्यांकन पर विचार करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

ब्लाक 'ए' तथा 'बी' के भवनों के मूल्य में जमीन की कीमत 32 रु0 प्रति वर्ग गज तथा 'सी' ब्लाक के भवनों में भूमि की कीमत 60 रु0 प्रति वर्ग गज लगाई है।

यह असमानता भूमि का वास्तविक मूल्य पृथक-पृथक वर्षों में भुगतान करने तथा विकास कार्यों पर होने वाले वास्तविक व्यय के कारण रही है।

चूंकि इस स्थल पर भवनों का मूल्य बिना लाभ हानि के आधार पर निर्धारित किया गया है, अत: पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

*58—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अल्प आय वर्ग क्वार्टर्स खतेना योजना (प्रताप नगर) म 'ए' तथा 'बी' ब्लाक के क्वार्टरों की कीमत रु0 21,000 प्रति क्वार्टर लगायी गयी है जिनकी भूमि 200 वर्ग गज है जबकि 140 वर्ग गज पर निर्मित 'सी' ब्लाक से क्वार्टरों की कीमत रु0 30,000 लगायी गयी है? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है तथा क्या सरकार 'सी' ब्लाक के क्वार्टरों के ऊंचे मूल्य को देखते हुये उस पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

इन भवनों पर तथा स्थल के विकास कार्यों पर होने वाले वास्तविक व्यय (टेन्डर आदि जो अलग-अलग वर्षों में किये गये थे) के कारण मूल्यों में असमानता रही है।

चूंकि मूल्य निर्धारण बिना लाभ हानि के आधार पर किया गया है,अतः मामले में पुनर्विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ नगरपालिका के जलकल विभाग के कार्यालय पर कथित अनधिकृत कब्जा

*59—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 1977 को जलकल विभाग में कुछ व्यक्तियों ने घुस करके अफसरों की गैर हाजिरी में दफ्तर का ताला तोड़ कर कब्जा करवा दिया ? यदि हां,तो क्या वे व्यक्ति किसी विशेष राजनैतिक पार्टी से संबंधित थे ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या नगरपालिका की स्थापना की घोषणा

*60—श्री मित्र सेन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या नगरपालिका की स्थापना की घोषणा के कार्यान्वियन में कितना समय लगेगा तथा उक्त नगरपालिका के परिसीमन का क्या आधार होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अयोध्या नगरपालिका की स्थापना 7 जनवरी, 1978 से की जा चुकी है । परिसीमन की कार्यवाही यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 11-ए तथा 11-बी के अन्तर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन विभाग द्वारा की जायगी ।

बस्ती जिले के विकास खण्ड बघौली के अन्तर्गत कामर्शियल योजना के अन्तर्गत किया गया विद्युत् कनेक्शन का अनुबन्ध

*61—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 में बस्ती जनपद के बघौली विकास क्षेत्र में किन-किन किसानों ने आंक के अनुसार देय धनराशि जमा करके विभाग से इकरार नामा विद्युत लेने हेतु कामर्शियल स्कीम में किया है । उन कृषकों को अभी तक बार-बार शिकायत करने के पश्चात भी विद्युत नहीं दी गई है ? विद्युत न देने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बस्ती जनपद में बघौली विकास खंड के अन्तर्गत निम्नलिखित चार किसानों ने वित्तीय वर्ष 1972–73 में कामर्शियल योजना के अन्तर्गत सामूहिक रूप से निजी नलकूप एवं पम्पसेटों के कनेक्शन हेतु परिषद् के साथ अनुबन्ध किये थे ।

1—श्री रेंगन मिश्रा, ग्राम जगदीशपुर,

2—श्री भवानी बक्स मिश्रा, ग्राम रसवापुर,

3—श्री श्यामकरण मिश्रा, ग्राम-रसवापुर,

4—श्री लालचन्द मिश्रा, ग्राम-छड़ना ।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

उपरोक्त बिजली के कनेक्शन इसलिये नहीं दिये जा सके क्योंकि इन किसानों ने परिषद् द्वारा सूचित नियम व शर्तों के अनुसार बी0एण्ड एल0 फार्म एवं मीटर निरीक्षण शुल्क हेतु ट्रेजरी चालान जमा नहीं किये । इसके अतिरिक्त इन कृषकों ने दिनांक 5 फरवरी, 1975 को एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र दिया जिसके अन्तर्गत उन्होंने यह इंगित किया था कि वे अब बिजली का कनक्शन लेने के लिये इच्छुक नहीं है तथा यह प्रार्थना की थी कि परिषद् के पास उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस कर दी जाय । तत्पश्चात उपरोक्त लिखित किसानों ने अगस्त, 1977 में पुन: एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उन्हें कामर्शियल योजना के अन्तर्गत सामूहिक रूप से विद्युत कनेक्शन दिया जाय । यह कनेक्शन परिषद् द्वारा निर्धारित विद्यमान नियम व शर्तों के अनुसार दे दिये जायेंगे जैसे ही सभी चारों किसान बी0 एल0 फार्म एण्ड एवं मीटर निरीक्षण शुल्क हेतु ट्रेजरी चालान जमा कर देंगे ।

लखनऊ जिले की अलीगंज हाउसिंग स्कीम के दोषपूर्ण भवन निर्माण संबंधी शिकायतीपत्र

*62—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज हाउसिंग स्कीम (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के दोष पूर्ण भवन निर्माण एवं मकानों की कीमतों की वृद्धि आदि के संबंध में जून, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक कितनी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले की बंकी टाउन एरिया को नवाबगंज नगरपालिका में सम्मिलित किये जाने की मांग

*63—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत बंकी टाउन एरिया को नवाबगंज नगरपालिका में सम्मिलित किये जाने की योजना सरकार द्वारा विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नही । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्थित बैंकों पर लागू किया गया उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम

*64—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के बैंकिंग उद्योग पर से यू0पी0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्राविधानों को क्यों हटाया गया ? छोटे एवं कमजोर बैंकों के श्रमिकों को शोषण से बचाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रदेश में स्थित बैंकों का उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के प्राविधानों से छूट इस आधार पर दी गयी थी कि उनके कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें अधिनियम के अधीन उपलब्ध सुविधाओं से बढ़कर है । परन्तु बाद में पुनर्विचार कर शासन ने

दिनांक 30 दिसम्बर, 1977 से बैंकों को प्रदान की गयी छूट सम्बन्धी आदेश निरस्त कर दिया तथा अब प्रदेश में स्थिति सभी बैंकों पर अधिनियम क प्राविधान लागू हैं।

श्रम विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये आरक्षण

*65—श्री विद्या शंकर—

क्या श्रम मंत्री बतावेंगे कि श्रम विभाग के अधीनस्थ श्रम सेवा चार व तीन में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है ? यदि यह आरक्षण निर्धारित कोटे से कम है तो क्या प्रस्तावित सेवा नियमावली में उसके प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्रम विभाग के अधीनस्थ श्रम सेवा के कर्मचारियों का आरक्षण निम्न प्रकार है :—

(क) श्रेणी 4 के कर्मचारियों का श्रेणी 3 में 50 प्रतिशत।
(ख) श्रेणी 3 क कर्मचारियों का श्रेणी 2 में 25 प्रतिशत।

सरकारी कर्मचारियों की उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये आरक्षण का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। यह आरक्षण प्रत्येक सेवा के लिये अलग-अलग है।

*66—श्री राम सजीवन—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली का भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा कथित निरीक्षण

*67—श्री नारायण सिंह भैसोरा—

क्या शासन को जानकारी है कि बरेली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली का निरीक्षण दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 को भूतपूर्व राज्यमंत्री द्वारा किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं और सामग्री जो कम पायी गयी उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्री ओम प्रकाश सिंह, जो पहले राज्य मंत्री रह चुके थे, अक्तूबर, 1976 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली की जिला कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली औपचारिक निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने दिनांक 15-10-76 को संस्थान एवं कर्मशाला को देखा था एवं दिनांक 1-11-76 को प्रधानाचार्य को भेजे गये अपने पत्र में कुछ अनियमितताओं एवं कमियों का उल्लेख किया था। प्रधानाचार्य ने दिनांक 11-11-76 को उन्हें पत्र भेज कर बताई गई तथा कथित अनियमिताओं एवं कमियों के संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया था और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

हरदुआगंज पावर हाउस के जेनरेटर में विस्फोट घटना

*68—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस के जेनरेटर विस्फोट के क्या कारण हैं और उससे कितने रुपयों की हानि हुई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हरदुआगंज पावर हाउस के जनरेटर के विस्फोट के कारण जानने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 23-11-77 को कर दिया गया था जो अपनी पूर्ण आख्या 31-3-78 तक प्रस्तुत करेगी।

कुल हानि के संबंध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ के संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों का मनोनयन

*69—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आवास विकास संघ, लखनऊ में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के नामिनेशन में जो डाइरेक्टर्स का नामिनेशन सरकार को करना है वह अभी तक (10-10-77) न किये जाने के कारण इस संघ से ऋण लेने वालों के ऋणों की स्वीकृति रुकी है ? यदि हां, तो कब तक नामिनेशन हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ के संचालक मंडल में शासन ने अपने 10 प्रतिनिधियों का मनोनयन (अध्यक्ष सहित) दिनांक 14-11-77 को कर दिया है। अतः संघ से ऋण लेने वालों के ऋणों की स्वीकृत रुकी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। संघ के संचालक मण्डल के नामिनेशन में विलम्ब होने के कारण भी ऋण प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृत नहीं रुकी थी।

टाउन एरिया सिसवां बाजार, गोरखपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले मवेशी खानों के हस्तान्तरण के संबंध में अध्यक्ष का प्रार्थना-पत्र

*70—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय पत्र सं0 1709-टी/96-.-टी-14-1958, दिनांक 16 मई, 1966 द्वारा आदेश है कि नगर क्षेत्र समिति सीमा में पड़ने वाले कांजी हाउस का प्रबंध नगर क्षेत्र समिति करे परन्तु इस संबंध में चेयरमैन, टाउन एरिया, सिसवां, गोरखपुर द्वारा पत्र सख्या 125-टी-ए-सी, सिसवां 14 जनवरी, 1976 व 185-टी ए-सी-सिसवां, दिनांक 28 अक्तूबर, 1976 को जिला अधिकारी को लिखा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो कब तक की जायगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

टाउन एरिया सिसवां बाजार, गोरखपुर के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले मवेशीखानों के हस्तान्तरण के संबंध में परगनाधिकारी, महराजगंज को 24-1-76 तथा 28-10-76 को पत्र लिखा था। परगनाधिकारी ने जिला परिषद् से पत्र व्यवहार किया और अब जिला परिषद् प्रश्न गत मवेशीखाने को टाउन एरिया कमेटी, सिसवां बाजार को हस्तान्तरित करने के लिये सहमत हो गई है। मवेशीखाने से संबंधित भूमि, भवन तथा कर्मचारियों के हस्तान्तरण, मूल्यांकन तथा सेवा शर्तों के संबंध में औपचारिकताय पूरी की जा रही हैं।

अतारांकित प्रश्न

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भलुवनी, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

1—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार के निजी सचिव द्वारा दिनांक 1, अगस्त, 1977 को भेजे गए पत्र के साथ श्री कृष्णा राय, विधायक का पत्र जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भलुवनी, देवरिया के कर्मचारियों के अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न था उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भलुवनी, जिला देवरिया के लेखों की विशेष सम्परीक्षा, आन्तरिक सम्प्रेक्षा दल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा कराई गयी थी सम्प्रेक्षा दल की रिपोर्ट के आधार पर भलुवनी के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक श्री आर0 एस0 जायसवाल को दोषी पाये जाने के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

प्रदेश में स्पेशल ग्रेड में कार्यरत महिला डाक्टर

2--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे अस्पताल है जिनमें कि स्पेशल ग्रेड महिला डाक्टरों की आवश्यकता समझी गयी है और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के उन 11 अस्पतालों में जहां पर शैयाओं की संख्या 100 अथवा 100 से अधिक है महिला डाक्टरों के 11 पद स्पेशल ग्रेड में सृजित किये जाने की आवश्यकता समझी गई।

सुल्तानपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की अनिवार्य बचत योजना की धनराशि का भुगतान

3--श्री उदय प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1975 से लागू अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत सुल्तानपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का न तो लेजर बना है और नहीं उनको भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों और आगे कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह--

सुल्तानपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कुल 1135 कर्मचारी हैं और उन सब का लेजर बनवाया जा चुका है। इनमें से 1132 कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है शेष 3 कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान कर दिया जायगा।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय अस्पतालों के अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट

4--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय डिस्पेंसरियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट कार्य कर रहे हैं। क्या यह सही है कि इनमें अनेकों व्यक्ति दस वर्षों से अधिक से उक्त पद पर कार्यरत है किन्तु उन्हें प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया है ? यदि हां तो क्या उन्हें प्रशिक्षित कराने की बात सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह --

इस समय प्रदेश के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में 431 प्रतिशत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट कार्यरत है जिनम कुल 10 वर्ष से अधिक से कार्यरत है। निर्धारित शैक्षिक योग्यता आदि के अभाव में उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों में नहीं भेजा जा सका, किन्तु सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

इलाहाबाद जिले के मलेरिया कर्मचारी संघ का अभियोग-पत्र एवं जांच रिपोर्ट

5—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मलेरिया कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद को जांच सम्बन्धी अभियोग पत्र संख्या एम० डब्लू० ए०/ 77–78/ 3, दिनांक 13 जुलाई, 1977 को जांच की गई है? यदि हां, तो क्यों, उस जांच रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह :—

जी हां, जांच करायी गई। जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में नेत्र रोग के रोकथाम की योजना

6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बढ़ते नेत्र रोगों की रोकथाम के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह —

प्रदेश में बढ़ते नेत्र रोग की रोकथाम के लिये जो व्यवस्था चल रही है तथा जो प्रभावी कदम उठाये जाने की योजना है उनका विस्तृत ब्योरा संलग्नक में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1020 पर)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक कर्मचारियों का स्थायीकरण

7—डाक्टर भगवत दयाल —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का 25 वर्ष से ऊपर सेवाकाल हो गया परन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुये ? इसका क्या कारण है क्या भविष्य में शीघ्र स्थायीकरण करने का विचार है ?

श्री कल्याण सिंह —

जी हां, ऐसे कुल 9 कर्मचारी हैं। इनको अब तक स्थाई न होने का मुख्य कारण यह है कि 1960 में लिपिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो विभागीय परीक्षा हुई थी उसमें उपरोक्त व्यक्तियों की स्थिति काफी नीचे थी। फिर भी उपरोक्त 9 कर्मचारियों में से 3 के स्थाईकरण के बारे में कार्यवाही की जा रही है शेष 6 के बारे में स्थाई पद उपलब्ध हो जाने के बाद कार्यवाही की जायगी।

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कथित शिकायती-पत्र

8—श्री अब्दुल हलीम खां (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ चतुर्थ श्रेणी कमचारियों का उक्त अस्पताल के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र माह जुलाई, 1977 का मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सिविल अस्पताल ,हजरतगंज, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उक्त अस्पताल के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र माह जुलाई, 1977 का प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठाता।

वाराणसी जिले के पिंडरा अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति की मांग

9--श्री ऊदल तथा श्री राम सजीवन --

क्या प्रथम सत्र 1976 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि पिंडरा, जिला वाराणसी में यदि महिला चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है तो क्या महिला डाक्टर की नियुक्ति उक्त अस्पताल में की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

चूंकि पिंडरा, जिला वाराणसी में महिला अस्पताल नहीं है, अतः वहां महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग की आक्जिलरी नर्स मिडवाइफों के स्थायीकरण की मांग

10--श्री ऊदल तथा राम सजीवन--

प्रथम सत्र 1976 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 1961 से कार्यरत मिडवाइफों, नर्सों को अब तक कन्फर्म क्यों नहीं किया गया और यह मामला कब से शासन के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य विभाग में 1961 से कार्यरत आक्जिलरी नर्स मिडवाइफों को अभी तक इसलिये स्थायी नहीं किया जा सका है क्योंकि जिन पदों पर ये कार्यरत हैं वे पद अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं। इन पदों के स्थायीकरण का मामला सन् 1974 से शासन के विचाराधीन है।

11-12--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

बस्ती जिले की कतिपय बाजारों में कथित पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल का निर्माण

13--श्री शिवलाल मित्तल तथा श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि बस्ती जिले के शोहरत गढ़, तेतरी बाजार, नौगढ़ बाजार, बढ़नी बाजार, उसका बाजार में पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु ट्बयूबेल लगे हैं। क्या उनसे पानी की पूर्ति होती है ? यदि नहीं, तो कब तक ट्यूबबेल कार्यरत होंगें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14—श्री हरि केवल प्रसाद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

राजकीय अस्पताल, पडरौना, जिला देवरिया के लिये आवंटित धनराशि

15—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राजकीय अस्पताल पडरौना (देवरिया) में वर्ष मे लगभग छत्तीस हजार रोगियों का उपचार होता है किन्तु औषधि के लिये केवल 6 हजार रुपये बजट में वार्षिक व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या सरकार वार्षिक बजट बढाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

राजकीय अस्पताल पडरौना (देवरिया) में उपचार हेतु आने वाले बाहरी तथा अन्त: रोगियों की संख्या औसत के हिसाब से गत 3 वर्षों में क्रमश: 8844 तथा 167 थी। इस अस्पताल में औषधि हेतु गत वर्ष के आय-व्ययक में रु0 6,400 की धनराशि मूल रूप से आवंटित थी। इसके अलावा औषधियों के लिये 20,000 की धनराशि की व्यवस्था बाद में अतिरिक्त आवंटन द्वारा की गई।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस अस्पताल में औषधियों के लिये मूल आवंटन बढ़ाकर रु0 10,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार औषधियों के लिये अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है।

बांदा जिले के अतर्रा आयुर्वेदिक कालेज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

16—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतर्रा (बांदा) आयुर्वेदिक कालेज में कर्मचारियों को 6 मास से वेतन नहीं मिला? यदि हां, तो क्या सरकार उसे दिलाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी।

श्री कल्याण सिंह—

यह सही नहीं है। आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1977 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। इस संस्था के शेष अनुरक्षण कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिये विशेष परिस्थितियों में 75 प्रतिशत व्यय के आधार पर देय समस्त अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

गोरखपुर जिले की अदालत पंचायत मठिया व बहसुआ के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

17—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गोरखपुर जिले के विकास खंड बरहलगंज के अदालत पंचायत मठिया और बहसुआ में किसी भी ग्राम या ग्राम सभा में बिजली की लाइनें नहीं गई है? क्या यह सही है कि अधिकांश गांवों की आबादी 1 हजार से ऊपर है? यदि हां, तो क्या सरकार उन ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखेगी जिनकी आबादी 1 हजार से ऊपर है और वहां बिजली न देने का कारण क्या है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

गोरखपुर जनपद के विकास खंड बरहलगंज की अदालत पंचायत मठिया और बहसुआ के किसी भी ग्राम या ग्राम सभा में बिजली की लाइन नहीं गई है। विकास खंड बरहलगंज के कुल 205 ग्रामों में से 30 ग्रामों की आबादी एक हजार से ऊपर है इन तीस गांवों की सूची संलग्नक (1) में दर्शायी गई है। इन 30 ग्रामों में से 10 ग्रामों का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है शेष ग्रामों के ग्रामवासियों ने (केवल ग्राम टांडा को छोड़कर) परिषद् के कार्यालय में विद्युत् लेने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जमा नहीं किया है जिससे कि परिषद् द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके। केवल टांडा ग्राम के 15 ग्रामवासियों ने 25 रु0 की अग्रिम धनराशि के साथ परिषद् के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र जमा कर दिये हैं। इस ग्राम का विद्युतीकरण शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयत्न किया हो रहा है। बिजली न देने का मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना-पत्र न देना ही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1022 पर)

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

लखनऊ के इन्द्रपुरी मोहल्ले की हरिजन बस्ती के विकास की मांग

19—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ के इन्द्रपुरी मोहल्ला में पांच वर्ष पहले हरिजन बसाए गए थे और इस मोहल्ले में आज तक प्रकाश, सड़क, जल इत्यादि का कोई प्रबन्ध नहीं है और आज भी इस मोहल्ले के हरिजन बिना दैनिक आवश्यकता के उपयोग के बिना रह रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस हरिजनों के मोहल्ले में जल, सड़क एवं रोशनी पहुंचाने की क्या व्यवस्था की ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लगभग पांच वर्ष पूर्व मोहल्ला इन्द्रपुरी में नजूल भूमि खसरा नं0 428 स्थित कुतुबपुर (बरोलिया), विस्थापितों को इस शर्त पर भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था कि भूमि के प्रीमियम तथा लीज रेन्ट आदि की धनराशि व अन्य शर्तें उन्हें मान्य होंगी। उक्त भूमि पर अभी तक केवल 5 विस्थापितों को बसाया गया है। शेष विस्थापितों को बसाये जाने पर भूमि का किराया और प्रीमियम निश्चित किया जा सकेगा और तभी उस क्षेत्र के विकास के बारे में भी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

गाजीपुर के नवाबगंज अस्पताल के डाक्टर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मारने पीटने की घटना

20—श्री देवराम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज (गाजीपुर) अस्पताल पर नियुक्त डाक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के मेहतर व मेहतरानी को दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को मारा पीटा था और इस घटना को लेकर अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने उसी दिन हड़ताल कर दी थी और जिला अधिकारियों के आश्वासन पर ही कि दोषी डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को लिखा जा रहा है, हड़ताल समाप्त हुई ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। दोषी डाक्टर का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

बांदा जिले के एलाइट सिनेमा के कर्मचारी श्री फारूक अहमद का प्रार्थना-पत्र

21—श्री राम सजीवन—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले के एलाइट सिनेमा कटनी के फारुक अहमद आदि कर्मचारियों ने आपको एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1976 को अपनी कुल मांगों के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। श्रमिकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपना विवाद संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

बांदा जिले के आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में प्रोफेसर पद पर की गयी नियुक्ति

22—श्री राम सजीवन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद निदेशक ने रिसीवर अतर्रा आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, जिला बांदा को दिनांक 13 अगस्त, 1975 को पत्र लिख कर कालेज में प्रोफेसर पद पर किसी रीडर की तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं? आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में प्रोफेसर काय चिकित्सा का पद स्वीकृत है जिस पर नियमित नियुक्ति करने के लिये पद को तीन बार—विज्ञप्ति कराया गया, किन्तु कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला। दिनांक 5 दिसम्बर, 1970 को हुई चयन समिति की बैठक में यह संस्तुति की गई थी कि इस पद को अवनत करके अस्थाई तौर पर रीडर का पद कर दिया जाय और उस पर श्री कमलाकान्त पाण्डे, लेक्चरर को तदर्थ रूप से नियुक्त कर दिया जाय। संस्था की तत्कालीन प्रबंध समिति ने बिना शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये हुये प्रोफेसर के पद को अवनत करके चयन समिति की संस्तुति के विपरीत श्री पाण्डे को दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया था। चूंकि रीडर, कार्य चिकित्सा का कोई स्थाई पद स्वीकृत नहीं है और न ही रीडर के पद के लिये विज्ञापन देकर नियमित चुनाव किया गया है और चूंकि श्री पाण्डे की नियुक्ति अनियमित है, इसलिये उक्त कालेज के रिसीवर के पत्र दिनांक 29—7—75 के संदर्भ में आयुर्वेद निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 13—8—75 द्वारा श्री पाण्डे की नियुक्ति आदेशों में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिये थे न कि प्रोफेसर के पद पर तदर्थ नियुक्ति को निरस्त करने के। संस्था द्वारा संपूर्ण मामले को कानपुर विश्वविद्यालय के निर्णय के लिये संदर्भित किया गया है। विश्वविद्यालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

गोरखपुर जिले में कथित बन्धित गोदाम से पकड़ी गयी शराब

23—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1977 को किसी आबकारी सिपाही ने बन्धित गोदाम गोरखपुर से अवैधानिक शराब पकड़ा था ? सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, जिला देवरिया के विरुद्ध हरिजन कर्मचारी की भूख हड़ताल

24—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि अधिशासी अभियंता, देवरिया, (विद्युत्) के विरुद्ध किसी हरिजन कर्मचारी ने भूख हड़ताल नवम्बर में की थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। एक हरिजन कर्मचारी श्री राजेन्द्र प्रसाद, दैनिक श्रेणी लिपिक, विद्युत वितरण खंड (प्रथम) देवरिया ने दिनांक 25 नवम्बर, 1977 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरु की थी परन्तु दिनांक 30 नवम्बर, 1977 को उनके प्रतिनिधियों एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, गोरखपुर के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता के फलस्वरूप उन्होंने बिना शर्त भूख हड़ताल समाप्त कर दी। जनवरी, 1978 में उनकी पदोन्नति तदर्थ रूप से कर दी गई है।

फर्रुखाबाद जिले के सु0 ना0 मु0 कालेज के माली श्री राम सनेही का नसबन्दी से पीड़ित होने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

25—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज के सु0 ना0 मु0 कालेज के बगीचे का माली का दिनांक 9 सितम्बर, 1977 का भेजा हुआ आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ है जिसमें नसबन्दी से पीड़ित होने और उपचार की कोई व्यवस्था न होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस निर्धन की क्या सहायता की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ कालेज के माली का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। श्री रामसनेही माली का दिनांक 7-11-77 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा विधिवत् परीक्षण किया गया। वह नसबंदी आपरेशन से उत्पन्न परेशानियों से पीड़ित न होकर खांसी से पीड़ित पाये गये जिसके लिये उन्हें चिकित्सालय से औषधियां दी गयीं तथा चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दीगई परन्तु दीपावली त्योहार के कारण उन्होंने भर्ती होने में असमर्थता प्रकट कर पुनः उपस्थित होकर भर्ती होने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहगढ़ द्वारा उन्हें पुनः सूचित किया गया कि यदि उन्हें अब भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो वे अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फतेहगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर अपना इलाज करवायें। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

विविध विषय

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

आपने व्यवस्था बीच में नहीं दी। 10 मिनट पहले 30 तारीख को पत्र मिला और बालिगा साहब रिटायर हो चुके थे। तो जो सज्जन रिटायर हो चुके हैं उनके खिलाफ शिकायत पर क्या गौर नहीं होगा ? उनके पेंशन सम्बन्धी कागजात है। कोई रिटायर हो या न हो लेकिन उसके खिलाफ अगर शिकायत है तो सब चीजों पर इंक्वायरी होगी।

श्री अध्यक्ष —
आप बैठिये ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—
व्यवस्था का प्रश्न है । सम्भल में फिरकेवराना फिसाद हो गया । कई आदमियों की मौत हो गयी ।

श्री अध्यक्ष —
यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । 51 में जब आयेगा तब विचार कर लिया जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—
आज सदन सारा काम छोड़ कर इस मामले पर विचार करें । कल से सदन उठ जायगा और कई दिनों के लिये मामला टल जायगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—
नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष—
आप लिख कर दे दें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क —
मुख्य मंत्री जी की तरफ से एश्योरेंश आ जाय ।

श्री अध्यक्ष—
मुझे नियम 51 के अन्तर्गत नोटिस मिले हैं, इस प्रश्न पर । जब अवसर आयेगा तो मैं उनको लूंगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—
यह मसले गौरे बहस होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष —
यह जब आयेगा तभी तो इस पर विचार हो सकेगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—
मैंने एक व्यवस्था का नोटिस दिया था । कल प्रश्न उठा था । जो संशोधन हमारा था उसे हमने 18 तारीख को सचिव के कमर में दिया था मगर वह मान्य नहीं हुआ । आप नियमावली देखें तो उसके अन्तर्गत जब 17 को अभिभाषण होता है और 18 को धन्यवाद का प्रस्ताव आता है । इस आधार पर संकल्प उठाने के लिये आपने माननीय तिवारी जी को दिया था और वह 22 को संशोधन में एडमिट हुआ । कल आपने हमें अवसर नहीं दिया । लेकिन आपने कहा हम देखेंगे । 36 घंटे के अन्दर दिया जा सकता है । 18 तारीख के बाद 36 घंटे के अन्दर का कोई प्रश्न नहीं उठता । 17 तारीख और 16 तारीख को संशोधन पेश किया जाय । मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कल भी इस पर व्यवस्था दे चुका हूं । माननीय भगवती प्रसाद जी ने आज फिर इस प्रश्न को उठाया है । मैं इस पर पहले व्यवस्था दे चुका हूं । राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधनों को ग्राह्य करने की प्रक्रिया राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पूर्व जो संशोधन प्राप्त हो जायं केवल उनको ही कार्य सूची में सम्मिलित किया जायगा और धन्यवाद के प्रस्ताव में प्रथम संशोधन प्रस्तुत हो जाने के बाद शेष संशोधनों को उपस्थित हुआ माना जायगा ।

संशोधनों की अन्य सूचनाएं अस्वीकार कर दी जायगी और उन्हें कार्य सूची में नहीं रखा जायेगा ।

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिये...(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होने पर) मैंने आपको नियम बता दिया । आप बैठिये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मुझे समुचित उत्तर नहीं मिला । हमें अधिकार है । हम विधान सभा के सदस्य है और उसी आधार पर हम पूंछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने उत्तर दे दिया और व्यवस्था दे दी । जब प्रस्ताव पेश हो गया उसके बाद संशोधन प्राप्त हुआ ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

प्रस्ताव पर आप मुख्य मंत्री, कैबिनेट या सदन से इजाजत लेकर चर्चा का दिन रखेंगे । यह नियम में है लेकिन आपने घोषित नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको व्यवस्था दे चुका हूं । 17 तारीख को गवर्नर का अभिभाषण हुआ । 18 तारीख को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई । मुझे सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है । व्यवस्था यह है कि जब प्रस्ताव पेश हो जाता है उसके पहले ही संशोधन के प्रस्ताव लिये जाते हैं । रियासत हुसैन जी ने कैसे दे दिया...(श्री भगवती प्रसाद सिंह के पुनः खड़े होने पर).. आप बैठ जाइये, मैं उत्तर दे चुका हूं । आप व्यवधान डाल रहे हैं.. (व्यवधान) ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, आपने इस विषय में अपनी व्यवस्था दे दी थी किन्तु उसके बावजूद भी माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी ने उस पर टीका टिप्पणी की है । तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था दिये जाने के बाद भी कोई माननीय सदस्य टीका-टिप्पणी कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि यह अनुचित है । मैं व्यवस्था दे चुका हूं । यह नियम है । इसके अतिरिक्त बहुत से संशोधन हैं । कई लोग संशोधन नहीं दे पाये । तो मैं मजबूर हूं । जब प्रस्ताव

[श्री अध्यक्ष]

पेश हो जाय तो उसके बाद कोई संशोधन नहीं दिया जा सकता। माननीय भगवती प्रसाद सिंह को अपनी बात कहनी थी, उनका वह काम पूरा हो गया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

कल मैंने इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न उठाया था कि अमरीका के राजदूत रौबर्ट गोहीन.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत अभी नहीं दे रहा हूं। चूंकि जिनको मैंने स्वीकार किया है पहले उनको लूंगा नियम 301 के अन्तर्गत।

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

आप बैठिये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आप समय बता दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले मुझे कार्यक्रम के अनुसार चलने दें।

प्रश्नों के उत्तरों में किसी मंत्री के हस्ताक्षर न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। शासन से तारांकित प्रश्नों के जो जवाब मिलते हैं उनमें किसी के दस्तखत नहीं होते हैं और न ही यह पता चलता है कि वह किस तरीके से किसने दिया है। सूची में जब प्रश्न आता है तो उसी दिन 9 या 10 बजे उसके जवाब मिलते हैं। कल मेरा 99 नम्बर पर प्रश्न था और शिक्षा मंत्री से जवाब मिलना था.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

नियम यह है कि मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं। उनका नाम छपा हुआ है। आपके पास जो उत्तर है उसमें लिखा होगा। जो संबंधित मंत्री होते हैं उनके हस्ताक्षर नहीं हुआ करते बल्कि नाम लिखा होगा। यह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिये होते हैं इसलिये जो आपकी आपत्ति है, वह ठीक नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

सबसे पहले मैं 301 की सूचना लूंगा। शतरुद्ध जी, आप बैठिये। व्यवस्था के नाम पर किसी नये प्रश्न को लेने की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करके इस सदन का मूल्यवान समय नष्ट न करें।

घाघरा नहर के निरन्तर कटाव से बस्ती जनपद की भूमि फैजाबाद की ओर बढ़ आने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष जी, बस्ती जनपद में लगभग ढाई सौ गांव घाघरा नदी के कटान से सन् 1950 से अब तक कट कर नदी के दक्षिण तरफ अथवा फैजाबाद की तरफ जा चुके हैं। इस प्रकार प्रति वर्ष 30, 40 गांव कट कर फैजाबाद की तरफ जाते रहते हैं किन्तु घाघरा नदी कभी दक्षिण तरफ फैजाबाद जिले में नहीं काटती। 18 जून, 1966 ई0 में एक जी0 ओ0 द्वारा निर्णय लिया था काश्तकार की भूमि नवेयत में नदी के कटान से दूसरे जिले के सीमा में जाने से अंतर नहीं पड़ेगा। जमीन जब कभी नदी के पेट से बाहर निकलेगी काश्तकार चाहे जिस जगह का हो स्वामित्व बरकरार रहेगा।

खेद है कि शासन नोटिफिकेशन द्वारा बस्ती जिले के उन सभी गांवों को जो 50 से अब तक कटकर फैजाबाद जिले की सीमा में गये हैं फैजाबाद जिले में हस्तांतरित करने के लिये विचार कर रहा है। जो सरासर अन्याय है। इससे बस्ती जिले के लगभग एक लाख किसान परिवार भूमि के स्वामित्व से बंचित होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे और शासन उन्हें पुर्न-व्यवस्थित नहीं कर सकेगा।

अतः शासन को ऐसे गम्भीर पहलू पर तत्काल विचार करके न्यायासंगत निर्णय लेना चाहिये और घाघरा के कटान को रोकने के लिये हमेशा के लिए हल निकालना चाहिये। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष---

आप अब बैठिये। भाषण नहीं करेंगे।

सीतापुर के बकवा झील तथा किवानी नदी में शारदा सहायक नहर का पानी छोड़ देने से महमूदाबाद, सीतापुर के किसानों की फ़सल नष्ट होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शारदा सहायक नहर के पानी को बकवा झील तथा किवानी नदी में छोड़ने से तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। काश्तकारों की सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल पानी में भर जाने से नष्ट हो गई है। रास्ते बंद हैं फलस्वरूप सैकड़ों बीघे गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है बांसुरी तुन्नी बांध के बन जाने से बकवा झील के पानी को निकलने में अवरोध उत्पन्न हो गया है। बांध से लगभग 6 गांव में तीन फसलें संपूर्ण नष्ट हो चुकी हैं काश्तकारों की अधि-ग्रहण की हुई जमीन का आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही फसल की क्षतिपूर्ति का ही कोई कार्य हुआ है। यहां तक नष्ट हुई फसल का लगान भी नहीं माफ किया गया है। तहसील महमूदाबाद परगना सदरपुर के काश्तकार जो इस नदी, झील तथा बंधे से प्रभावित हुए हैं, बहुत ही भयभीत हैं। जनता में हाहाकार मचा हुआ है यदि तुरनी बांसुआ बांध आगे रकार ने बंधवाया तो उन लोगों की जीविका का क्या होगा तथा वे लोग कहां रहेंगे इसकी उन्हें अत्यधिक चिंता लगी हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरायन वर्मा—

अत: उपरोक्त गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए माननीय अध्यक्ष स अनुरोध करूंगा कि इस पर कोई निर्णय लेने की व्यवस्था करायें जिससे कि लोगों का जन जीवन अस्तव्यस्त होने से बच सके।

महोबा व हमीरपुर कस्बों में नगरपालिकाओं की अव्यवस्था तथा रिक्शा व तांगा स्टैण्ड की समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान निम्नलिखित अति लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

हमीरपुर जनपद में महोबा व हमीरपुर कस्बों में नगरपालिकायें कई वर्षों से हैं। यहां पर रोडवेज बस स्टेशन पर्यटन केन्द्र व कई अन्य प्रमुख स्थल हैं। यात्रियों को नगर के एक क्षेत्र से दूसरी ओर ले जाने के लिये सैकड़ों की संख्या में रिक्शे व तांगे यहां चलाये जाते हैं इनसे ये नगर पालिकायें हजारों रुपये वार्षिक आय लाइसेंस व अन्य शुल्क के रूप में लेती हैं। परन्तु इन गरीब रिक्शा तांगा चालकों के भले के लिये एक पैसा भी इन पालिकाओं ने आज तक खर्च नहीं किया है। हमीरपुर जिला केन्द्र का यातायात का एक मात्र साधन रोडवेज बसें हैं। स्थानीय प्रशासन नव नगर पालिकाओं ने इन गरीब रिक्शा व तांगा चालकों के भले के लिये एक भी रिक्शा या तांगा स्टैन्ड हमीरपुर या महोबा में कहीं भी नहीं बनाया है। जिससे बस अड्डे के पास सवारियों की प्रतीक्षा में खड़े इन्हें स्थानीय पुलिस व शोषणकर्ता तत्व नित्य-प्रति अपमानित करते हैं। आये दिन बसों से टकरा जाने से इनके तांगे, रिक्शे टूट जाते हैं व कभी ये घायल होते या जान के लाले पड़ते हैं। सड़कों के किनारे अवैध दूकान भी रख ली गई हैं ये अवैध दुकानदार भी आये दिन इन्हें अपमानित व प्रताड़ित करते हैं कई मुकदमें भी कायम हुए हैं तथा अव्यवस्था पैदा हो रही है। हमीरपुर रिक्शा-तांगा चालक संघ ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र यहां स्टैन्ड बनाया जाय, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हमीरपुर व महोबा के रिक्शा चालक इस दुरवस्था से अत्यन्त भयभीत व असुरक्षित महसूस करते हैं। मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अन्त्योदय की भावना से प्रेरित सरकार कैसे इस अत्यन्त पिछड़े तबके की इतनी महत्वपूर्ण मांग के प्रति उदासीन है।

अत: श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से इस संदर्भ में वक्तव्य की मांग करता हूं तथा अविलम्ब प्रभावी कदम उठाते हुए इन गरीब रिक्शा व तांगा चालकों की अति महत्वपूर्ण इस समस्या को हल करने की मांग करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उन्नाव को आटोमोबाइल इकाइयों का माल न खरीदने से आठ इकाइयों के बन्द होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की परिषद् द्वारा उन्नाव नगर में आटोमोबाइल्स काम्पलेक्स की—

1—आटोमोटिव एण्ड इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज, 2—कानपुर पालीमेरस प्रा0 लि0, 3—निर्माण आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स, 4—देवादरी ऐण्ड राज,

5—विजय इलेक्ट्रिकल, 6—इन्जीनियर रीट्रेडर्स, 7—आर्यवर्त आटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, 8—सूद एण्ड कम्पनी। इन आठ इकाइयों द्वारा उत्पादित माल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनवरी, 1978 से अब तक न खरीदे जाने के कारण सभी इकाइयों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के बेरोजगार व बेकार हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

स्मरणीय है कि अक्टूबर, 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की संयुक्त प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े स्थानों को विकसित करने की योजना के अन्तर्गत तकनीकी उद्यमियों को निजी व्यापार हेतु उन्नाव में एक आटोमोबाइल्स काम्पलेक्स की स्थापना की गयी थी जिसमें देश के उच्च शिक्षा प्राप्त एवं पूर्ण अनुभवी अभियन्ताओं द्वारा बारह औद्योगिक इकाइयां लगायी गई थीं उन इकाइयों की स्थापना के समय उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के मध्य यह अनुबन्ध हुआ था कि सड़क परिवहन निगम 75 प्रतिशत उक्त इकाइयों द्वारा उत्पादित माल 20 प्रतिशत लाभ वापसी पर खरीदेगा लेकिन उक्त अनुबन्ध की अवहेलना कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बिलकुल खामोश बैठा है जिससे इन इकाइयों के उद्यमियों व कर्मचारियों के समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है यदि सरकार ने अविलम्ब इस ओर ध्यान न दिया तो पिछड़े हुए जिलों और स्थानों के विकास की आशायें धूमिल हो उठेंगी साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम का लगभग एक करोड़ रुपया डूब जायगा।

अति महत्वपूर्ण इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह अपनी बचनबद्धता को दृष्टि में रखते हुए स्वत: कार्य तथा निजी व्यापार (सेल्फ इम्प्लायमेन्ट) को प्रोत्साहन देने हेतु सड़क परिवहन निगम को उत्पादित माल खरीदे जाने सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश देगी ताकि इकाइयां बन्द न हों और उनमें लगे हुए सैंकड़ों श्रमिकों को बेकार व बेरोजगार होने से बचाया जा सके।

प्रदेश के शीत गृहों के मालिकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल करने से आलू उत्पादकों में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रूखाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शीतगृह मालिकों द्वारा दिनांक 28-3-78 को लिये गये निर्णय से, जिसके अनुसार उन्होंने काश्तकारों से आलू रखने के भाड़े के दाम बढ़ाकर 13 रुपये प्रति कुन्तल लेने का निश्चय किया है। तमाम प्रदेश में चालू उत्पादकों के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। सर्वाधिक आलू उत्पादक जनपद फर्रूखाबाद में लगभग 50 शीतगृह हैं, जिनमें पर्याप्त क्षमता होते हुए भी मिल मालिकों ने काश्तकारों का आलू लेना बन्द कर दिया है और इस समय लगभग 5 लाख बोरा आलू विभिन्न शीतगृहों के सामने चिल चिलाती धूप में जमा है तथा गरीब काश्तकार भूख प्यास से छटपटाता घूम रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि काश्तकारों को बाध्य हो कर 25 से 30 रुपये प्रति बोरे तक कम दामों पर मिल मालिकों को आलू बेंच देने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। यही नहीं हजारों टन आलू धूप और गर्मी से सड़ने लगा है और यदि तत्काल प्रभावी कदम न उठाये गये तो सारा आलू सड़ जायगा और गरीब किसान के लिये यह मौत का पैगाम होगा। इससे घोर असंतोष व्याप्त है और काश्तकार क्षोभ के वशीभूत होकर आन्दोलन पर उतारू हो सकता है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी आपके द्वारा मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। श्री द्विवेदी जी ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि शीतगृहों में किसानों से बहुत ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। कृषि मंत्री इस पर अविलम्ब ध्यान दें और सदन को सूचित करें कि किसानों के हितों की रक्षा के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। कृपया कृषि मंत्री जी को इसके लिये सूचित करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुरादाबाद जनपद में सम्भल नगर में एक बड़ी अभूतपूर्व साम्प्रदायिक घटना घटित हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

वह अलग प्रश्न है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मै यह निवेदन करना चाहता था कि आपने सही कहा, पूरे प्रदेश में यही हालत है। कोल्ड स्टोरेज वाले इतना पैसा ले रहे हैं कि तबाह हो रहा है किसान।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तमाम प्रदेश के लिये निर्देश किया।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर) शतरुद्ध जी, आप तो इतना व्याकुल नहीं होते थे, इतना क्यों व्याकुल हैं ?

कानपुर में एक पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा एक हरिजन बालिका का अपहरण तथा एक अन्य हरिजन के घर में लूटपाट करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मै इस शासन के लिये दो लज्जाजनक घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो कानपुर जनपद में घटित हुई हैं। दोनों घटनाएं हरिजनों से सम्बन्धित हैं। कानपुर में एक हरिजन परिवार के साथ दिल हिला देने वाली यह घटना जिसमें उसकी 15 वर्षीय बालिका का अपहरण पुलिस कांस्टेबिल द्वारा किया गया और दो माह तक पुलिस व पुलिस अधिकारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे है और अनेक तरह की यातनाएं देते रहे। यह घटना प्रजातांत्रिक प्रशासन के मुंह पर तमाचा हैं और पुलिस की लज्जाजनक कार्यवाही से इस समय हरिजन परिवार का जीवन खतरे में है।

16 मार्च को दैनिक जागरण में विस्तृत विवरण आया था। इफ्तखाराबाद, कानपुर में निवास करने वाले एक हरिजन परिवार की पुत्री मुन्नी देवी, उम्र 15 वर्ष का अपहरण कोतवाली में तैनात एक सिपाही ने किया, 11 फरवरी सन् 1978 को जब पुलिस अधीक्षक श्री राय से स्थानीय एम0पी0 की मदद से घटना प्रकाश में लायी गयी तब पूरे 12 दिन बाद 23 फरवरी को बरामद किया गया। आश्चर्य यह है कि पुलिस सिपाही व उसके मामा को बचाने के लिये उच्च पुलिस अधिकारियों ने लड़की की बरामदगी इसी हरिजन परिवार के एक सदस्य जो होमगार्ड में सिपाही था, दिखायी गयी।

भोली-भाली हरिजन युवती मुन्नी के साथ केवल अपराधी सिपाही ने ही बलात्कार ही नहीं किया वरन् इसमें थाना छावनी के इंस्पेक्टर तथा अनेक अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हो

कर अपना मुंह काला करते रहे, युवती बिलखती रही थाना छावनी इंचार्ज और सी० ओ० ने इसकी कोई परवाह नहीं की ।

लज्जाजनक बात यह है कि जानबूझकर लड़की की बरामदी देर में की गयी । बरामदी के बाद सिपाही को बचाते हुए इसी हरिजन दुखी परिवार के दो सदस्यों को अपहरण के आरोप में जेल भेज दिया । परिवार को जान से मारने की धमकी पुलिस द्वारा दी जा रही है ।

दूसरी घटना भी पुलिस के लिये बड़ी लज्जाजनक है जो आज दैनिक 23-3-78 के अंक में निकल चुका है । कानपुर नर्वल थाने के ग्राम रामपुर निवासी घसीटा हरिजन के घर 21 मार्च को रात को तीन दरोगा तथा चार सिपाहियों ने घर में घुस कर लूट-पाट की ।

घसीटा हरिजन उस रात दूसरे गांव गया हुआ था रात में उसकी पत्नी घर में थी । अचानक सिपाहियों ने उनका दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही दरोगा और सिपाही जो शराब के नशे की हालत में थे महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसके पति के संबंध में पूछ तांछ की । इसी बीच कुछ सिपाहियों ने बक्से में रक्खे 15 सौ रुपये निकाल लिये । तीन दरोगा व सिपाही रात भर गांव में रहे और सुबह चले गये । खसीटा हरिजन ने विकास बैंक में किस्त जमा करने के उद्देश्य से उक्त रुपये रक्खे थे ।

इस घटना से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जा चुका है और जांच के नाम पर उक्त मामला दबाया जा रहा है । आपके माध्यम द्वारा सिपाहियों को जिन्होंने यह दुष्कर्म किये, निलम्बित करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें जिसमें हरिजन समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि सरकार ने हरिजनों पर अत्याचारों की जांच करने के लिये विशेष रूप से प्रदेशीय स्तर पर व्यवस्था की है और जिलों को इस तरह के आदेश दिये हैं तो इस तरह की जो घटनायें अखबारों में निकलती हैं और जिसकी ओर गुलाब सेहरा जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, शांति-व्यवस्था के हित में होगा कि इन पर ध्यान दें और जो जानकारी हो उसको सदन को दे और अगर इसमें सत्यता है तो कार्यवाही करें । इस पर सरकार अपनी रिपोर्ट मंगवाये और सदन को सूचित करे ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था है ?

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

गुलाब सेहरा ने जो घसीटे हरिजन की बात कही है वह बिलकुल गलत है । मैं घसीटे हरिजन के घर गया था ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था है ? यह प्रतिवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

मैंने मौके पर जाकर जानकारी की है । मैंने उसकी मां से पूंछा । यह बिलकुल गलत है । यह केवल प्रशासन को बदनाम करने के लिये कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच करने के लिये मैंने कहा है । यह सदन आपके मन में क्या आक्रोश है इसको इस तरह से प्रकट करने का स्थल नहीं है । आप किसी नियमानुसार सूचित करें जैसे नियम 51 या 301 है । इस तरह खड़े होकर विवाद करना नियम के विरुद्ध है ।

अमेरिका के राजदूत श्री राबर्ट गोहीन तथा मुख्य मंत्री के बीच हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

कल मैंने सदन में एक प्रश्न उठाया था कि अमेरिका के राजदूत आये थे और वह उत्तर प्रदेश के दौरेपर भी 27 तारीख को यहां आये थे और मालूम हुआ कि उन्होंने मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान सूबे की खेती के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में बातचीत की और उन्हें कुछ उपहार दिये और उन्होंने भी कुछ उपहार दिये । यह सार्वजनिक सम्पत्ति है, यह मेरा कहना है, यह कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है । आज वित्त आयोग बैठ रहा है । एक सनसनीखेज खबर है कि रावर्ट गोहीन ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे में काफी रुचि लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि श्री गोहीन से और मुख्य मंत्री जी से क्या बातें हुई हैं और उन्हें क्या उपहार दिये तथा लिये गये हैं । इसकी जानकारी सदन को दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने उपहार क्या लिया और क्या उनको दिया गया, इस संबंध में आप पृथक से कोई प्रश्न लिख कर दें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा । इस संबंध में जो प्रश्न किया गया है यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को कोई निर्देश नहीं दे सकता हूं, लेकिन यदि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उस पर कोई प्रकाश डालना चाहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी डाल सकते हैं ?

(माननीय मुख्य मंत्री जी के खड़े न होने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सूबे के विकास के लिये सूबे की कृषि के लिये . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, इस प्रकार से बोलना सर्वथा अनुचित है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालने के लिये तैयार हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, अमेरिका के राजदूत का बजट से पहले यहां पर आना और मुख्य मंत्री जी का उस बारे में कुछ न बताना प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है । उन्होंने हमारे प्रदेश में कोई स्वार्थ सोचा है तभी वे यहां पर आये । माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने कोई आक्षेप नहीं किया है सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अमेरिका के राजदूत प्रदेश में आये और प्रदेश की कृषि, प्रदेश के आर्थिक नियोजन आदि पर माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी बात हुई और 'विकास' के कार्यों पर भी बात चीत हुई । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बताया कि कृषि पर हम 43 प्रतिशत व्यय करने जा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी से एक वक्तव्य दिला दें? हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, केवल सूचना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस संबंध में अपना मत दे चुका हूं । यह स्वयं मुख्य मंत्री जी को निर्णय करना है, मुख्य सचिव से क्या बातें हुई, कैबिनेट में क्या बातें हुई, किसी पत्र के अन्दर क्या निकला उस सब के आधार पर अगर आप रोज वक्तव्य दिलाने की मांग करें तो कहां तक उचित होगा? एक सूचना आप लोगों ने दी । मैंने कहा मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं कोई वक्तव्य के लिये निर्देश नहीं दे रहा हूं, मुख्य मंत्री जी यदि स्वतः उचित समझते हैं तो इस पर प्रकाश डाल दें । उन्होंने सुन लिया और वे नहीं उठे, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्न ले रहा हूं । (व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, नियम 301 में मैंने एक सूचना दी थी । जिला मुरादाबाद में संभल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे सदन के समय पर अतिक्रमण न करें । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को मैं स्वीकार करता हूं उनके नाम ले लेता हूं । उसके बाद माननीय सदस्य खड़े हो कर यह कहें कि उन्होंने यह सूचना दी थी, वह दी थी, तो यह कार्यवाही का भाग भी नहीं होगी । बार-बार खड़े होकर कहना कि मुरादाबाद जिले में संभल में यह हो गया वह हो गया, उचित नहीं है । जब मैं नियम 51 के प्रश्न लूंगा, तब मैं देखूंगा । कई माननीय सदस्यों ने नियम 51 के अन्तर्गत संभल में जो झगड़ा हुआ है उस पर सूचनायें दी हैं, मैंने इस को स्वीकार भी किया है । आपने उसको शून्य प्रहर के के लिये दिया है । चूंकि मैं इसे नियम 51 में स्वीकार कर चुका हूं इसलिये इसे शून्य प्रहर में नहीं ले रहा हूं ।

विशेषाधिकार की एक सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह जी की विद्युत् विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ है, दूसरी सूचना माननीय वीरेंद्र पति यादव की, पायनियर, स्वतंत्र भारत एवं दैनिक जागरण आदि समाचार-पत्रों के विरुद्ध है और तीसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री सुखपाल पांडेय की माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के खिलाफ है ।

इसको मैंने अभी देखा नहीं है । चार तारीख को देखने के बाद निर्णय दूंगा और आवश्यकता हुई, जिन लोगों ने मुझे सूचना दी है,उनसे भी मैं परामर्श करूंगा और उनको अवसर दूंगा, यदि आवश्यकता हुई ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, इसे आप सुन लें । आज के एजेंडे पर जो मैंने आपको विशेषाधिकार की सूचना दिया है वह आज के एजेंडे के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के संबंध में

[श्री कल्पनाथ सिंह]

है । आपने 4 तारीख के लिये उस विशेषाधिकार की नोटिस को अपना निर्णय देने के लिये सुरक्षित रख लिया । ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल एक निवेदन करना है कि यह आज की कार्यवाही का भाग हो जायगा। इसलिये श्रीमन्, जब तक आप उसको देख न लें और उस पर निर्णय न दे लें, तब तक जो गलत उत्तर सदन में दिया जा रहा है, उसको इस कार्यवाही का भाग न बनने दें । यह मेरा निवेदन है। आप इस पर अपना निर्णय देने तक इस कार्यवाही की बात को भी रोक दें या इस प्रश्न को ही समाप्त कर दें । लेकिन कोई गलत उत्तर सदन की कार्यवाही में छपे, यह तो परम्परा कृपा करके न कायम हो ।

श्री अध्यक्ष---

यदि कोई गलत बात छपती है, तो उसको बाद में निकाला जा सकता है । मैंने आपके प्रश्न को स्थगित कर दिया है 4 तारीख के लिये । मैं सारी बातों को देखने के बाद निर्णय करूंगा, ग्राह्य है कि एक नहीं है और यदि ग्राह्यता के बारे में आपकी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य आपकी सहायता लूंगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन देने के संबंध में श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाई गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष---

श्री राम आसरे वर्मा ने मुझे सूचित किया है कि 29 मार्च, 1978 को वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे । उनका कथन यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधनों को सदन में विचारार्थ स्वीकार करने का जो तरीका अपनाया गया, वह पूर्णतया अवैधानिक था । किसी भी प्रस्ताव के सदन में विधिवत् प्रस्तुत किये जाने से पहले कोई भी संशोधन नहीं दिया जा सकता । यदि दिया जाता है तो उसे स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। माननीय राम आसरे बहुत पुराने सदस्य हैं । बिल गजट में प्रकाशित होते हैं, पुरास्थापित होते हैं, उसकी सूचना सदस्य को होती है, वह संशोधन दे देते हैं, कोई नई परिपाटी नहीं है । जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण हुआ 17 तारीख को प्रस्ताव की सूचना मिल गयी । प्रस्ताव की सूचना मिलने के बाद संशोधन जो प्रस्तुत करना चाहते थे उन्होंने संशोधन दे दिया । इसमें कोई अनियमितता नहीं है । यह जो आपका कथन है कि पहले प्रस्ताव पेश हो, उसके बाद संशोधन हो, तो क्या आपने कभी कार्यक्रम को देखा है, पहले कभी ऐसा हुआ है कि मंत्री अपना बिल पेश करे, उसके बाद सदस्य उसमें अपने संशोधन दें । बिल पहले कार्यक्रम में आता है, उसके साथ संशोधन भी आ जाते हैं।तो इस संबंध में मैं व्यवस्था दे चुका हूं । इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं व्यवस्था दे चुका हूं । मेरी व्यवस्था के बाद प्रश्न पूछना नियमों की अवहेलना है ।

प्रदेश में हुई ओला वृष्टि के संबंध में होने वाले वक्तव्य की तिथि निर्धारण

श्री अध्यक्ष---

प्रदेश में जो ओला वृष्टि से क्षति हुई हैं, राजस्व मंत्री जी इस पर 6 अप्रैल को वक्तव्य देने के लिये स्वीकार कर लिया हैं । इस संबंध में हमारे पास बहुत से जिलों के माननीय सदस्यों ने नियम 301 और 51 में प्रश्न दिये है । मैंने इसलिये उनको नहीं स्वीकार

किया कि 6 अप्रैल के लिये मैंने माननीय मंत्री जी को वक्तव्य के लिये कहा हैं और जब वक्तव्य आयेगा, उनको अवसर मिलेगा । जिन सदस्यों ने नोटिस दी हैं वह हैं श्री राम वक्श वर्मा, फर्रुखाबाद जिले में ओला वृष्टि, श्री त्रिलोकचन्द, बुलन्दशहर में ओला वृष्टि, श्री राजेंद्र कुमार गुप्त प्रदेश में ओला वृष्टि, श्री राम नारायण वर्मा, सीतापुर में ओला वृष्टि, श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा, बांदा में ओला वृष्टि, श्री राधेश्याम शर्मा, मथुरा में ओला वृष्टि, श्री शतरुद्ध प्रकाश, मिर्जापुर में ओला वृष्टि, श्री दीप नारायण पांडे, गोंडा में ओला वृष्टि, श्री बाबूराम वर्मा, बस्ती में ओला वृष्टि, श्री कमला प्रसाद वर्मा, बहराइच में ओला वृष्टि श्री विद्याशंकर पांडे, प्रतापगढ़ । एक नोटिस आज मुझको मिली थी, श्री गुरुप्रसाद शास्त्री अलीगढ़ की । इन सब जिलों के बारे में जिन जिलों के नाम मैंने लिये हैं माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया उनके संबंध में भी ओला वृष्टि से कहीं क्षति हुई हैं तो आवश्यक सामग्री इकट्ठी कर लें ताकि माननीय सदस्यों को सूचना हो जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न हैं । जिन जिलों की सूचना मिली हैं, उनके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में जहां ओला वृष्टि से क्षति हुई, सूचना मंगा ली जाय और जगह भी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मैं दे चुका हूं । इसमें चूंकि पृथक से दिया है इसलिये पढा गया, सबके लिये कह चुका हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रदेश के जिस भी अंचल में ओला वृष्टि हुई हैं उन सब जगहों की रिपोर्ट मंगा ली जायगी ताकि उस वक्तव्य में उसका समावेश हो ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति के कार्यकाल के वृद्धि का प्रस्ताव

श्री शिव मंगल सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, 17 मार्च, 1978 को विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा संबोधन के अवसर पर किये गय अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये इस जांच समिति का गठन किया गया था । यह भी निर्देश हुआ था कि समिति अपना प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर सदन को दे देगी । मान्यवर, इस संदर्भ में जांच समिति की दो बैठकें हुई हैं 22 मार्च को और 28 मार्च को । इसी बीच में बहुत सारी छुट्टियां पड़ गयी हैं और संभव नहीं प्रतीत हो रहा है कि इतनेअल्प समय में समिति समुचित ढंग से जांच करके अपना प्रतिवेदन सदन को 15 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सके। इसलिये मैं जांच समिति की तरफ से माननीय सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इस समिति का समय एक माह का और बढ़ा देना चाहिये ताकि उचित रूप से कार्यवाही की जा सके ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन क समक्ष प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि दिनांक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा संबोधन के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1978 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करें, और

[श्री शिव मंगल सिंह]

चूंकि उक्त समिति उक्त निर्दिष्ट कार्य को इस अवधि में सम्पन्न नहीं कर सकेगी, अतएव यह सदन यह निदेश देता हैं कि उक्त समिति को उसके द्वारा जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय एक माह बढ़ाया जाय।"

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

इसमें 'एक माह बढ़ाया जाय" की जगह एक माह और बढ़ाया जाय जोड़ दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष---

इसका मतलब यह है कि 15 दिन के बजाय 'एक महीना और' पर इसका मतलब यह है कि आज से पेश हो रहा है तो आज से एक महीने का समय ।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री शिवमंगल सिंह ने समिति की अवधि बढ़ाने के लिये रखा है उसके अनुसार एक माह और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भीमा प्रसाद द्वारा दल बदलने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री भीमा प्रसाद ने मुझको एक पत्र दिया है। चूंकि मेरे पास माननीय नारायण दत्त तिवारी से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि वह उनके दल में दल बदल करके चले गये इसलिये इस पत्र को मैं नहीं ले रहा हूं। यदि वह पत्र देंगे तब मै उसको पढ़ कर सुना दूंगा। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं कि उन्होंने इंदिरा कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है।

लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों तथा निकायों के निर्वाचन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा की (1) लोक लेखा समिति, (2) 28 स्थायी समितियां तथा निम्न निकायों--

1---चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड,

2---नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड,

3---इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा,

4---आगरा विश्वविद्यालय की सभा,

5---उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

6---कानपुर विश्वविद्यालय की सभा,

7---काशी विद्यापीठ की सभा,

8---गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा,

9---अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी,

10---रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट,

11---गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड,

12---राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड,

13---माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,

के निर्वाचन के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 1978 को मतदान की तिथि नियत की गयी थी। चूंकि उक्त समितियों एवं निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त जो नाम हैं उनके वापस लिये जाने की संभावना है। अतः मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि--

"लोक लेखा समिति, 28 स्थायी समितियों एवं उक्त निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम में नामों की वापसी के लिये 18 मार्च, 1978 को अपरान्ह 4 बजे तक का समय निर्धारित था और मतदान आज 30 मार्च, 1978 को पूर्वान्ह साढ़े 10 बजे से 5 बजे अपरान्ह तक होना था, इस संबंध में निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधी सम्बन्धित उपबन्धों को निलम्बित करते हुये नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के अपरान्ह 4 बजे तक बढ़ा दिया जाय तथा मतदान यदि आवश्यक हो तो दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को पूर्वान्ह साढ़े 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जाय।"

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उससे सहमत हूं, उसे स्वीकार कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि लोक लेखा समिति, 28 स्थायी समितियों एवं उक्त निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम में नामों की वापसी के लिये 18 मार्च, 1978 को अपरान्ह 4 बजे तक का समय निर्धारित था और मतदान आज 30 मार्च, 1978 को पूर्वान्ह साढ़े 10 बजे से 5 बजे अपरान्ह तक होना था, इस संबंध में निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधी उपबन्धों को निलम्बित करते हुए नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय दिनांक 11 अप्रैल, 1978 अपरान्ह 4 बजे तक बढ़ा दिया जाय तथा मतदान यदि आवश्यक हो तो दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

जो आज चुनाव होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है।

सम्भल मुरादाबाद में हुये साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय रियासत हुसैन ने दी है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 29 मार्च, 78 को सम्भल शहर, जिला मुरादाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगे में लगभग 100 व्यक्ति घायल हुए हैं और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसी के संबंध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देव बहादुर सिंह जी ने दी है। इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं लेकिन मैंने मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में कहा भी है और निर्देश दे रहा हूं कि इस संबंध में वह पूर्ण विवरण प्राप्त करने के बाद सूचना दे दें। चूंकि मैंने इसलिय नहीं स्वीकार किया कि नियम 51 में भी कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, जिनको मैंने स्वीकार कर लिया है और मुख्य मंत्री जी के पास वक्तव्य देने के लिये भेज दिया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना अखबारों में भी छप गयी है । इस वक्त स्थिति क्या है और शासन ने क्या-क्या कदम इस वक्त तक उठायें हैं यह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि 4 दिन के लिये सदन उठेगा हम लोग अपने जिलों में जायंगे तो कम से कम यह मालूम हो जाय कि शासन ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ताकि जनता के अन्दर भी कुछ कहा जा सके ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, अभी तक जो सूचना प्राप्त हो सकी है उस आधार पर 29 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुरादाबाद जिले के सम्भल क्षेत्र में हुई । मान्यवर, ऐसा हुआ कि होली के दिन एक कालेज ने जिसका नाम एम0 जी0 एम0 कालेज, सम्भल है, डिग्री कालेज है, वहां पर होली के दिन जिस तरह से विद्यार्थी एक दूसरे को टाइटिल्स देते हैं, दिया । टाइटिल्स विद्यार्थियों ने दूसरे विद्यार्थियों और टीचर्स के नाम से दिया । उस समय कुछ लोगों को उससे शिकायत हुई और दो अन्य साम्प्रदाय की लड़कियों के सम्बन्ध में एक व्यक्ति ने उसका विरोध करने के सिलसिले में शहर में जुलूस निकाला। 30 व्यक्तियों के साथ जुलूस निकाला । जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वह मंजर सफी नाम का व्यक्ति था । जिसके बारे में सूचना है कि वह सांप्रदायिक मनोवृत्ति का व्यक्ति है । जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ कि ऐसा व्यक्ति 30 आदमियों के साथ शहर में जुलूस निकाल रहा है तो गिरफ्तारी की गयी । जैसे ही गिरफ्तारी की गयी तो वहां पर और भी मजमा इकट्ठा हो गया । नतीजा यह हुआ कि एक मकान और एक दूकान को जलाने का काम हुआ जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई । पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया । बाद में अन्य स्थानों पर भी मजमा इकट्ठा हो गया और जिस तरह से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में पत्थर बाजी हो जाया करती है, हुई पुलिस को गोली चलानी पड़ी । कुछ लोग घायल हुए लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई । लोगों की मरहम पट्टी कर दी गयी एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 मौके पर तुरन्त पहुंच गये । तो जो सूचना है उसके अनुसार साढे 3 बजे तक पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया । बाकी जो अन्य सूचना आयेगी तो विस्तार से जैसा आपने आदेश दिया है मुख्य मंत्री जी 4 तारीख को सदन में बयान दे देंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से 29 फरवरी, सन् 76 को सम्भल में कम्युनल रायट हुआ था । मैं उस वक्त जेल में बन्द था, इमरजेंसी का जमाना था । लेकिन कल 29 मार्च को फिर उसी किस्म की दुर्घटना सम्भल के अन्दर हुई । ऐसा मालूम होता है कि 29 तारीख का दिन सम्भल के लिये बदकिस्मती का है और जब 29 तारीख आती है तो शायद इस किस्म के हालात पैदा होने का अंदेशा होता है । मैं चाहता हूं कि जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, चूंकि स्थिति बहुत गम्भीर है । जहां तक मेरी जानकारी है कई व्यक्ति इसमें मारे गये हैं और दूकानों को आग भी लगी है मकानों को भी जलाया गया है जिसकी वजह से सम्भल की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक और गम्भीर है ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन आज ही चर्चा इस मसले पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के तहत करे । चूंकि हमने लोगों ने तथा बाबू बदरे जी वगैरा ने कार्य-स्थगन की मांग की है । इन हालात में यदि सदन इस पर चर्चा नहीं करता है तो वह फिर किन हालात पर चर्चा करेगा चूंकि यह देश के एडीमिनिस्ट्रेशन का सवाल है । हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति बहुत ही अफसोसजनक है । इसलिये देश की हालत को ठीक करने के लिये जरूरत इस बात की है कि इस पर कड़ा ऐक्शन लिया जाय और जिन लोगों ने इस सिलसिले में जो दुर्घटनायें की हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये वरना देश की हालत को बिगाड़ने और प्रशासन को खराब करने के लिये इसी तरह से होता रहेगा हो सकता है कि इसमें कुछ सियासी

तौर पर बैकग्राउन्ड में कुछ किया जा रहा हो लेकिन उसका मुझे सही पता नहीं है। इस लिये मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरे क्षेत्र का मसला है और वहां के सभी हिन्दू और मुसलमानों से मुझे प्यार है। होली पर मैं वहां मौजूद था। हिन्दू और मुसलमानों ने होली प्रेम से मिली। हम लोगों ने जगह-जगह चाय का इन्तजाम कराया था और हिन्दुओं को बुलाकर पार्टी दी गई और गले मिले। उस समय वहां कोई बात नहीं थी। सम्भल हमेशा से प्रेम का क्षेत्र रहा है और एक दूसरे से प्रेम रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप बड़ी लम्बी तकरीर कर रहे हैं। थोड़े में कहें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मैं चाहता हूं और मैंने कल मुख्य मंत्री जी से गुजारिश की है कि वह स्वयं सम्भल तशरीफ ले चलें और जो भी मुनासिब समझें, वह ऐक्शन लें। स्थिति को सुधारने के लिये तुरन्त ऐक्शन लिया जाय ताकि दूसरी जगहों पर यह स्थिति पैदा न होने पावे चूंकि मुरादाबाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मेरी अपील है कि इस समय वह इस पर चर्चा करायें। यदि नहीं करायी गयी तो मैं इस सदन का त्याग करूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैंने चर्चा की मांग की है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठें। इस पर अब विवाद नहीं होगा।

इस प्रश्न पर कार्य-स्थगन की सूचना केवल मेरे कार्यालय में श्री रियासत हुसैन और श्री देव बहादुर सिंह जी ने दिया है। श्री शफीकुर्रहमान बर्क की न कोई सूचना है और न अन्य माननीय सदस्यों की।

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय अध्यक्ष बोलते हों उस समय आप लोग शांत रहें। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि वह हिन्दू मुसलमान की एकता का सर्वोपरि ध्यान रखना चाहते हैं तो कम से कम जैसे लखनऊ में शिया-सुन्नी का झगड़ा हुआ और बाद में उसकी प्रतिक्रिया कानपुर में हुई, उसको देखते हुए एक विज्ञप्ति की दृष्टि से उसको पढ़ने की कोशिश न करें। मैंने इस प्रश्न को लिया और नियम 51 में माननीय रियासत हुसैन और कई सदस्यों ने दिया, उसको स्वीकार किया। कार्य-स्थगन का भी नियम है। श्री बर्क ने कहा कि मैं सदन का त्याग करूंगा। बर्क साहब पुराने सदस्य हैं। कार्य-स्थगन संबंधी जो नियम है उसको पढ़ लें। उसमें यह है कि अगर कार्य-स्थगन करना है तो 4 बजे इस प्रश्न को लिया जा सकता है। मैंने तो अभी इस प्रश्न की अहमियत को समझते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा कि इस संबंध में आप प्रकाश डालें। उनके पास जितनी सूचना थी उन्होंने प्रकाश भी डाला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण विवरण मंगा रहे हैं। वहां पर डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर, उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। इस सदन के अन्दर वादविवाद के लिये सारा कार्य रोक दिया जाय। कार्य-स्थगन के नियमों के खिलाफ है। अगर यह स्वीकार भी होता है तो 4 बजे लिया जा सकता है, इससे पहले नहीं जब तक इस पर गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट न हो, आप केवल भाषण दें तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे अत्यन्त खेद है कि लखनऊ के बारे में बहुत

[श्री अध्यक्ष]

से सदस्यों ने बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिया कि इतने आदमी मर गये, इतने आदमी अरेस्ट कर लिये गये । कोई तथ्य नहीं था । जो अरेस्ट हुए वह कुछ हजार की जगह कुछ सौ व्यक्ति थे । मृत्यु के बारे में कहा गया कि इतने व्यक्ति मर गये । उसी का नतीजा यह हुआ कि कानपुर के अन्दर बेगुनाह लोगों की जानें गयी । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत अवसर तकरीर करने का मिलेगा । ठीक है, जिले के लोगों को इससे संबंध है । कम से कम मानवता सर्वोपरि है और हिन्दू मुसलमानों के संबंधों को बेहतर रखने के लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तेजनापूर्ण वातावरण न पैदा करें । इससे कोई मदद नहीं मिलेगी । मैंने दफा 51 में इसको स्वीकार किया है । आपका कार्य-स्थगन का जो मकसद था वह वस्तुतः पूरा हो गया ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री शफीकुर्रहमान वर्क सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री बाबू बदरे—

नियम 52 में मैंने नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष—

52 का नोटिस होता है तो दो घंटे की चर्चा सामान्य कार्य के उपरान्त होती है 52 की सूचना स्वीकार नहीं किया है । उससे ज्यादा तो 51 का स्वीकार किया है । आप गौर कीजिये माननीय बाबू बदरे, मैं तो नियम 51 में स्वीकार कर चुका हूं । मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी से कहा है कि आप कृपया 4 बजे तक प्रयास कीजिये कि सम्भल की स्थिति पर पूर्ण सूचना आपको मिले और उस पर प्रकाश डालें । मैं पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेश दें कि वह जिले से संपर्क स्थापित करके जो सूचना आ सकती है, प्राप्त करें और 4 बजे सदन में पेश करें । इसलिये इसमें कार्य-स्थगन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

आपका निर्देश हो गया 4 बजे के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो 4 बजे मालूम होगा । मैंने कहा कि सूचना मंगालें । वह सूचना मंगाने के बाद बतला सकेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

संसदीय कार्य मंत्री जी यहां है । सारी सूचना मंगायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

आपके सामने ही उनसे कहा है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

वह कह दें कि ४ बजे अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने जैसा कि निवेदन किया, यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें पूरे सदन के लोगों और बाहर के लोगों की भी राय है क्योंकि यह प्रश्न सारे राष्ट्र से संबंधित है । लेकिन उचित यह होगा

कि इसमें पहले स्थिति का पूरा जायजा ले लिया जाय, जानकारी करली जाय कि ऐसे कौन से तत्व हैं और क्या सुरक्षा की जा सकती है । पहले यह पूरे सदन को मालूम हो जाय कि घटना कैसे हुयी । फिर सोचा जाय कि उस घटना को रोकने का क्या प्रयास किया जा सकता है । फिर उन प्रश्नों पर आपकी राय के हिसाब से काम होगा । लेकिन पहले सूचना आ जाने दें । अभी उस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, पहले यह बतला दें इसमें कोई व्यवस्था का प्रबन्ध कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं कह चुका हूं कि सम्भल में 3.00 बजे के पहले एस0पी0 और डी0एम0 पहुंच गये थे । इसके बाद 3.30 पर उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया । उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया और प्रयत्न हो रहे हैं । जब सूचना आ जायेगी तो जो भी उचित होगा, उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब अगला आइटम लेते हैं ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978*

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें केवल आधा घंटे का समय है ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह जो विधेयक है इसमें कोई बड़ा एतराज करने की बात नहीं है । मान्यवर, यह जो संशोधन मैं लाया हूं, उसमें संशोधन की आवश्यकता बहुत दिनों से पुराने शासन के समक्ष भी रही है और हमारे समक्ष भी आयी है। इतना ही नहीं, मान्यवर, यह प्रश्न तब उठा कि कुछ ऐसी संस्थायें थी जो इस लायक नहीं हैं कि 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे सकें । तो उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर, उनके साथ क्या सहूलियतें बरती जायं, इस पर विचार करने के बाद इस संशोधन को लाया गया है । मान्यवर, यह उचित होगा कि पहले मैं इस संशोधन को पढ़कर बता दूं कि उसके आने का क्या कारण था और उसके बाद इस पर प्रकाश डालें तो अधिक उचित होगा। यह मान्यवर, इस तरह से है, जो नियम 2 में है—

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द 'एक सौ रुपये की फीस' के पश्चात् शब्द "या ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी वर्ग के संबंध में अधिसूचित करें" बढा दिये जायेंगे ।

इसमें केवल इतना बढ़ा दिया गया है । राज्य सरकार को इसमें यह अधिकार मिला है कि कुछ ऐसी संस्थायें जो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिये सक्षम नहीं है, तो उनके साथ यदि शासन उचित समझे और सहूलियत बरतना चाहता है, रियायत देना चाहता है, तो वह रियायत देने का कानून यह शासन अपने हाथ में ले लेना चाहता है ।

---

*दिनांक 28 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री मधुकर दिघे—]

इसमें, मान्यवर, कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनके बारे में 100 रुपये की फीस को 5 रुपया कर दिया जाय, ऐसी सिफारिश की गयी है जैसे युवक मंगल दल, जो सामुदायिक विकास क्षेत्र में होते हैं, उन के सिलसिले में आयी थी । तब यह सोचा गया कि इस प्रकार की कई और शिकायतें आ सकती हैं और यह कहा गया कि कुछ संस्थायें ऐसी होती हैं जिन के पास पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिये उनकी हैसियत नहीं रहती, जिसके कारण उनको बड़ी कठिनाई होती है । यह बहुत ही साधारण सा प्रस्ताव है कि यदि शासन यह समझता है कि उन की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वे सौ रुपये नहीं दे सकती, शासन को यह अधिकार हो जायगा कि वह फीस कम कर सके।

इसी के साथ एक और संशोधन इस में है वह भी इसी से संबंधित है और वह यह है कि मूल अधिनियम की धारा 3-क में उपधारा (3) में खंड (ख) में शब्द '10 रुपये की फीस' के स्थान पर शब्द "धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर या 10 रुपये की फीस जो भी कम हो रख दिये जायेंगे ।" इसमें नवीनीकरण के संबंध में कहा गया । इस के लिये दस रुपये देने पड़ते हैं। जब दस रुपये देने पड़ते हैं तो उस को हम पांच रुपये भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिये जिनकी योग्यता उसे देने की नहीं है । तो नवीनीकरण करने के संबंध में हमको लाजिमी तौर पर इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। इसमें एसा किया गया है या तो दस रुपये हो या कम की गई रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर हो या दस रुपये से कम, तो जो भी कम हो वह उन को देना पड़ेगा।

इसी के साथ एक और संशोधन है जो बहुत ही आवश्यक था क्योंकि मैं भी इस सदन में उस पक्ष में रहा हूं उधर को तरफ । कई बार हम ने देखा है कि जो सोसाइटी पंजीकृत हो जाती हैं तो उन की शिकायतें आती हैं और वर्षों उनकी शिकायतें चलती रहती हैं और उनका कोई निराकरण नहीं हो पाता है। जब सोसायटी बन जाती है तो उसका चुनाव नहीं होता चुनाव टाला जाता है चुनाव में बेईमानी की जाती हैं चुनाव के लिये जो वोटर्स हैं उनकी सूची गलत बना ली जाती हैं और इन सब का कोई निराकरण नहीं हो पाता । इस विधेयक में यह भी अधिकार ले लिया गया है कि मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा । "परन्तु किसी पदाधिकारी का निर्वाचन अपरास्त कर दिया जायगा, जहां निहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि—(क)—ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, (ख)—किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है (ग) निर्वाचन के परिणाम पर जहां तक उसका संबंध ऐसे पदाधिकारी से है किसी नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने या किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त, इंकार या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को, जो शून्य हों, प्राप्त करने से या सोसाइटी के किसी नियम के उपबन्धों के किसी अनुपालन से सार-वान प्रभाव पड़ा है ।" अब, मान्यवर, आमतौर पर इस प्रकार की शिकायतें बहुत आती हैं कि निश्चित अवधि के अन्दर पदाधिकारियों का चुनाव नहीं करना, अपने निजी स्वार्थों के लिए चुनाव को जानबूझ कर टालना, चुनाव की सूचना जिम्मेदार सदस्यों को न देना, जबरदस्ती चुनाव करा लेना, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यह संशोधन विधेयक मैंने रखा है । कुछ चुनावों में यह हो सकता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, चुनाव करने में भ्रष्ट तरीके अपनाये गये । तो मान्यवर, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यह संशोधन विधेयक सदन के समक्ष रखा है । मैं समझता हूं कि पूरे सदन की भी राय इस प्रकार की पहले भी रही है । जब मैं विरोध में रहता था तब मैं भी इस प्रकार की बात करता रहा हूं । यह तो जो सदन की राय रही है, जनता की राय रही है, विभिन्न संस्थाओं की राय है, जिन लोगों न इस

विषय पर पूर्व भी अपने विचार प्रदर्शित किये हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने यह संशोधन विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि इसको आप सर्व सम्मति से स्वीकार करेंगे ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक में निम्न संशोधन पेश करता हूं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह बात बहुत सही है कि विधेयक बहुत छोटा है । लेकिन इसमें सरकार की नीति का प्रश्न सन्निहित है और वह यह है कि जो एक फीस थी उसे घटाने की प्रक्रिया अपनाने वह जा रही है । दूसरी तरफ कल एक चर्चा हुई किसानों क लगान पर । आपने चुनाव में यह कहा कि 66 में कांग्रेस ने जो लगान बढ़ाया था उसको घटाया जायगा लेकिन हमारी सरकार के सामने संसाधन की दिक्कत पेश आई । कोई भी सरकार अपने कलंक को धोने के लिये इस संसाधन के मामले को इस्तेमाल करती है । लगान बढ़ा लेकिन आंकड़ा इस तरह पेश किया जाता है कि बढ़ा नहीं है, बोझ कम हुआ है। मैं कल सदन में बैठा था । 1975 में लगान से सरकार को 21 करोड़ की आय हुई थी और विकास कर से 20 करोड़ और कहा यह गया कि लगान 63 करोड़ से 29 करोड़ कर दिया गया है । आप ख्याल करें कि 75 में किसान से लगान लेते थे 21 करोड़ । इस तरह आप किसान पर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं । आप वास्तव में किसान पर बढ़ायेंगे और इधर कम करेंगें । एक तरफ आप ग्रामीण उद्योगों को पनपाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप धन की कमी के कारण किसान से कहते हैं कि लगान हम बढ़ायेंगे और 21 करोड़ के बजाय 29 करोड़ वसूल करने जा रहें हैं, 8 करोड़ ज्यादा ।

श्री मधुकर दिघे--

63 करोड़ से 29 करोड़ किया जा रहा है । मैं 74 की बात कर रहा हूं ।

(इस समय 1 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवमंगल सिंह पीठासीन हुए ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं तो वही बात कह रहा हूं । 75 में आपात स्थिति के पूर्व की स्थिति थी । हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम किसान से बढ़े हुए लगान को वसूल नहीं करेंगे । उससे पूर्व 21 करोड़ रुपया लगान के रूप में किसान से वसूल होता था लेकिन आज हम उससे 29 करोड़ रुपया वसूल करने जा रहे हैं । कांग्रेस राज्य में कभी भी गन्ना किसान से कोई टैक्स नहीं लिया गया । आज धन जुटाने के लिये कचड़े पर साढ़े तीन परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाने यह सरकार जा रही है जो कि पहले मिल मालिक किसान को मुफ्त देता था जबकि दूसरी ओर यह सरकार मिल मालिक पर से चीनी पर साढ़े तीन परसेंट एक्साइज ड्यूटी कम करने जा रही है और किसान पर उसे इस सरकार ने लगा दिया । इसी तरह से वन के ठेकेदारों के सम्बन्ध में एक विधेयक पास हुआ था । उनको पंजीकृत करना पड़ता था । उनको लाइसेन्स लेना पड़ता था, उससे भी उनको मुक्त कर दिया । आज वहां पर मजदूरों का शोषण हो रहा है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनकी फीस कम कर दी जाय और दूसरी तरफ किसान के ऊपर भार बढ़ाते चले जा रहे हैं । इससे मैं नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

समझता कि कैसे काम चलेगा। आपने उदाहरण दे दिया युवक मंगल दल का, मैं यह भी नहीं समझता कि आपके दिल में क्या है। शराब की दुकानों पर जाइये और देखें कि वहां पर किसान जाता है, या युवक जाता है। आज युवकों का बहुत ध्यान हो रहा है लेकिन किसान ओला और पानी से राह रहा है। जितनी भी सरकार बैठी हैं, मैं आज भी कहता हूं कि किसी ने किसान के साथ न्याय नहीं किया है। किसान ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमको अपना मत दिया है वह मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि धूमिल हो रहा है। इस तरह के विधेयक आप जनता पार्टी के सदस्यों के सामने लायेंगे तो उन किसानों के बीच जाकर हमार पास कहने को कुछ भी नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप वापस लें। आप लोक-शक्ति में विश्वास करते हैं, जनतन्त्र में विश्वास करते हैं। जनतन्त्र में जनता को मजबूत और तन्त्र को कमजोर होना चाहिए। यह सारा आज बदल दिया गया है। इस विधेयक द्वारा सरकार अपनी इच्छा पर काम कर रही है कि जब हम चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको खतम कर देंगे। सारी शक्ति आज सरकार अपने पास समेटना चाहती है। आप जिन जय प्रकाश नारायण या डाक्टर लोहिया का नाम लेते हैं उनकी नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ आपका यह विधेयक है। इसलिये मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि जब तक आप किसान की लगान को नहीं काटेंगे, उन्हें राहत नहीं देंगे तब तक एसे विधेयकों को लाकर उनके आशाओं को धूमिल करते रहेंगे। जनता आज निराश हो रही है, उसकी आशायें क्षीण हो रही हैं जो हमारी पार्टी के लिये घातक हो सकती है। डाक्टर लोहिया ने कहा कि कुर्सी का नशा चढ़ता है। अवश्य चढ़ता है। लेकिन देखना यह चाहिए कि कम चढ़ता है या अधिक चढ़ता है। यदि अधिक चढ़ता है तो उसको कम करना चाहिए। हमारे ऐसे लोगों ने डाक्टर लोहिया के चरणों में शिक्षा ली है और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार को भी कुर्सी का नशा अधिक चढ़ रहा है। इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी सरकार के लिये एक अवरोध बने। इसलिये आप इस विधेयक को वापस ले लें।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। वैसे यह बिल तो ठीक है लेकिन इसमें 2/3 खामियां हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रजिस्ट्रीकरण में फीस कम करने की बात कही गई है। लेकिन फीस कम करने की क्या प्रक्रिया होगी, किसकी फीस आप कम करेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति, उद्देश्य और नियम आदि को भी उसमें निर्दिष्ट किया गया होता और तब उसकी फीस कम कर दी जाती, तब तो यह ठीक था किन्तु रजिस्ट्रीकरण की फीस किस दशा में कम की जाय, यह साफ नहीं है?

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर विचार कर लें कि किस स्थिति में रजिस्ट्रेशन फीस कम की जाय।

दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत समितियां आती हैं। विवाद उसमें जब पैदा होता है जब वह चुनाव नहीं कराते और गबन होता है। बहुतों का तो पता ही नहीं लगता है कि वह एक्जीस्टेंस में है या नहीं। इसलिए आवश्यक है कि जब रजिस्ट्रेशन करावें उनकी पुलिस तहकीकात करे तो आदमी पकड़ में आ सके। हमने यह भी देखा है कि जब जांच कराई गई तो उसमें मेज कुर्सी के अलावा कुछ मिला ही नहीं जिससे कि पैसा वसूल किया जाय। इसलिए मेरा सुझाव है इस बात को सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि वह कानून के दायरे में आये और जब ढूंढ़ा जाय तो कोई आदमी पकड़ में आ सके सोसायटी में आदमी उपलब्ध रहे। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को उसमें जोड़ने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे--

मुझे केवल दो शब्द कहने हैं। एक तो श्री शम्भूनाथ जी ने डाक्टर लोहिया का नाम लिया। जब वह डाक्टर लोहिया का नाम ले तो यह देख लिया करे कि डाक्टर लोहिया गरीबों के पक्ष में थे। इसलिए उन्हें इस बात की तारीफ करनी चाहिये थी। करांची कांग्रेस का प्रस्ताव था कि बिना मुनाफे की खेती पर कोई लगान नहीं लगेगा। जनता पार्टी की सरकार ने 3 1/8 एकड़ तक लगान माफ की उसकी इस वक्त में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा चूंकि वह दूसरी तरफ बहक गये थे। जो माननीय सदस्य ने अभी सुझाव दिया इसी बात को ध्यान में रख कर विशेष तौर पर तीसरा संशोधन उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर किया गया है। जब भारत सरकार से, जैसा मैंने कहा युवक मंगल दल के लिये और दूसरे लोगों की तरफ भी सिफारिशें आई, तो हम को विचार करना पड़ा। आम तौर पर यह देखा गया है कि कई सोसाइटी एक्जीस्ट नहीं करती है और जाली रजिस्ट्रेशन होते हैं। जब वह रजिस्टर्ड होती है तो कुछ दिन चलती हैं और फिर नदारत हो जाती है। उन पर पकड़ मजबूत हो सके इसी लिए यह संशोधन नियम 25 में आया है। इसी बात को मद्देनजर रख कर यह किया गया है और यह अधिकार ले लिया गया है कि अगर कोई प्रार्थना-पत्र आये और शिकायत आवे तो उसकी पूरी जांच हो और उसको निरस्त करने का अधिकार इस विधेयक के द्वारा मिल जाता है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था। यह पुराने विधेयक की कमजोरी थी कि कोई दखलन्दाजी नहीं कर सकता था। अब इस संशोधन के द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र या शिकायत आये तो उसकी जांच की जा सकेगी और जो भ्रष्टाचार और बेईमानी हो, उसका निराकरण करने की दृष्टि से ऐसी समितियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने का अधिकार अधिकारी के पास हो जायेगा।

अब इसमें जैसा, मान्यवर, मैंने कहा, दो संशोधन हैं। एक और बात जो माननीय सदस्य ने कही कि यह भी देख लिया जाय कि जो नियम बने उसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाय कि किस प्रकार की सोसाइटीज को कम फीस का अधिकार दिया जायेगा। शासन ने जो विधेयक में अधिकार लिया है उसका इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जायेगा। इस पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे मैं आश्वस्त करता हूं, जैसा उन्होंने सुझाव दिया है उसका ध्यान रखा जायेगा और उसी तरीके से काम होगा।

श्री अधिष्ठाता--

क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन, जनतान्त्रिक पद्धति में विचार की स्वतन्त्रता है, हमको कर्म की स्वतन्त्रता तो नहीं है। कर्म की स्वतन्त्रता सत्तारूढ़ पार्टी को रहती है। मेरे द्वारा विरोध में इस पर वोट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं यह निवेदन करते हुए इसे वापस लूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी यदि कोई विधेयक सदन में लाए तो पहले अपने विधायकों से विचार कर लिया करे। यह तरीका संसदीय कार्य मंत्री जी अपनाएं तो उस पर चर्चा हो और उसके बाद जो विधेयक यहां आएगा वह पूरी तरह प्रजातांत्रिक होगा। इस आशा के साथ कि भविष्य में वह जनतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री शम्भू नाथ चौधरी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ रुपये की फीस" के पश्चात शब्द "या ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में अधिसूचित करे," बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

धारा 3-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (3) में, खंड (क) में, शब्द "दस रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के बराबर या दस रुपये की फीस जो भी कम हो" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3-इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-4, 5 तथा खण्ड 9, प्रस्तावना व शीर्षक

धारा 25 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात--

"परन्तु किसी पदाधिकारी का निर्वाचन अपास्त कर दिया जायगा, जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि--

(क) ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या

(ख) किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है ; या

(ग) निर्वाचन के परिणाम पर जहां तक उसका संबंध ऐसे पदाधिकारी से है, किसी नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त, इंकार या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को, जो शून्य है, प्राप्त करने से या सोसाइटी के किसी नियम के उपबन्धों के किसी अननुपालन से सारवान प्रभाव पड़ा है।

स्पष्टीकरण--(एक)--किसी ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला समझा जायगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा--

(एक) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिये कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न या चोट पहुंचाने की धमकी देकर उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है ;

(दो) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिये उत्प्रेरित करने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिये उत्प्रेरित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या किसी स्थान या नियोजन का प्रस्ताव करता है या देता है या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई वचन देता है ;

(तीन) खंड (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिये दुष्प्रेरित (भारतीय दंड संहिता के अर्थान्तर्गत) करता है ;

(चार) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या अध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायगा, या बना दिया जायगा ;

(पांच) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संयाचना करता है ;

(छः) कोई ऐसा अन्य आचरण करता है जिससे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण विहित करे ।

स्पष्टीकरण—दो "किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन देने" के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वह हितबद्ध है, प्रसुविधा देने का वचन भी है ।

स्पष्टीकरण—(तीन) राज्य सरकार ऐसे निर्वाचनों के संबंध में संदेहों या विवादों की सुनवाई और विनिश्चय के लिये प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जिनके लिये इस अधिनियम में या सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त उपबन्ध हैं, उपबन्ध बना सकती है ।"

निरसन और अपवाद

5—(1) सोसाइटी राजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 8, सन् 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) इसे 27 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978†

*श्रम मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 पर विचार किया जाए ।

मान्यवर, मुझे कुछ विशेष इस पर नहीं कहना हैं, क्योंकि जिस लिए यह विधेयक है, यह पहले उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन एक शासनादेश द्वारा लगभग 5 वर्ष लागू रह चुका है । फिर अभी जनवरी में इस शासनादश की जगह एक अध्यादेश ले आए । फिर इसको हमेशा ही उनकी भलाई के लिए करना हैं, इसलिए सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत है । मेरी समझ में इसके विरोध में कोशिश करने पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है । दूसरी लड़ाई के अन्त तक, जबसे वेल्फेयर स्टेट का कांसेप्ट शुरू हुआ जनता की भलाई के लिए जब से शासन बना तब सें यह भावना शुरू हुई, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जितने मजदूरों की जरूरत रहती थी उससे करीब-करीब दूने हर बड़े-बड़े कारखान के लोग रखते थे । उनकी संख्या घटाना, मुस्तकिल मजदूरों की संख्या बढ़ाना, एवजदारों को, जिस रोज घर से कारखाने

---

†दिनांक 17 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक आएं और लौटा दिये जायं, उस रोज उनको कुछ भत्ता दिलाना यह ऐसी बात है जिस के बारे में सदन इस सदन में, इस देश में क्या दुनिया में कोई भी दूसरी राय नहीं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकान भी इसके विरोध में नहीं हैं, मजदूर भला होगा ही क्यों। यह जो विधेयक है सिर्फ यह कहता है कि जिस रोज की, मुआविजे के भत्ते के तौर पर एक चौथाई तनख्वाह दी जाय, एक साल में केवल 45 दिन यह मुआविजा का भत्ता मिले। जिस रोज काम मिलता है उस रोज दूसरी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन जिस रोज घर से दो तीन मील चल कर कारखाने गया, कारखाने के फाटक पर पहुंचा, अपनी हाजिरी दी और उसके बाद लौटा दिया गया और उस रोज उसको कुछ नहीं मिलता था। जबकि एम्प्लायर और एम्प्लाई के रिलेशनशिप सबसिस्ट करती हैं मालिक मजदूरों के सम्बन्ध में बने हुए हैं, तो मालिक जब किसी को बुलाता हैं, हाजिरी लेता हैं और न होने पर उन्हें लौटा देता हैं, तो कुछ न कुछ मुआविजे का अधिकारी हो जाता है। इस वजह से केवल एक, चौथाई तनख्वाह उस रोज की जिस रोज काम से लौट कर जाता हैं और साल में 45 दिनों के लिए यह भत्ता मिले। कम से कम यह पांच साल से हैं। विधेयक के रूप में इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की इसमें शिकायत न हो और पिछले तीन सौ दिन, जिन्होंने दो वर्षों में काम किया है वह उस आरक्षण पूल में आ जायेंगे जिनको भत्ता मिलेगा यह सब के भले की चीज है। इसके बारे में मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है।

माननीय रियासत साहब ने एक संशोधन दिया है। यह पुराने मित्र है। उन्होंने कहा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। जो काम उत्तर प्रदेश में अब तक छः साल पुराना हो गया है और श्रमिकों और बड़े कारखानेदारों को सब जगह मालूम हैं, उनको यहां मालूम न होने पाये कि यह मामला प्रवर समिति में भेज कर कुछ देर करने की गुंजायश की जा रही है, इसलिए निवेदन है कि इसके बारे में इतनी सर्वमान्य चीज हैं, इतनी उचित वस्तु हैं कि इसके बार में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरा ख्याल है कि सदन तुरन्त मान लेगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रवर समिति में जाने से देर होगी, लोगों को बहम हो जायगा कि इसको टालना चाहते हैं, इसीलिए एक हफ्ते का टाइम दिया है। जो संशोधन आये हैं, एक दो, अगर उनकी तरफ ध्यान दे दें, तो यों ही प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमन्, इसमें जो भावना हैं, उसमें हमें इत्तिफाक हैं कि जो मंत्री जी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परन्तु जो बिल के अन्दर लिखा गया है और जिस तरह से लिखा गया है उससे मजदूरों की भावनाओं का समाधान नहीं होगा 12 साल के अन्दर 300 दिन काम किया होगा तब वह उस रिजर्व लिस्ट में शामिल किया जायेगा। तो मैं कहता हूं कि मिल मालिक 300 दिन पूरे ही नहीं होने देंगे। इसलिए इस पर थोड़ा-सा विचार करें कि 300 दिन क्यों करते है, 100 दिन क्यों नहीं करते है।

दूसरी बात एलाउन्स के बारे में कही गयी हैं कि इसे 45 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का संशोधन आया है कि जो 45 दिन का विनियुक्ति भत्ता 365 दिनों में दिया जायेगा, तो इसका कोई अनुपात नहीं है। अगर इसे 100 दिन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

रख देते तो ठीक रहता। बिल में विनियुक्त भत्ता का प्राविधान 25 प्रतिशत का रखा गया है। आप उसको गौर करें। यह भत्ता उसको मिलेगा जो मजदूर काम पर जायेगा और उसे काम पर लगाया नहीं जायेगा। मजदूर 3 मील से काम करने के लिए जायगा और जब वह वहां पर जायेगा और उसे पता चलेगा कि उसे काम पर नहीं लगाया जायेगा तो उसे मायूसी का भत्ता दिया जायगा।यह भत्ता 25 प्रतिशत बहुत ही कम है। इसे 50 प्रतिशत होना चाहिए जिससे वह किसी सवारी से बस से या रिक्शा तांगा से अपने घर वापस आ जावे।अगर यह भत्ता कम होगा तो उसके दिमाग में कनफ्यूजन होगा और उसके परिणाम स्वरूप वह रास्ते में लौटते समय कहीं टक्कर भी खा सकता है। तो उसकी मायूसी को दूर करने के लिये 25 प्रतिशत रखा है तो उसको 50 प्रतिशत रख दिया जाये। जब उसको काम नहीं मिलेगा तो कम से कम उसे उसकी आधी मजदूरी मिल जावे तो उनको कुछ राहत होगी। काम न मिलने से तो उसका पूरा दिन बेकार हो जाता है। इन 2–3 बातों को बैठकर विचार कर सकते है। बिल का तो अच्छा उद्देश्य है ही। आप इन बातों पर और गौर कर लें सदन को गर्व होगा कि इस सदन ने एक अच्छा विधेयक पारित किया है और उससे उन मजदूरों की समस्याओं का समाधान होगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मजदूर क्षेत्र में काम करने के बाद और इस विधान सभा में काम करने के बाद और कांग्रेस सरकार की 30 साल की नीतियों को दखने के बाद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह विधेयक एक क्रान्तिकारी विधेयक है। आप जानते हैं कि जो रिजर्व लेबर होता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। मिल मालिक उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा कि जानवरों के साथ किया जाता है। इनकी सर्विस की गारन्टी नहीं होती है, वेतन की गारन्टी नहीं होती हैं और व कानून के दरवाजे भी नहीं खटखटा सकते हैं केवल वे मिल मालिकों की दया पर पलते रहते हैं। और एक नारकीय जीवन व्यतीत करते रहते है।

आज जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया उसका मैं समर्थन करता हूं और उनको इसके लिए बधाई देता हूं। दूसरा मेरा निवेदन है कि चाहे वह किसी भी शब्दों के जाल की वजह से हो इस बिल की जो मंशा है वह इसके विपरीत जा रही हैं और इसके द्वारा सरकार फिर मिल मालिकों को छूट देने जा रही है। यद्यपि यह कानून तो बन जायेगा लेकिन मिल मालिक इस कानून के सीखचे में नहीं फंसने पायेंगे। माननीय मंत्री जी देखें कि इस विधेयक के सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि "आरक्षित समूह मजदूर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिए नियोजित किया गया हो। यह मालिक ही तय करेगा कि कौन सा पद स्थायी है और कौन सा अस्थायी है। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि विधेयक की मंशा ही पूरी न होगी। कई मिल मालिक कहेंगे कि यह पद स्थायी है और यह अस्थायी है। परिणाम यह होगा कि मिल मालिक जिसको निकालना चाहेंगे, निकाल देंगे, कह देंगे कि यह पद अस्थायी हैं, तो फिटमेंट का निर्णय कौन करेगा? अगर इसको आप मिल मालिक की जिम्मेदारी पर छोड़ देंगे, जो प्रतिष्ठान का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रबन्धक हैं, अगर वही तय करेगा कि कौन सा पद स्थायी है और कौन सा अस्थायी है तो आपकी मंशा के विपरीत कार्य होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से जिस पर जो श्रमिक काम करता है, 300 दिन की अवधि तो बहुत ज्यादा हैं आधे से ज्यादा काम करता है तो निश्चित रूप से यह सुविधा उसको मिलनी चाहिये, जैसा कि आपने इसके उद्देश्य और कारणों में बतायाहै कि "परिणामस्वरूप श्रमिक-अशांति और परिहार्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं।"

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में जो श्रमिक अशान्ति थी जिसको यहां पर बैठने वालों ने कानून बना कर दमन कर दिया था, हिन्दुस्तान से मजदूर आन्दोलन को समाप्त कर दिया था, हड़ताल पर पाबन्दी लगा दी थी, जुलूस पर पाबन्दी लगा दी थी, वह सरकार हमेशा काम करती थी। इससे मजदूरों को राहत तो मिलेगी लेकिन मौजूदा सरकार इसको जो क्रान्तिकारी शक्ल देना चाहती थी, वह सफलता आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि इसमें खण्डसारी के प्रतिष्ठानों के मजदूरों को शामिल नहीं किया है। इस प्रदेश का खाण्डसारी बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें हजारों और लाखों मजदूर काम करते हैं। न वे इंडस्ट्रियल ऐक्ट से गवर्न होते हैं और न वेज बोर्ड के नियमों से। अगर उनको इसमें भी सम्मिलित नहीं किया जायगा तो उनके लिए बड़ी ही अहितकर होगा। जब हम एग्रीकल्चर लेबर के लिए 5 रु0 रोज की बात करते हैं तो उनका मिनिमम वेज 76 रु0 है। इस प्रकार से आपको प्रतिष्ठानों की परिभाषा को भी बढ़ाना पड़ेगा। जंगलों में खेतिहर मजदूर 365 दिनों में से 360 दिन काम करते हैं जो आर्गेनाइज्ड लेबर की तरह से काम करते हैं, सालब साल काम करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को भी इसमें लाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने माननीय श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उनकी इच्छा है कि मजदूरों में शान्ति कायम रहे और जो उन्होंने इस विधेयक द्वारा क्रान्तिकारी कदम उठाया है कि इस विधेयक के उपबन्धों के उल्लंघन में तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने का अपराधी होगा, हमारे देश के इतिहास में उनका सबसे पहला कदम है। जब कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा एक ऐसा कानून बनाने जा रही है कि मिल का मालिक जो तिजोरियां के नाम पर, ईमान और इन्सान के नाम पर खरीद करते थे। यह उपलब्ध है इस सरकार के और माननीय श्रम मंत्री के इस बिल में जो कहीं गड़बड़ी रह गयी हैं, उसका वह फायदा न उठा सकें, इसके लिए आपको सचेष्ट करना पड़ेगा। इन शब्दों, के साथ मैं अपने श्रम मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो उन्होंने 45 दिन किया है; उसको 100 दिन कर दिया जाय और आधे से अधिक दिन काम का कर दिया जाय और एक चौथाई से क्या काम बनेगा। मैं चाहता हूं कि मिनिमम दिन जो हो वह 100 दिन कर दिया जाय और काम करने की अवधि 300 से पूरे साल भर कर दें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय श्रममंत्री का आभार प्रकट करता हूं।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज मेरी मौजूदगी में हमारे मंत्रीजी पहले दिन खड़े हुए, मुझे इस बात की खुशी हुई और वर्षों के बाद उन्होंने लेबर के लिए, ऐसा प्रस्ताव रखा है। "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा भी नहीं होती" मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। मुझे आशा है वह उस पर गौर करेंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत बुरी दशा मजदूरों की है, खासतौर से जो गन्ना क्रशर्स के अन्दर जो मजदूर हैं, उनको 90 रु0 माहवार, मिल मालिक तनख्वाह देते हैं और उनसे 150 रु0 पर अंगूठा लगवाते हैं। इस ज्यादती को कैसे दूर किया जाय, मेरी तरफ से मंत्री जी को सुझाव है कि इसके लिए एक कमेटी निर्धारित करें, एक सेल बनाये, जो कमेटी क्रशरों के लेबर को चेक करें। रियलिटी यह है कि हमारी जनता पार्टी ने गांवों की ओर चलने का नारा लगाया, लेकिन गांवों के अन्दर आबादी 60 फीसदी मजदूरों की है, जिनके पास न जमीन हैं, न कोई कार्य है। जब तक हम उनके लिए कोई कार्य न करें, गांव का विकास नहीं हो सकता। अगर गांवों को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो निर्माण के साथ किसानों के साथ मजदूर के रिश्ते को बराबर लेकर चलना होगा। जो लोग मजदूरों का नारा लगाते हैं और यूनियनों के नाम पर नारा लगाते हैं, वह तो बड़े मकानों में और कोठियों में रहते हैं। मैं जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग अभी तक यह नहीं जानते कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं और वह किन-किन अधिकारों के लिए सरकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

लड़ सकते हैं। ऐसे मजदूरों को देखना चाहिए कि सुबह से शाम तक वे घास खोद कर अपने घर ले जाते हैं, न ही उनकी कोई यूनियन है और न ही उनकी तरफ कोई देखता है और न ही आज तक वे जान पाये हैं कि सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है कि नहीं। ऐसे लोगों के लिए एक बोर्ड बना कर उसमें किसी भी एम0 एल0 ए0 को एक चेयरमैन बनाकर ऐसे लोगों के पैगाम को सदन के सामने ले आवें, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। वैसे उनकी समस्याओं का समाधान चेयरमैन खुद ही कर सकता है।

आज देखने में आता है कि प्राइवेट बिजनेसमैन, दूकानदार तथा बाजार वाले, बरतन वाले, कपड़े वाले तथा अन्य लोग मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं। मान्यवर, इस पर गौर करने की सख्त जरूरत है। दूसरे प्रकार के जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिये लेबर अधिकारी, या लेबर कमिश्नर यह कहते हैं कि साल भर में एक दिन की नोटिस दिखा दिया और रेसीव भी नहीं कराये, लिहाजा तुम्हें कन्टीन्यु कर्मचारी नहीं माना गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इस बात का फैसला माननीय मंत्री जी की तरफ से और शासन की तरफ से हुआ कि कोई भी मजदूरी 5 रुपये से कम नहीं रहेगी। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी नीति बनाने के बाद 4 रु0 के ऊपर कच्ची सड़कों पर, उन लोगों को लगाया। सम्बल, सराय तरी, बेलहरी, तकिया, ठाकुरगंज आदि स्थानों पर 3 किलो गेहूं के ऊपर मिट्टी डलवाने का काम जूनियर इंजीनियर, निगम की तरफ से लिया गया। तीसरा मंडी समिति में काम करने वाले, हरिजन और अन्सारियों का जहां तक संबंध है,उनके लिए हम क्या कर रहे हैं क्या बात है कि एक तरफ तो हम यहां पर नीति का ऐलान करते हैं कि मजदूर के हितों की रक्षा करेंगे और वहां पर उनको जिन्दा रहने के लिए भी मजदूरी नहीं दी जाती।

हम लोगों को सबसे बड़ा गुमराह करने का नारा "समाजवाद" का था जो इंदिरा जी ने लगाया और गांधी जी का नाम लिया और हम जे0 पी0 के नाम पर नारा लगा रहे है "गांव की ओर बढ़ो"! कैसे बढ़ें? तमाम मजदूरों को नौकरी से निकालो। कारपोरेशन बन्द कर दो। उत्तर प्रदेश के अन्दर इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट सिंचाई का है। जल निगम बन गया। एल0 एस0 जी0 डी0 में निगम बन गया, पी0 डब्ल्यू0 डी0 में निर्माण निगम बन गया, वित्त कारपोरेशन बन गया, लेकिन सिंचाई में कोई बोर्ड, कोई निगम, किसी कारपोरेशन की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस है कि हमारी एक साल की आजादी के बाद 52 हजार मजदूरों को हमारी गवर्नमेन्ट ने शासन से बाहर कर दिया, निकाल दिया। जो कार्य मजदूरों से कराया जा रहा था, कार्य प्रभारी कर्मचारी 10–12–14 साल के कर्मचारी थे, उनको हटा करके बड़े-बड़े कन्सर्न, हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन्स, लक्ष्मीचन्द मोटर्स, कैलकटा, इन जैसे आदमियों ने जिन्होंने 10–10 महीने मीसा में जेल में काटे उनको दोबारा कार्य दे दिया गया और हमें ब्लफ देने के लिए कहते हैं कि अन्सारियों को प्रिफरेंस दिया जायगा। यह 3 साल की परम्परा कब से हुई कि हमारे खां साहब चेयरमैन बना दिये गये और लारी साहब खामोश बैठे रहे, उन्होंने अनसारी कौम के नाम पर बदनुमा दाग लगा दिया और अपना मुंह खोल कर यह नहीं कहा कि अनसारियों के साथ ज्यादती की जा रही है और खान साहब को चेयरमैन बनाकर बयान दिया कि कोई ज्यादती नहीं की जा रही है। यह आपका सोशलिज्म है। यह आजादी है और कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? पार्टी के लिए जान माल दोनों हाजिर है, लेकिन मैनिफेस्टो से हटकर अगर काम करते हैं तो हम कभी भी उसका समर्थन नहीं देंगे। मैं खासतौर से लारी साहब से पूछता हूं कि लारी साहब ने क्या किसी मीटिंग में कहा कि बुनकरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है? 8 महीने के बाद 33 फीसदी सूत के ऊपर पैसा छोड़ दिया जायगा यह कहा गया था, लेकिन आज अनसारियों ने 5 महीनों के अन्दर मस्जिदों में बैठकर वक्त गुजारा है। रहने का ठिकाना नहीं है, उनको 50 रु0 भी डी0 एम0 का देने का इरादा नहीं हुआ। डिलीवरी के केस भी छप्पर में चारपाइयों को खड़ा करके बच्चे

जन्मे हैं, कोई उनके लिए किसी किस्म की सुविधा नहीं। यह है आपका इंसाफ और तरीका। अगर कोई एम0 एल0 ए0 गलत बात करता है तो उसको वार्निंग मिलनी चाहिए। हम साबित करें कि हम गलती करते हैं।

एक बात और बताना चाहता हूं, लेबर मिनिस्टर गौर से सुनें। हम दो-तीन बातें बता रहे हैं। कानपुर के अन्दर बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

काम कोई बड़ा मंत्री करे, लड़े इलेक्शन कोई और कटे लेबर। मैं तो इस बात का दोषी लेबर मिनिस्टर को ठहराऊंगा कि कोई ऐलान नहीं किया गया। साल भर पहले कहा था कि हम क्वार्टर बनवा रहे हैं लेबर कालोनी के लिए। उनको क्यों रोका गया। कैबिनेट में तो आश्वासन दिया और सिंचाई मंत्री ने परसनल लेटर लिख दिया कि 6 महीने के लिए कालोनी रोक दी जाय और वह रोक दी गयी। अगर गलत हो तो बतायें।

मान्यवर, एक बात बताना चाहूंगा सिंचाई मंत्री को। उत्तर प्रदेश के अन्दर मजदूर की 235 रु0 तनख्वाह तय करने के बाद 180 रु0 कर दी गयी। यह तरक्की आपने की है। कर्मचारियों के हटाने के बाद गैचुइटी का पैसा देने के बाद दोबारा सरविस देने के लिए 165 रु0। पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अन्दर निगम बनाया गया है, ब्रिज कारपोरेशन बनाया गया है, उसी तरह से सिंचाई विभाग में भी कार्पोरेशन बनाया जाय।

लेबर का पैगाम हम तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिये जरूरी है कि एक बोर्ड बनाया जाय जिससे कि लेबर का पैगाम हम तक पहुंच सके।

जहां भी जितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कार्य करते हुए 1साल हो गया है उन्हें कार्य प्रभारित कर्मचारी माना जाय और जिन्हें कार्य प्रभारित कर्मचारी की हैसियत से काम करते हुए 3 साल हो गये हैं उन्हें रेगुलर किया जाय।

कान्ट्रैक्ट बेसिस पर काम बन्द होना चाहिये, डिपार्टमेन्टल बेसिस पर काम होना चाहिए।

मस्टररोल पर जिन कर्मचारियों को रखा जाता है उनसे साहब की टांगे दबवाने का काम लिया जाता है या माली का काम लिया जाता है, या अन्य घरेलू काम लिया जाता है। मजदूरों को मजदूरी तक नहीं दी जाती है। यह सब बन्द होना चाहिये।

सिंचाई विभाग में ही करीब 10 हजार कर्मचारियों को अभी एक साल के अन्दर ही हटा दिया गया है, उनको दोबारा रखने का प्रयास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त, कृपया बैठें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं अभी खत्म करता हूं। जो लेबर देहात में काम करने वाली है, जैसे घास बेचने वाली है और मजदूरी करने वाली है, क्या उनके लिये भी यह सरकार कोई बोर्ड बनायेगी जिससे कि उनका भी पैगाम यहां तक आ सके ?

एक बात और कोआपरेटिव विभाग के बारे में कहूंगा। यहां का जो अजीब तमाशा देखने को मिलता है। एक बिलकुल ही नयी बात मेरे देखने में आयी है। कई-कई साल पहले जितने लोग मर चुके थे, वे मुर्दे इस विभाग में फिर पैदा हो गये और जो जिन्दा हैं वे मर गये हैं जो 10-10 साल पहले मर चुका है उसके नाम 3–4 साल पहले कर्जा दिखा दिया गया है और आज वसूल किया जा रहा है उसके बच्चों से बाप मर चुका है कर्जा लेने के पहले, वसूल बच्चों

[श्री मुकीमुर्रहमान]

से हो रहा है। कोई सुनवायी नहीं हो रही है। उनकी कीमती मशीनें बुनायी की कुर्क कर ली जा रही हैं, मनमाने ढंग से उनको परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ जिन लोगों को कर्जा दिया गया है, जो लोग जिन्दा हैं उनको रजिस्टर में मरा हुआ दिखा दिया गया है। यह हालत है इस सहकारिता विभाग की। तो इस सब की चेकिंग के लिये सरकार क्या कोई सेल ऐसा बनायेगी जो इस सब भ्रष्टाचार की ठीक तरह से जांच कर सके। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार, मुरादाबाद की रिपोर्ट में एक जगह 11 लाख, 5 हजार, 253 रु0 का गबन पाया गया है। इसलिये अन्सारी बुनकरों के साथ सहकारिता विभाग द्वारा जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको रोका जाये।

एक बात और कहना चाहता हूं। माइनारिटी के कुछ आदमी मिनिस्टर बने हुए हैं। चाहे निर्माण विभाग के हों, चाहें और किसी विभाग के हों, अगर वे यह समझते हैं कि माइनारिटी का कोई आदमी उनके साथ है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके साथ कोई माइनारिटी का आदमी नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम जे0 पी0 के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं, जनता पार्टी के साथ हैं, मगर जो भी कौम के बेचने वाले हैं उनके साथ नहीं हैं।

(श्री श्रीराम द्विवेदी का नाम पुकारे जाने पर)

उद्योग उप मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, मेरे बारे में कुछ कहा है माननीय सदस्य ने। माननीय सदस्य ने बुनकरों के बारे में जो कहा है उनकी कमेटी का जिक्र किया, वह मंत्रि मण्डल का मामला है, पर यह बात सही है कि अब तक बुनकर समुदाय का ही कोई चेयरमैन होता था। मंत्री जी ने अपने सदस्यों में से जिसको अच्छा समझा, चेयरमैन बनाया। इस सम्बन्ध में जो कुछ हमें करना था या लिख कर देना था वह हमने दे दिया है मुख्य मंत्री जी को। हमारे भाई साहब का यह कहना कि लारी साहब चुप बैठे हैं यह सही नहीं है। यह सब बातें चल रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बातें इस सिलसिले में हो चुकी हैं।

बुनकरों के मामले में भी कार्यवाही चल रही है। अगर आप सब साथियों का सहयोग रहेगा तो जल्दी कुछ न कुछ होगा। आज सूबे भर में जो दौड़ भाग हो रही है वह सब उसी के बचने के लिये है। अधिकारियों के खिलाफ या चन्द सोसाइटियां जो फर्जी थी लूट रहीं थीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यह बात नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस मामले में प्रगति है, काम हो रहा है, होगा। वर्षों के जो बिगड़े हुए मामले हैं वह धीरे-धीरे सुधारे जायेंगे तुरन्त उसको कोई उखाड़ कर फेंक नहीं सकता है। जहां तक यह बिल आया है इस सिलसिले में मजदूरों को पूरी सहायता तो नहीं पर कुछ तो जरूर मिलेगी। अब यह प्रतिबन्ध हो गया है कि जो लोग उम्मीदवारी में रहते थे उनका कोई ठिकाना नहीं था। अब उनके लिये मंत्री जी ने एक मुस्तकिल कानून बना दिया है। यह बात सही है कि 300 दिन का जो प्रतिबन्ध है उसको कम करना चाहिये। क्योंकि इससे मिल मालिकों को मौका मिलता है। यह जरूर है कि जो 45 दिन रखे गये हैं तो 45 दिन की जगह पर 90 दिन का जो संशोधन है, मंत्री जी मान लेंगे। अभी एक संशोधन और आया है, 25 परसेन्ट के बजाय 33 परसेन्ट मजदूरी देने के सम्बन्ध में, मेरा ख्याल है कि उसको भी मान लेंगे।

एक सदस्य—

यह अभी बताये दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लारी जी, जब संशोधन पेश होगा उस वक्त यह कहियेगा। अभी क्यों जिक्र करते हैं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, कोरम नहीं है, व्यवस्था कर दी जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह सदन के ऊपर इतनी कृपा किया करें कि कोरम पूरा रहा करे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह तो सरकारी पक्ष की जिम्मेदारी है ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इस सदन में माननीय श्रम मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है उस विधेयक के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हूं । मान्यवर, पिछले 30 सालों के कांग्रेसी कुशासन में मजदूरों के साथ उपेक्षापूर्ण नीति रही है उसी का परिणाम आज हमारे देश और प्रदेश को भोगना पड़ रहा है और मजदूरों के आन्दोलन से उथल-पुथल का वातावरण हो रहा है । इस परिस्थिति के निराकरण के लिये और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये जो विधेयक श्रम मंत्री ने रखा है वह एक क्रान्तिकारी कदम है । इसके चलते जो मजदूरों में अशान्ति का वातावरण पिछली नीतियों के कारण व्याप्त है उसको ठीक करने में बल मिलेगा । मान्यवर, मैं इस सदन में श्रम मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि देश के अन्दर मजदूरों की जो समस्यायें हैं उन पर काफी विस्तार से विचार करने की जरूरत है । मैं मंत्री जी का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें उल्लेख है कि समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये । वह स्थिति हमारे कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होनी चाहिये । परन्तु वह काम अभी नहीं हो पाया है हमारी जनता पार्टी की सरकार के घोषणा पत्र में और नीतियों में इस बात का उल्लेख किया गया था किजब हम शासन तंत्रको सभालेंगे तो मजदूरों को न्याय देंगे और समान कार्य के लिये समान वेतन देंगे तथा संविधान की मंशा को लागू करेंगे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों पर अमल करने का अब समय आया है तो वह करना चाहिये ।

मान्यवर, इस विधेयक पर श्री रियासत हुसैन ने एक संशोधन रखा है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । तो मैं समझता हूं कि जो यह क्रान्तिकारी कदम जनता सरकार उठा रही है, इस विधेयक के द्वारा जिसमें, मजदूरों को राहत देने की बात है उसमें काफी विलम्ब होगा । जो मामला समिति में जाता है उसकी समय पर रिपोर्ट नहीं आती है और अनावश्यक विलम्ब होता है । इसलिये रियासत हुसेन जी के संशोधन का मैं विरोध करता हूं और श्रम मंत्री जी ने जिन बातों को लेकर इस विधेयक को सदन के सामने रखा है उसकी गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इस विधेयक के द्वारा जो मजदूरों में आन्दोलन और तोड़ फोड़ की बातें चल रही हैं और विपक्ष के लोग जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उससे इन पर अंकुश लगाने में काफी सहूलियत मिलेगी ।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उसके सिलसिले में मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो 25 और 33 प्रतिशत की बात कही गयी हैं यदि संभव हो तो श्रम मंत्री श्रमिकों के कल्याण के लिये उसे 50 प्रतिशत करने की कृपा करेंगे तो और भी सहूलियतें बढ़ेगी ।

मान्यवर, जो 45 दिन की जो बात हरी सिंह जी ने संशोधन के रूप रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और 45 दिन को बढ़ाकर 90 दिन कर देना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ जो विधेयक आया है मैं उसका पूरी ताकत के साथ सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करता हूं कि इसको भारी बहुमत से पारित करके उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कर्मचारियों में एक नया जीवन देने की कृपा करेंगे और इस विधेयक को पास करेंगे ।

*श्री अरुण कुमार—

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक क बारे में जो रियासत हुसैन जी ने संशोधन रखा है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, निश्चय ही विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखने के बाद सरकार की मंशा और प्रदेश की स्थिति पर दिल दिमाग बंटता है। जबसे जनता सरकार आयी है निरन्तर कोई न कोई कल कारखाने में चाहे वह आपसी विवाद हो या सरकार की भूल हो या बिजली की कमी हो इन कारणों के आधार पर बन्द रहती है। जब बन्द रहेगी तो निश्चय ही मजदूर बेकार रहेंगे और उत्पादन की भी कमी होगी। मजदूरों की अशान्ति का मुद्दा दिमाग में रखकर मंत्री जी ने भले ही अपने दिल और दिमाग से उनके प्रति जो सहानुभूति प्रकट करने की प्रक्रिया अपनायी है वहीं मिल मालिकों को भी छूट मिली है कि मनमाना रवैया अख्तियार कर सकते है। आरक्षित मजदूर समूह के बारे में जो 300 दिन वाली बात कही गयी है तो यह कभी नहीं होने पायेगी क्योंकि वह व्यवस्था मिल मालिकों के हाथ मे छोड़ दी गयी है औरजब उनके हाथ में सारी व्यवस्था रहेगी तो उससे मजदूर का भला होना सम्भव नहीं हो सकता और मजदूर 300 दिन लगातार उपस्थिति का कारण नहीं बन सकता इसके विपरीत मिल मालिक मजदूरों का शोषण करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 300 दिन की प्रक्रिया को फिर से मंत्री जी देखें और मिल मालिकों के हाथ में न होकर इसकी सरकारी तौर पर निगरानी होनी चाहिए और 300 दिन के समय को कम करना चाहिए।

दूसरी चीज क्लाज 9 के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें मिल मालिकों को छूट है और वह अपने आप अपराधी घोषित नहीं कर सकता जो व्यवस्था इसमें है उसमें पूरी बचने की उसे गुंजाइश है। किसी मजदूर के साथ जो भी अन्याय होगा उससे निश्चय ही मिल मालिक अपने आपको अलग कर लेगा। इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें मिल मालिक अपने को अलग न कर पाये। ऐसी व्यवस्था करें जिसमें सीधा उत्तरदायित्व मिल मालिक पर होना चाहिए जिससे सीधी पकड़ उसकी हो सके। इसी केसाथ जो भत्ते की व्यवस्था की गयी है उसमें मेरा निवेदन है कि जैसा आपने अपने घोषणा-पत्र में एलान किया है इसको बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए तभी औद्योगिक शान्ति और मजदूरों का सीधा लाभ हो सकता है। मंत्री जी स्वयं निश्चय ही समाजवादी विचारधारा के हैं और एक प्रतिष्ठित मजदूर नेता रहे हैं। मेरे दिल में भी उनके लिए सम्मान है लेकिन उनकी सरजमी के नीचे कानपुर में मजदूरों पर गोली चली और मेरठ में मजदूरों की आवाज दफा 144 में दफना दी गयी। गाजियाबाद, मोदीनगर में मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। जहां कहीं प्रदेश में अपनी आवाज बुलन्द करना चाहते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने एक तरीका अख्तियार किया है। इस जनतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार में मजदूरों के ऊपर अन्याय, दुराचार, पापाचार हो रहा है और जनतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है चाहे उनकी गेट मीटिंग्स को रोकना हो मान्यवर, यह जो गेट मीटिंग रोकने की प्रक्रिया पिछले दिनों हुयी है,यह ठीक नहीं। वह तो सबके लिये खुली छूट होनी चाहिये। यह तो एक जनतान्त्रिक तरीका है कि हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं।मंत्री महोदय का तो सीधा सम्बन्ध मजदूरों से रहा है। इसलिये मेरा विश्वास है कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रियासत हुसैन जी तो सदन में हैं नहीं।

एक सदस्य—

मान्यवर, वह इस समय नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, इसमें विचार तो कर ही रहे हैं। इसमें संशोधन का है। मैं तो इसके बारे में कह चुका हूं । विचार उसके लिये सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं । माननीय सदन ने आज्ञा भी दे दी है ।

खण्ड 2

2—इस अधिनियम में,—

परिभाषायें

(1) "विनियुक्ति भत्ता" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी मजदूर को एक दिन के लिए देय मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के बराबर हो;

(2) 'औद्योगिक अधिष्ठान' का तात्पर्य सूत,जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम धागा के कारखानों से संबंधित किसी अधिष्ठान से है और इसमें ऐसे अन्य अधिष्ठान भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय;

(3) "आरक्षित-समूह मजदूर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिये नियोजित किया गया हो;

(4) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहे वह वेतन, भत्ता या अन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के सम्बन्ध में देय हो;

(5) शब्द "मालिक" और "मजदूर" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में उनके लिये दिये गये हैं;

(6) शब्द "कारखाना" का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 में उसके लिये दिया गया है ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह अध्यादेश 1978 के गजट में प्रकाशित हुआ है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 के खंड 2 (1) में "पच्चीस प्रतिशत" के स्थान पर "तैंतीस प्रतिशत" रखा जाय ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय हरी सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, वह मुझे स्वीकार है ।

श्री हरी सिंह—

मान्यवर, मैंने जो संशोधन रखा है, वह आज से नहीं, बहुत दिनों से यह मांग थी कि . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरी सिंह—

ठीक है, मान्यवर ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 (1) में "पच्चीस प्रतिशत" के स्थान पर "तैंतीस प्रतिशत" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3 और 4

मालिक समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा

3—प्रत्येक मालिक आरक्षित-समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा और उसमें समस्त आरक्षित समूह मजदूरों के नाम श्रेणीवार और ऐसे ज्येष्ठता क्रम में जिसकी गणना इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान अधिकतम कार्य-दिवस के आधार पर की जायगी, दर्ज करेगा।

समूह मजदूरों की सूची प्रदर्शित की जायगी

4—आरक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान के सूचना पट्ट पर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर चिपकायी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 3 और 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5 व खण्ड 6 से 11, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

कार्य की व्यवस्था न होने पर विनियुक्ति भत्ता का भुगतान

5—जब कोई आरक्षित-समूह मजदूर कार्य के लिये उपस्थित होता है और मालिक उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूरों को ऐसे प्रत्येक दिन के लिये विनियुक्ति भत्ता देगा :

परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कलेंडर मास की किसी अवधि में पैंतालीस दिन से अधिक के लिये देय नहीं होगा।

आरक्षित समूह मजदूरों की स्थाई नियुक्ति

6—प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के सम्बन्ध में जिसमें रिक्ति हो, आरक्षित समूह मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त करते समय उसी क्रम का अनुसरण करेगा जिस क्रम में ऐसे मजदूरों के नाम धारा 3 के अधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों।

शास्ति

7—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा ।

अपराध का संज्ञान

8—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा ।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

9—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य-संचालन के लिये उसके प्रति उत्तर-दायी रहा हो और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो उसके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अन्य विधियों के विषय में अपवाद

10—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।

निरसन

11—(1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 1, 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) इसे 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री हरी सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 के परन्तुक में "पैंतालीस दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" रखा जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी यह भी स्वीकार है, क्या आपको ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड पांच के परन्तुक में "पैंतालीस दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 तथा खंड 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978†

*श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक को पेश करते हुये मुझे कुछ सुख भी कुछ दुःख भी है। इस विधेयक का आलेख तैयार करने के मैंने अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में श्रमायुक्त को आदश दिये थे। दो महीने के अन्दर इस का आर्डिनेन्स बन गया। मगर वह 12 दिसम्बर को बना जब कि स्वदेशी काटन मिल्स में 6 दिसम्बर को फायरिंग हुई और ऐसा दुःखद कान्ड हुआ कि इस का दुःख मुझे और सभी सदन के माननीय सदस्यों को जीवन पर्यन्त रहेगा। मैंने दो महीने पहले से यह सम्भावना देख ली थी और जैसी हमारे यहां विभाग की प्रासपैक्टिव प्लानिंग होती है पहले ही हम उसको करते हैं। लेकिन कई विभागों में इस पर डिसकशन होता है। इस कारण 12 दिसम्बर को जो आर्डिनेन्स निकला उसी को विधेयक का रूप दिया जा रहा है। जितनी सख्ती से मजदूरी मिल मालिकों से वसूल की जाय उसका जो प्राविधान इसमें है वह भारत वर्ष में कहीं नहीं हैं। ठीक इसी तरह से एवजी दारों से एवजी का जो प्राविधान था वह भी भारतवर्ष में कहीं नहीं है। जब तमाम श्रमिक कानूनों व तमाम मसायल को मिला कर किसी एक कानून के सिलसिले में माननीय सदस्य कहते हैं तब मैं निरुत्तर हो जाता हूं। 37 कानूनों को यह विभाग कार्यान्वयन करता हैं। जिस बिल पर बहस होती हैं तो उस समय केवल उसी पर बहस होनी चाहिये। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी मुख्य बातों पर ही विचार किया जाय।

एक मुख्य बात तो यह है कि अगर 50 हजार रुपये से ऊपर मजदूरी का देना किसी मिल पर हो जाय तो फिर हम उस मिल मालिक का सामान एरियर आफ लेंड रेवेन्यू की तरह कुर्क कर लेंगे। पहले ऐसा कानून नहीं था इसलिये स्वदेशी काटन मिल में या दूसरी जगहों पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। वेजेज आफ पेमेंट ऐक्ट बहुत पुराना और बेकार हो गया हैं। 37 कानून जो हैं व समयानुकूल नहीं हैं। अगर एक-एक महीने में एक-एक कानून को बदलें तो भी 37 महीने लग जायेंगे। तीन कानून 6 महीने से केन्द्र में पड़े हैं जिससे दरी लग जाती है। अगर यह विधेयक पहले आ गया होता और अध्यादेश बजाय 12 के 6 दिसम्बर को आ गया होता तो राजाराम जैपुरिया जेल में होते और फायरिंग न होती। इसके अलावा जहां एक लाख से ऊपर देय हो जायेगा वहां पर हम उसे जेल में भेज सकेंगे ऐसा हमने प्राविधान किया हैं। श्रम कानूनों को इस तरह से हम समयानुकूल और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं "उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।"

श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं है कि मजदूरों के इतिहास में यह जो नया बिल माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह सुनहरे अल्फाज में लिखा जाने वाला बिल है परन्तु देखने की बात यह है कि मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा महीने भर का खर्चा चलाने के लिये उनको जो पैसा चाहिये उस पैसे को दिलाने के लिये यह बिल कितना कारगर साबित होगा?

---

†दिनांक 17 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

मजदूर को समय के अन्दर पैसा मिल जायगा या नहीं। मजदूर को इसकी जरूरत नहीं है कि आप लैंड रेवेन्यू की शक्ल में उसके रुपये को वसूल करें या न करें या कौन सा तरीका अपनायें। उसको जरूरत इस बात की है कि जब महीना पूरा हो तो उसे पैसा मिल जाय। आप 36 तरीके अपना लें लेकिन अगर मजदूर को पैसा समय पर नहीं मिलता है तो सारे मिल मालिकों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दो। अगर उसे पैसा मिल जाय तो शांति रहेगी। अन्यथा कैसे अशांति रुक सकेगी। कानपुर का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसी सदन में पिछले साल बुलन्दशहर की एक शुगर फैक्टरी का मामला आया था।

हमारे यहां दलपतपुर की एक छोटी सी फैक्टरी है जो इन्फेंट फूड बनाती है। इसमें लगभग चार साढ़े चार सौ मजदूर काम करते हैं। पिछले महीने में इन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली। मैं इत्तफाक से उनकी यूनियन का अध्यक्ष हूं। जब वहां मजदूरों में बेचैनी फैली और उन्होंने कहा कि वक्त पर हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, बोनस तो मिला ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब तो नया आर्डिनेंस आ गया है कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात की और कहा कि अब तो नया आर्डिनेंस आ गया है और मजदूरों को अभी तनख्वाह नहीं मिली है इसलिये आप उनको तनख्वाह दिलाइये। उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस तो आ गया है हमें भी मालूम है लेकिन उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि लेबर कमिश्नर का यह लिखकर नहीं आ जायेगा कि उस फैक्टरी में मजदूरों को अभी तनख्वाह नहीं मिली है और अभी आप लैंड रेवेन्यू की शक्ल में वसूलयाबी करें।

मैं आपको लैंड रेवेन्यू की वसूलयाबी का प्रोसीजर बताना चाहता हूं जिसे पूरा सदन जानता है। उसका प्रोसीजर यह है कि जब लगान नहीं मिलता है तो पहले आप साइटेशन काट देते हैं और उसके बाद अमीन, तहसीलदार और कलेक्टर के थ्रू नोटिस देकर उसकी खड़ी फसल की कुड़की करा देते हैं। इसमें जितना भी टाइम लगे, कोई पाबन्दी नहीं है। दस पांच दिन इसमें लग जायेंगे। फिर उसके लिए वारन्ट बनता है और वह जेल चला जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रोसीजर में कितना समय लगता है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जिस दिन से लेबर कमिश्नर ने लिख कर दे दिया कि मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिली है उस दिन से 1 महीने तक लैंड रेवेन्यू की वसूलयाबी नहीं होगी नहीं, तो वह मजदूर क्या खायगा? अन्यथा कैसे शांति मजदूरों में रह सकती है। अशांति तो तब तक रहेगी जब तक कि उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अशांति कम हो तो आपको प्रोवीजन करना पड़ेगा कि जिस वक्त तक लेबर कमिश्नर का कलेक्टर को यह लिखकर नहीं आ जाता कि फलां फैक्टरी के मजदूरों को महीना पूरा होने पर उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, उसी दिन कलेक्टर की यह ड्यूटी हो कि वह बैंक से या सरकारी खजाने से मजदूरों की तनख्वाह देने का इन्तजाम कर सके। फिर वह अपनी वसूलियाबी करते रहेंगे। 10 प्रतिशत तो आपका है ही। मजदूर को अगर आप चाहते हैं कि उसके दिल में शांति कायम हो तो वह तभी हो सकती है जब महीने के अंत में उसको पैसा मिल जाय। आपके साईटेशन जारी करने से तो मजदूर की जेब में पैसा नहीं आ जायगा। अगर आप कहें कि वसूलयाबी होगी उसके बाद पैसा मिलेगा तब उससे उसको फायदा होने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब वसूलयाबी से पहले अपना 10 प्रतिशत लेने की फिकर में रहेंगे। ऐसा भी हमने देखा है कि बिजली वाले मामले में ही जब वसूलयाबी के लिये जाता है तो उसमें भी 10 प्रतिशत तहसील वाले सरचार्ज लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब वह वसूलयाबी के लिये जाते हैं ओरीजिनल रकम में उनकी दिलचस्पी नहीं होती है वह कहते हैं कि 10 प्रतिशत पहले दे दो, पहले इसकी रसीद कटवा दो क्योंकि वे समझते हैं कि अगर कहीं किसी सूरत से जमा कर दिया, किसी विधायक को बीच में डाल कर जमा कर दिया, या हाइडिल के इंजीनियर से बात करके एमाउन्ट जमा कर दिया तो हमारा 10 प्रतिशत मारा जायेगा। लिख कर आ जायेगा कि डिमांड विदड्रा हो गई है। इसलिये तहसीलवालों की दिलचस्पी पैसा वसूलने में नहीं होती।

इसी तरीके से जब आपके लेबर कमिश्नर भेजेंगे तो आप जानते हैं कि फैक्ट्री वाले को जिले में कौन नहीं जानता है क्योंकि उसके यहां कलेक्टर साहब शादी-विवाह आदि में शामिल होते हैं। जिले में सब जगह उसकी पहुंच होती है। वह इसलिये सब को फिट रखता है कि वक्तन पवक्तन उनसे हो पैसा वसूलने के लिए लखनऊ से कहते हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करना है। कलेक्टर साहब पहले उसी के पास जाते हैं। इसलिये उनका संबंध रात दिन का उनके साथ रहता है। जो यह लैण्ड रेवेन्यू की शक्ल में वसूलयाबी होगी उसमें कितना समय लगेगा तब तक मजदूर क्या खायेगा इसलिये शांति कैसे कायम रहेगी? इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जब तक आप यह प्रोवीजन नहीं करेंगे कि जब लेबर कमिश्नर के यहां से कलेक्टर को लिख कर जाय उसमें आप दो दिन रख लीजिये या तीन दिन रख लीजिये कलेक्टर तुरन्त सरकारी खजाने से निकाल कर मजदूरों को पेमेंट कर दे और फिर बाद में लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल होता रहे। तभी मजदूर का फायदा होने वाला है, वर्ना नहीं।

श्रीमन्, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा 12 दिसम्बर, 1977 से यह लागू हुआ है। मैं पूछता हूं क्योंकि ज्यादातर तालाबंदी या क्लोजर मजदूरों की तनख्वाह न मिलने से होती है, अभी लखीमपुर खीरी में शुगर मिल मजदूरी न मिलने की वजह से बंद हुई, जब मजदूरों को तनख्वाह और बोनस नहीं मिलता है, झगड़ा होता है। जब से यानी 12 दिसम्बर से यह आपका कानून लागू हुआ है तब से आज तक प्रदेश की कितनी फैक्ट्रियों से लैण्ड रेवेन्यू की शक्ल में वसूलयाबी करके मजदूरों की मजदूरी दी गई। ज्यादा तो आपको मालूम होगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसा कारखाना नहीं मिलेगा कि जहां पर मजदूरों और मिल मालिकों में विवाद चल रहा हो और इस आर्डिनेंस के आने के बाद से उनको पेमेंट किया गया हो। आपने जो आर्डिनेंस निकाला और जो आज बिल की शक्ल में यहां पर है उसके जरिये वसूलयाबी करके रुपया दिया हो। इसलिए इसको कोई इफेक्टिव रोल जबतक नहीं दिया जाएगा, तबतक आपकी भावना और उद्देश्य कितने ही सुनहरे हों, उनका वास्तव में कोई हित होने वाला नहीं है और न इस क्षेत्र में कोई शान्ति स्थापित होनें वाली है। जब महीना पूरा हो जाय, तो 1-2 दिन तक तो उन्हें समझाया जा सकता है कि इस बिल के मातहत कार्यवाही शुरू हो गई है और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसके आधार पर उसे दो-तीन दिन में पैसा नहीं मिलने वाला है। इसमें तो दो-तीन महीने लगेंगे और फिर इसके माध्यम से आप उनका असन्तोष और इस क्षेत्र की अशान्ति को कैसे रोक लेंगे? आप देखें, इस सदन में मजदूरों की अशान्ति तरह तरह से सामने आ रही हैं। कानपुर स्वदेशी काटन मिल्स में इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसका जवाब नहीं, लेकिन जब उसके पेट में चारा नहीं होगा और उसके स्त्री और बच्चे भूख से तड़पेंगे और वह घर से सोचकर चलेगा कि आज तनख्वाह लेकर और उससे राशन ले कर ही घर वापस लौटूंगा और तब उनको उनका वेतन नहीं मिलेगा तो उनकी क्या भावना होगी, यह अनुभव करने की बात है। इससे उनमें घोर असन्तोष होगा और उनका क्रोध भड़केगा तथा औद्योगिक क्षेत्र में अशान्ति की स्थिति उत्पन्न होगी। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें ऐसी व्यवस्था करें, जिससे पैसा मजदूरों की जेब में शीघ्र चला जाए। आप इस पर अवश्य विचार करने के लिये इसको एक प्रवर समिति को सौंपने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज तक सरकार और पूंजीपति की दुरभि सन्धि के बल पर जो मजदूरों का शोषण हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिये यह क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक विधेयक इस सदन में लाया गया है। इसके लिये श्रम सम्बन्धों के पुराने जानकार और अनुभवी नेता बधाई के पात्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज उत्पादन में जहां पैसा लगता है पसीना भी निकलता है और मजदूर को यदि उसके पसीने का पूरा पूरा दाम न मिला तो वह अपने शोषण को कभी बरदाश्त नहीं करेगा। इस दृष्टि से यह सही है कि मंत्री जी ने स्वदेशी काटन मिल का जिक्र किया था, घटनाएं रोज होती हैं और मिल मालिक मजदूरों को शोषण करने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं.....

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसी व्यवस्था कर दें कि सदन में कोरम तो रहे अन्यथा काम में बाधा पड़ती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था कि स्वदेशी काटन मिल में जो घटना हुई पिछले 6 दिसम्बर को दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीन वर्ष से वेतन न मिलने की शिकायत शासन के पास थी लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मजबूरी के साथ एक दिन मजदूर को आन्दोलन की राह पकड़नी पड़ी। मजदूर आन्दोलन क्यों करता है? वह मजबूर हो कर करता है जब उसका हक प्राप्त नहीं होता। चाहे सेवा की शर्तें हो या वेतन हो या बोनस आदि प्राप्त होने में कठिनाई हो। स्वदेशी काटन मिल में जो हुआ, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, बड़ी निर्दयता के साथ दो अधिकारियों को बंधक बनाया गया, कितने ही लोग मारे गये। इस अवसर का लाभ उठा कर एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा।

जहां मैं इस बात की हिमायत करता हूं कि मजदूरों को पूरा हक मिलना चाहिये वहीं पर इस बात को भी तय करना होगा कि आन्दोलन के रास्ते तय किये जांय। घेराव की प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरणसिंह ने ८ दिसम्बर को लोक सभा में कहा था—'जनता सरकार हिंसा एवं घेराव की वारदातों को खत्म करने के लिए निश्चित मत है। कानून की नजर में घेराव एक गलत वारदात और एक अपराध है। औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए इन तरीकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता।" लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मजदूर के अधिकार पर आक्षेप करना चाहते हैं। आन्दोलन करने का अधिकार है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी कि औद्योगिक विवाद चलते चलते राष्ट्रीय उत्पादन में क्षति होती है। पूंजीपति और मजदूर का हित अलग अलग नहीं है। संघर्ष करने का कोड तय होना चाहिये। मालिक मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि बैठें और यह तय करें कि संघर्ष की प्रक्रिया क्या होगी। जब तक संघर्ष की प्रक्रिया तय नहीं होती तब तक मेरे मत से जिस नीयत से यह विधेयक लाया गया है शायद वह बातें पूरी नहीं हो सकतीं, यदि इसमें कुछ आवश्यक संशोधन न किये गये। इसमें राहत केवल उन्हीं मजदूरों को दी गयी है जिन अधिष्ठानों का मजदूरी बिल 50 हजार रुपये का हो जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि बड़े बड़े मिल में काम करने वाले मजदूर है या छोटे मिलों में जब बहुत दिनों का बकाया हो जायगा तब राहत मिलेगी इसलिये इस राशि को घटा कर 50 हजार रुपये से 25 हजार रुपये कर देना चाहिये क्योंकि हमारी नीयत है कि मजदूर का बकाया न रह जाय। वह अपना पसीना बहा कर उत्पादन

बढ़ायें लेकिन उसके बच्चे भूखों तड़पते न रह जायं। इस लिये 50 हजार से घटा कर 25 हजार करने की आवश्यकता है। मजदूरों को आर्थिक रूप से सुविधायें मिलती हैं लेकिन उनके बोनस वगैरह के मामले पड़े रहते हैं। उसको जोड़ देना चाहिय।

इसके अतिरिक्त जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, श्रमायुक्त को जानकारी मिल गयी कि इतना बिल बकाया है। धारा 4 में प्राविधान किया गया है--"किसी अधिष्ठान के मजदूरी बिल, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया गया है, को अभिनिश्चित करने के लिय श्रम आयुक्त को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर होने के लिये बाध्य करने, शपथ पर उनका बयान लेने और दस्तावेजों पर पेश करने के लिए बाध्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त है और श्रम आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायगा।"

मान्यवर, इससे बड़ी प्रक्रिया हो जायेगी महीनों का झगड़ा पैदा हो जायगा कि 50 हजार का बकाया जो है वह ठीक है या नहीं ? इसको तय करने में काफी समय लगेगा और इस झगड़े को तय करने में काफी विलम्ब होगा। इस तरह के मामलों को देखने के लिए श्रम आयुक्त को अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है और हम जानते हैं कि पैसे के बल पर लोग खरीद लिये जाते हैं। इसका लाभ केवल पूंजीपतियों को ही होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तरह के मामलों का निबटारा समरी ट्रायल करके समाप्त कर दिया जाये। मेरा निवेदन है कि इस नियम पर कठोरता के साथ पालन किया जाय अन्यथा जिस भावना को लेकर आप इस बिल को लाये हैं वह भावना पूरी होने वाली नहीं है।

इसी तरह से मान्यवर, धारा 5 को आप देखें। इसमें कहा गया है कि कोई भी अधिष्ठान किसी समय एक लाख रुपये से अधिक किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस एक लाख की धनराशि को कम करके 50 हजार कर दिया जाता है तो अधिक ठीक रहेगा और मजदूरों को राहत मिलेगी। इसी धारा में जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसकी सजा के लिये भी व्यवस्था की गयी है। इसमें व्यवस्था है कि तीन मास से कम की अवधि की भी सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सजा को हमने हलका कर दिया है तो जो भय होगा वह समाप्त हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा 5 का जो परन्तुक है उसे निकाल दिया जाये। इसी प्रकार से धारा 6 में कहा गया है कि अगर कोई कम्पनी होगी तो उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

इसी धारा के परन्तुक में कहा गया है कि इस उप धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्यादेश में उपबन्धित किसी दन्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर द कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण क लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। तो इस प्रकार से मान्यवर, जो दोषी होगा उसको जो सजा मिलनी चाहिये थी उसमें ढील दे दी गयी है। इससे वहां का एकाउन्टेंट फंसेगा और दूसरे अधिकारी और कर्मचारी फंसेंगे और फिर पूंजीपति निकल जायगा। इसलिये हमारी जो भावना है वह पूरी नहीं होगी। कानून बनाया गया है लेकिन फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। पहले सरकार और पूंजीपतियों का गठबन्धन था और अब पूंजीपतियों और नौकरशाही का गठबन्धन हो जावेगा और हमारे नियम बेकार हो जायेंगे जिससे मजदूरों को सच्चे माने में जो राहत हम देना चाहते हैं वह नहीं मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मजदूरों के सम्बन्ध में जो बिल माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के द्वारा माननीय मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि जो मजदूरों का बकाया है वह उनको भुगतान हो सके। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही लगता है पर परोक्षरूप से ऐसा लग रहा है कि अगर 50 हजार रुपये से अधिक का व्यतिक्रम हो जाय तो उस धनराशि को भू-राजस्व की बकाया की भांति आप वसूल करा लेंगे लेकिन अगर वह धनराशि 49 हजार है तो आप उसे कैसे वसूल कर पायेंगे। इसी प्रकार से अगर वह धनराशि 1 लाख रुपये से अधिक होगी तो आप क्रिमिनल कसेज चलायेंगे लेकिन अगर वह धनराशि 99 हजार होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे।

मैं तो यह कहता हूं कि मजदूर का एक भी पैसा प्रबन्धकों की तरफ बकाया है तो वह भी भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल होना चाहिये। अगर आप वास्तव में मजदूरों के हमदर्द हैं, पहले तो आप थे जब हमारे साथ बैठते थे, लेकिन अब तो आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, यह हो नहीं सकता कि आप मजदूरों के हित की बात सोचें। होना तो यह चाहिये कि जो भी फैक्टरी कोई सामान बनाती है उसमें जो भी सामान बनता हो, वह बैंक को प्लेज होना चाहिये और जो पैसा उस माल का फैक्टरी को मिले पहले मजदूर को उसके वेतन का मिले, फिर जो कच्चा माल आता हो उसका दिया जाय और मिल मालिक एक सार्टिफिकेट दे कि मजदूर का एक भी पैसा बकाया नहीं है। तभी मैं समझूंगा कि वास्तव में आप मजदूरों के हितैषी हैं। आप मिलों पर यह प्रतिबन्ध लगाइये कि जो भी माल वहां पर तैयार होगा, उसकी कीमत में से पहले मजदूरों की बकाया दी जायेगी चाहे वह वेतन के रूप में हो या बोनस के रूप में जो तय हुआ हो। फिर कच्चे माल की कीमत दी जाय। तभी मैं समझूंगा कि वास्तव में आप मजदूरों के शुभ चिन्तक हैं।

भ्रष्टाचार की बात यहां पर बहुत कही गयी है, वास्तव में वह आज भी इतना व्याप्त है कि इस बिल का जो उद्देश्य है, जो कर्मचारी हैं या जिनके माध्यम से इस बिल की धाराओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व है उन पर यह भरोसा नहीं है कि वे इनको कार्यान्वित कर पायेंगे, मिल मालिक कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल से जो उनकी मंशा है, वह पूरी नहीं हो पायेगी।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, आज सदन के समक्ष मजदूरों सम्बन्धी जिस विधेयक पर चर्चा चल रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे देश और प्रदेश में किसानों और मजदूरों की ही ऐसी संख्या है जिसके बल पर सारे समाज का जीवन निर्भर है। आज का मजदूर जागा हुआ है, उसकी भावनाओं को आप देखते हैं कि रोज वे प्रदर्शन करते हैं, उनके डेप्युटेशन्स आपको मिलते है,। हमारे प्रदेश और देश के मजदूर जागें हैं और उनको कोरे आश्वासनों से या कोई रूप रेखा बनाकर या कोई विधेयक लाकर, बहकाना बड़ा मुश्किल है। जो भी संशोधन, आपने किये है, उनसे कोई फायदा मजदूरों का दिखाई नहीं देता है। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर 1 लाख और 50 हजार रुपये की बात कहीं है लेकिन मेरा तो कहना है कि मजदूर की जिन्दगी छोटे पैसे वाली होती है बंधी बंधाई रकम होती है, मैं तो कहता हूं कि मजदूर के 15 दिन के वेतन के लिये भी वही कार्यवाही होनी चाहिए जो कि 50 हजार या 1 लाख रुपये की बकाया रकम के लिये किया जाय। मेरा तो सुझाव है कि इस विधेयक से 50 हजार की रकम या 1 लाख रुपये की रकम के शब्द ही निकलवा दिये जांय क्योंकि इससे मजदूरों का कोई लाभ नहीं होने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने देखा है कि बहुत से मजदूर जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके फण्ड को 5–5–, 6–6 साल तक रोक लिया जाता है, वे बेचारे इसके लिये लड़ते हैं, मुकदमें दायर करते हैं । मेरा यह निवेदन है कि उनके फण्ड तुरन्त वापस कर दिये जायं ताकि वे अपने थोड़े से जीवन को सुखमय बिता सके । सारी जिन्दगी तो आपने उनको अपनी फर्म में घिसाया, निकलने के बाद अगर वह आवास की मांग करते हैं तो उसकी एक छोटा सा आवास देने की व्यवस्था की जाय । यह बात न्याय-संगत है । लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है बाजारों में जो नानरिकग्नाइज्ड संस्थायें हैं, उनमें बहुत से नाबालिग लड़के काम करते हैं, गरीबी से परेशान हैं, लेकिन वे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको वाजिब मजदूरी भी नहीं देते हैं । उनको उनकी सूखी रोटी के लिये भी वेतन नहीं मिलता है । जो नाबालिगों से मजदूरी कराई जाती है, इसको सरकार को तुरन्त बन्द करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए । जो गर्भिणी स्त्रियां काम करती हैं, उनके लिये मिल मालिकों को चाहिए कि उनके प्रसव से तीन महीने पूर्व उनको पूरे वेतन के साथ छुट्टी दी जाय ताकि वे घर पर रह कर ठीक प्रकार से रह सकें और प्रसव के पश्चात् वे अपने काम पर भी आकर अपने कार्य को सुचारु रूप से कर सकें । उनको तीन महीने तक पूरा वेतन देना चाहिए ताकि फिर वे अपनी ड्यूटी पर आकर कार्य कर सकें । अगर सरकार लोकप्रिय हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

बहुत सी ऐसी फर्म हैं, जैसे मार्डन टिन पेंटर, आगरा, उसमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है । सरकार को चाहिए कि ऐसी-ऐसी संस्थाओं पर अविलम्ब ध्यान दें और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं, हमने देखा है कि 30–33 साल से लोग अस्थायी काम कर रहे हैं । जो 30–33 साल तक अस्थायी काम करने वाले मजदूर होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी ? हमारी दयानत ऐसी होनी चाहिए कि उनको उनकी नौकरी पर स्थायी करें ताकि वह यह समझे कि हम एक स्वतंत्र भारत में सर्विस कर रहे हैं । यह हमारा पुनीत कर्तव्य है । बुनकरों की मजदूरी कम कर दी गयी है । मुझे बड़ा खेद है कि जो कारपेट, गलीचे का बिजनेस करके अच्छा-खासा पैसा पैदा करते हैं , उनकी मजदूरी कम कर दी गयी है । इसका क्या मतलब है ? मैं बहुत जोरदार शब्दों में इन बुनकरों की सिफारिश करता हूं कि उनकी जो मजदूरी कम की गयी है, उनके साथ बहुत अन्याय किया गया है, उनके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है । सरकार इस पर सोचे और उनकी मजदूरी जैसे पहले थी, उनसे और अच्छी होनी चाहिए । कालीन मजदूरों की मजदूरी बहुत अच्छी होनी चाहिए । जो खेतिहर मजदूर हैं, उनकी हालत तो बहुत ही चिन्ताजनक है । सरकार ने 6 रुपये रोज उनकी मजदूरी निश्चित किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि 6 रुपये रोज की मजदूरी पाते हैं । सरकार इस पर ध्यान दे ।

इसलिये विधेयक पास करना और राजनीतिक दलों के, आपकी आंखों के सामने मजदूर उतना नहीं पाते है फिर भी कुछ नहीं करते हैं और विधेयक पास कर रहे हैं । इसमें ज्यादा और जरूरी विषय है जो मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूं उनको संशोधन के रूप में इसमें लगावें । आप जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है इसमें हर काम में, समुदाय में मजदूर साथ देता है । मजदूर न होता तो खेती न कर पाते, हम वस्त्र नहीं पहिन पाते । आप गांव के कुम्हार को देखिए जो सारे गांव की मड़ैया, खपरा बनाता है । लेकिन स्वयं फटा कपड़ा पहिने घर के बाहर चाक-मिट्टी लेकर बैठा रहता है । सारे गांव को छाजन देता है । ईंट जो बनाता है, जो असेम्बली को बनाता है, कोठी-बंगले जोड़ता है उसकी झोंपड़ी को देखें कि यह मजदूर है, उसकी क्या हालत है । ऐसे मजदूरों की जिन्दगी में महान् परिवर्तन लाने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया जाय ।

एक सुझाव बहुत व्यापक है कि हम चाहते हैं कि मजदूर नाम हटा दिया जाय । यह बड़ा इनफिरियारिटी कम्पलैक्स का द्योतक है । जिस जमाने से अंग्रेजों के जमाने से उनको मजदूर कहा जाता रहा है, उसको सुनकर मजदूर के मन में बड़ी चोट लगती है । मजदूर

[श्री राम कृष्ण]
हमारे देश, प्रदेश का आदर्श संस्थान है, आदर्श संगठन है। उसके बगैर अन्न नहीं खा सकते, वस्त्र नहीं पहिन सकते, यहां बैठकर भाषण नहीं कर सकते, कोई हवाई जहाज नहीं चल सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिये मजदूर नाम बदल कर कोई देश का वफादार या ऐसा ही नाम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमने जो संशोधन दिये हैं उनको रखा जाय और यह जो आपने 1 लाख 50 हजार रखा है उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिये नये संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी कुछ देर पूर्व श्री देव बहादुर सिंह ने एक बात कही है कि अब पूंजीपति शासन है। तो इसका मतलब यह था कि कुछ दिन पहले मजदूरों का शासन था। ऐसा नहीं है। पूंजीपतियों का शासन पहले भी था और माफ कीजिए, अभी तक चल रहा है। हालांकि हम उसको खत्म कर सकेंगे या नहीं, खत्म करने का प्रयास हमारे श्रम मंत्री जी ने किया है। एक बात हमारे पक्ष से भी कही गयी। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित तथा मजदूरों के हित एक हैं। श्रम मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे कि उद्योगपतियों के हित और मजदूरों के हित न कभी एक थे, न एक हैं और न एक हो सकते हैं। क्योंकि एक संघर्ष है। वर्ग संघर्ष को न करना, एक उलटे सिद्धांत पर चलना है। अब यह सोचना है कि वर्ग संघर्ष का स्वरूप क्या होगा? जितने साम्यवादी मुल्क हैं, उन्होंने आज तक वर्ग संघर्ष करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह देश दिग्भ्रम हो गये और वहां पर शासकों ने एक नया दल पैदा कर दिया, जिन्होंने राज सत्ता हथिया ली और उसके बाद आर्थिक सत्ता हथिया ली। तो वहां तो समाजवाद नहीं आया, मार्क्सिज्म नहीं आया। पूंजीपति देश में पूंजी को पूंजीपति हथिया लेते हैं और उद्योगों के बल से राज-सत्ता को हथिया लेते हैं। अमीरी गरीबी बनी रहती है। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं आ सकता। लोकतंत्र और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सच्चा लोकतंत्र नहीं होता तो वह समाजवाद नहीं ला सकता और जबतक लोकतंत्र नहीं है तो समाज-वाद नहीं है, बराबरी नहीं है। गांधी जी का यही नजरिया था और यह नजरिया जयप्रकाश जी का भी है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं मंत्रीजी की तारीफ करता हूं कि वह उसको लायें, लेकिन दुख इस बात का है कि जब गाजियाबाद में, जब कानपुर में स्वदेशी मिल की घटना हो गयी, उसके बाद हम सोच पाये। खैर, कोई बात नहीं, देर आयद दुरस्त आयद। लेकिन एक बात जरूर है। मैं रियासत हुसैन साहब से सहमत हूं कि आपने जो यह प्राविधान किया है कि इसको लगान के रूप में वसूल किया जायेगा, लेकिन एक प्राविधान यह भी किया जाना चाहिये कि वसूली की जिम्मेदारी सरकार की होगी और मजदूरों को भुगतान सरकारी खजाने से कर दिया जायेगा क्योंकि आखिर वह पैसा सरकार वसूल तो कर ही लेगी। माननीय श्रम मंत्री जी श्रमिकों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं बनिस्बत हम लोगों के। इसमें सीमा जो धन की लगायी गयी है 50 हजार या एक लाख की, उसकी जगह सीमा समय की लगा दें। यह कर दें कि अगर कोई पहली तारीख के बाद 15 दिन तक नहीं देगा तो उसकी वसूलयाबी लगान की तरह से होगी।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

ऐसा भी किया जाये कि अगर कोई दो ढाई महीने तक न दे तो उसको सजा दी जाय। जहां तक बड़े-बड़े कारखानों में लगे हुये श्रमिकों का सवाल है उनकी तो यूनियनें होती हैं, यूनि-यनों के माध्यम से वे अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, अपना काम बना लेते हैं, जो यह छोटे-छोटे कारखाने हैं, समस्या इनकी है।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम नहीं है, माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तीसरा अवसर था जब कि सदन में कोरम का अभाव हुआ । पहली बार मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध किया था, सत्ता पक्ष के आप मंत्री है, आपका यह दायित्व है कि सदन में कोरम का अभाव न हो । बड़ा दुख है कि कहने के बावजूद भी उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करें कि इस तरह कोरम का अभाव सदन में न हो क्योंकि सत्ता पक्ष के लिये यह शोभा की बात नहीं है । आशा है आगे आप इसका ध्यान रखेंगे और इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मैं निवेदन कर रहा था कि जो छोटे कारखाने हैं, जहां मजदूरों की तादाद 50-60 ही है, अगर उनको कई महीनों तक वेतन न मिले तो सरकारी खजाने से वह दिलवायी जाय क्योंकि अगर श्रमिक आयोग के पास शिकायत जायेगी, तो उसमें काफी समय लग जायेगा । इसलिये जो पाबन्दी आपने धन की लगायी है, वह पावन्दी समय की लगायें ।

जहां तक औद्योगिक शान्ति या अशांति का प्रश्न है उसके लिये भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि चाहे चौधरी चरण सिंह ने भाषण दिया हो और कहा हो कि हम घेराव को नहीं मानते या अन्य चीजों को नहीं मानते । मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर गरीब होता है । वह भावना में बहता है । उसके पेट में जलन होती है, भूख होती है । गांधी जी ने हमको उपदेश दिया था, मैं भी यह मानता हूं कि जितने प्रदर्शन हो, संघर्ष हो तो प्रदर्शन का जो रूप हो वह शांतिपूर्ण हो क्योंकि घेराव करने से हमारी जो आवागमन की स्वतंत्रता है, जो संविधान से मिली है उसमें रुकावट होती है । लेकिन जब मजदूर दुखी होता है, भूखा होता है, मजदूर जब परेशान होता है तो वह कितना सहे, क्या करे ?

हमारे यहां यह पहले भी होता रहा है, पहले की सरकार भी इसी तरह की रही है । मुझे कहने में दुख होता है कि जब तक गोली न चले, जब तक भूख-हड़ताल न हो और जब तक आमरण अनशन न हो तब तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है । तो अगर सरकार तय कर ले कि जितने प्रदर्शन होंगे और जो मांग पत्र आयगा तो उसके आने पर एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर उसका सुनिश्चित जबाव सदन में और यदि सदन न हो तो उन कर्मचारियों को और उनके माध्यम से जनता को सब जगह दिया जायगा । ताकि पता चलता रहे कि कहां क्या हो रहा है । मजदूर यूनियनें लगातार प्रतिवेदन भेजती रहती हैं । कोई सुनता नहीं है । सब जगह मामले दबे रहते हैं । प्रदर्शन मजदूर करते हैं, पता नहीं चलता है । क्रमिक अनशन होता है, पता नहीं चलता है । आमरण अनशन होता है तो सदन में एक बार सवाल उठता है । लेकिन जब गोली चलती है, लाठी चलती है तो यहां पर एडजर्नमेंट मोशन आता है, तब सरकार के कान खुलते हैं । तो सरकार इसकी नौबत ही क्यों आने देती है कि मजदूर इतना परेशान हो जाय, इतना दुखी हो जाय कि वह घेराव करे या उग्र प्रदर्शन करे । मजदूर एकदम से घेराव या प्रदर्शन नहीं करता है । मजदूर एक दम से तोड़ फोड़ प्रारम्भ नहीं करता है । वह प्रारम्भ करता है सबसे पहले अर्जी से । अर्जी के बाद वह क्रमिक अनशन प्रारम्भ करता है । उसके बाद प्रदर्शन प्रारम्भ करता है । उसके बाद आमरण अनशन प्रारम्भ करता है। उसके बाद अन्य चीजों का नंबर आता है । तो मैं आशा करता हूं, श्रम मंत्री जी, मैंने जो सुझाव दिये हैं यदि अभी समय न हो तो आगे उन पर अमल करने की कृपा करें ।

[श्री श्यामदत्त पालीवाल]

मेरा सुझाव यह है कि 50 हजार रखें या 1 लाख रखें। लेकिन समय की पाबन्दी रखें। ताकि छोटे कारखानों के मजदूर इसमें शामिल हो सकें। दूसरे सरकार जिम्मेदारी ले कि औद्योगिक संस्थान द्वारा भुगतान न होने पर सरकार स्वयं भुगतान करे। क्योंकि यह भुगतान एक रेवेन्यू के तरीके से उस संस्थान से वसूल ही कर लेंगे। नंबर तीन, मैं आशा करता हूं और अभी विश्वास भी है कि श्रमिकों से संबंधित होने के कारण मंत्री जी इस तरह का प्रयत्न करेंगे कि कहीं भी कर्मचारियों, मजदूरों के हितों का हनन नहीं होगा। मजदूर नाम बड़ा प्यारा है, बड़े आदर का है। इसको बदलने का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। दुख की बात है पिछले बजट भाषण में मंत्री जी ने कहा था कि मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधि हिंदुस्तान में अभी भी किसी भी सदन में चुनकर नहीं आया है। यह दुख की बात है, हम सोचते हैं कि समय आयेगा कि सदस्य चुनकर आयेंगे जो मजदूरों की यूनियनों को रिप्रेजेंट करेगा और उनकी बात अच्छी तरह से कह सकेंगे।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है उसमें मैं कुछ अपने सुझाव देना आवश्यक समझता हूं। जबकि मेरी असेम्बली की उम्र बहुत छोटी है। मान्यवर, यह मजदूरों का विधेयक है लेकिन कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है और बारबार घंटी बजानी पड़ रही है जबकि अधिकतर माननीय सदस्य मजदूरों के बल पर चुनकर आते हैं। मैं यह बात इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे खुशनवी मिले जब अखबार वाले छापेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मान्यवर, मजदूर श्रमिक यहां मजदूर हैं। मजदूर महीने भर आंखों में खूबसूरत सपने लेकर कारखाने में काम करने जाता है और शाम को लौटता है। महीना पूरा होने पर वह अपने बच्चों और बीबी की पसन्द को पूरा करने का कोशिश करता है। पहली तारीख का सपना देखने वाला आदमी यदि तनख्वाह मिल गयी तो बाजार की तरफ जाता है और जायका बदलने के लिये कुछ चीजें खरीद लाता है। लेकिन 15 दिन बीतने पर वह दाल, रोटी पर गुजर करता है, 25 दिन बीतने पर एक समय रोटी मिलती है और तीसवें दिन वह पड़ोसी से उधार लेकर अपना पेट भरता है। इसका कारण कि समय पर वेतन नहीं मिलता है और उसे भूखा रहना पड़ता है।

मान्यवर, दुनिया के कुछ मुल्कों में बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम कम्युनिज्म के नाम पर मजदूरों की भलाई के लिये बहुत कुछ करते आये हैं और करते हैं। सही माने में देखा जाय तो यह सच है कि मजदूरों के लिये बहुत कुछ हो रहा है जैसा स्वास्थ्य व्यवस्था, भविष्य की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था आदि लेकिन 30 सालों में क्या हुआ मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता किन्तु क्या हम करना चाहते हैं, यह हमको बताना चाहिये।

मान्यवर, एक सुझाव यह भी है, मजदूरों से संबंधित, कि आबादी जो दिन रात बढ़ती जा रही है उसका कारण एक मजदूर तबका सुबह से लकर शाम तक कारखाने में अपना खून पसीने में जलाता रहता है। शाम को घर लौटने पर वह सोचता है कि थकान के बाद कुछ मनोरंजन होना चाहिये, लेकिन वह मिल मालिक जो एयर कंडीशन में बैठकर अपन सपने सजोया करते हैं, इमारत को अपनी 2–3 मंजिल से 30 मंजिल तक ले जाते हैं, उसको सब सुख का सामान मिलता है, लेकिन मजदूर को मनोरंजन के कुछ साधन नहीं और फिर वह वही करता है जिससे आबादी बढ़ती जाती है।

मान्यवर, मजदूर मिल में दिन रात काम करते हैं मिल का जहरीला धुआं उनके फेफड़ों मै भरता जाता है और दवा के नाम पर उनको पानी मिली हुई मिलती है जबकि यदि मिल मालिक को एक छींक भी आ जाय तो वह अपना इलाज करवाने अमरीका तक चले जाते हैं। लेकिन जिस मजदूर की बदौलत उनकी जिन्दगी चल रही है उसको दवा-पानी मिली हुई मिलती है और वह

मजदूर मजबूरी के सपने लिये समशान चला जाता है। इसलिये मान्यवर, यह विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। मान्यवर, अक्सर देखा गया है और बहुत से लोग, मैं कहना नहीं चाहूंगा, खासकर जब हम लोगों को अधिकारियों के मिलने के लिये जाना पड़ता है तो कुछ समय जरूर इन्तजार करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मिल मालिक, चमचमाती एयर कन्डीशन्ड कार में, उपस्थित होता है तो सब से पहले मिलने का मौका उसी को मिल जाता है। तो यह आवश्यक है कि इस नियम का अगर सख्ती से पालन नहीं किया जायगा तो इससे कोई फायदा होन वाला नहीं है। इसके साथ ही जो विधयक मंत्री जी लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधयक जिस पर चर्चा हो रही है, जिसके उद्देश्य और कारण को सदन के सामने रखा गया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन विधेयक में जो प्रोसीजर और सम्भावनायें है जिससे कि इसका दुरुपयोग हो सकता है उसकी तरफ में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करूंगा कि इस त्रुटि को दूर किया जाय।

जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें बकाया धनराशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला माप दण्ड पचास हजार रुपये और दूसरा एक लाख रुपये का है। पचास हजार तक जो प्राविधान किया गया है वह यह है कि उस पचास हजार की धनराशि को बतौर लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया जायगा। मान्यवर, चाहे फैक्टरी छोटी हो जिसकी बकाया धनराशि पचास हजार हों या बड़े मिल मालिक हों, संयोजक हों, तो यदि वे उन 4-6 आदमियों को परेशान करना चाहें तो उनमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि मजदूरों का हित चाहने वाले हों। मिल मालिक उन चार, छः दस आदमियों को वर्षों परेशान कर सकते हैं। यूनियन के कार्यकर्त्ता वर्करों को परेशान कर सकते है क्योंकि पचास हजार की धनराशि उन पर लागू नहीं होंगी। मैं इस बारे में शासन को एक सुझाव देना चाहूंगा कि यह पचास हजार की धनराशि जो आपने मुकर्रर की है उसी के साथ यह भी रखा जाय कि अगर किसी एक व्यक्ति की, एक मजदूर की तनख्वाह पांच सौ रुपये इस वक्त हो जाती है तो वह भी बतौर लैण्ड रेवेन्यू वसूल की जाय। लैण्ड रेवेन्यू के तौर पर जो धनराशि वसूल की जाय उसमें जो अधिकार दिया गया है श्रमायुक्त को सिविल प्रोसीजर का, इसका मैं विरोध करता हूं। इसमें फिर हेयर स्पलिटिंग होगी। वर्षों तक यह मसला हल नहीं हो पायेगा।

इसी प्रकार मान्यवर, एक लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जैसा कि इस विधेयक के धारा 5 में लिखा गया है। इसमें मान्यवर, एक ही चीज प्रस्तावित की गयी है कि अगर एक लाख रुपय से अधिक देय धनराशि होगी तो उसका प्रोसीक्यूशन होगा। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि धनराशि एक लाख रुपये की जो है वह भी बतौर लैण्ड रेवेन्यू के वसूल की जा सकती है। अगर हमारे मिल मालिक पचास हजार तक के डिफालटर हैं तो वह बतौर लैण्ड रेवेन्यू वसूल हो सकती है लेकिन अगर वसूली एक लाख रुपये हो जाय तो वह बतौर लैण्ड रेवेन्यू नहीं वसूल की जायगी। तो इसमें 50 हजार रुपये वाली धारा 4 का प्रावीजन भी रखा जाय। अगर एक लाख की धनराशि हो गयी है तो प्रासीक्यूशन तो होगा, इसमे दूसरा प्रावीजन यह किया जा सकता है कि बकाया धनराशि बतौर लैण्ड रेवेन्यू भी वसूल की जाय। धारा 5 में प्रासीक्यूशन लांज किया जाता है तो उसमें एक शर्त रखी जाय कि अगर वह मिल मालिक उस न्यायालय के सामने हाजिर होता है जिसमें प्रासीक्यूशन हो रहा है और अगर पूरी धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे अपनी सफाई देने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये। आप प्रासीक्युशन लान्च करेंगे, सरकार प्रासीक्युशन करती रहेगी, अदालत में मसला चलता रहेगा, महीनों गुजरते जायेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि या तो यह धनराशि बतौर लैण्ड रेवेन्यू वसूल कर ली जाय और अगर वह जमा नहीं करता तो उसको न्यायालय में सुनने का अधिकार नहीं होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीराम]

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। विधेयक का उद्देश्य मजदूरों को जल्दी पैसा देना है। इसलिए जिस वक्त प्रासीक्युशन लान्च किया जायगा तो उसको समरी ट्रायल की तरह रखा जाय। अगर इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पूरा प्रोसीजर लागू किया गया तो यह होगा कि एप्लीकेशन, एडजर्नमेंट, तारीख बढ़वाना, रिवीजन और अपील आदि का कभी खत्म न होने वाला नाटक चलता रहेगा। न्यायालय से सजा उसे मिल मगर सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि वह जैसे ही प्रासीक्युशन लांच करती है रुपया वसूल करके मजदूरों में वितरित कर दे। मंशा हमारा वसूली का है। जहां तक सरकार का यह है कि लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करेंगे या उसका प्रासीक्युशन करेंगे तो उसके साथ ही सरकार यह जिम्मेदारी ले कि सरकार सक्षम है उस रुपये को वसूल करन के लिए और लैण्ड रेवेन्यु की तरह वसूल कर सकती है लेकिन सरकार अपना यह दायित्व ले कि हम पचास हजार या एक लाख रुपया को मजदूरों में खजाने से वितरित कर देंगे। अन्यथा यह सारा प्रोसीजर चलता रहेगा और फिर भी अशांति हो सकती है। उदाहरण हमारे सामने है। कानपुर के दो मिलों की अनेक बार हम बात यहां उठा चुके हैं।

मान्यवर, मैं यह कहने में नहीं हिचकता कि स्वदेशी काटन मिल और जे0 के0 मिल्स के बारे में शासन को लिखित दिया गया और इतना लिखा गया कि उसका वजन एक किलो से कम नहीं होगा। स्वदेशी काटन मिल में गोली चलने से पहले मैंने और अन्य विधायकों ने मुख्य मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से अवगत कराया था कि वहां स्थिति विस्फोटक है। वहां मजदूरों ने घिराव किया तो 25 लाख रुपया बांट दिया। मजदूर समझ गये कि जब घिराव करने से मिल सकता है तो फिर सरकार के पास जाने की क्या जरूरत है। परिणाम आपके सामने है। सारा सदन जानता है कि मजदूर मिल मालिकों के दो आदमियों का ब्रुटल मर्डर किया गया। इस तरह की घटना फिर न होने पावें इसको एस्योर करना होगा। मान्यवर, एक चीज अंत में और कहना चाहता हूं कि मिल वाले पैसे वाले हैं। उनके पास वकील हैं, आफिसर हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करता। आपके श्रम विभाग के अधिकारी मिल मालिकों के यहां जाकर दावतें खाते हैं। कोई ऐसा आफिसर नहीं है जिसका ताल्लुक उनसे न हो।

मान्यवर, जे0 के0 मैनूफैक्सचरर्स के बारे में सरकार को अवगत कराया गया। लेकिन आज भी वह मिल बंद है। फिर भी उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की ओर से कोई वैसा प्रयत्न नहीं हो रहा है। शायद उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गयी है कि वह मिल का क्लोजर इललीगल कर दिया जाय। दूसरी ओर क्या हुआ? दूसरी ओर श्रम विभाग की ओर से हुआ कि अगर कोई मुकदमा दायर हुआ है तो उसमें ऐक्शन में कन्डीशन लगा दी। क्यों ऐसा किया? ताकि उसका प्रासीक्यूशन न हो जाय। तो यह भी कह दिया कि हमने मुकदमा भी दायर कर रखा है और दूसरी तरफ उसका प्रासीक्यूशन भी बच जाय। लेकिन उसमें अगर यह होता तो ठीक होता कि अगर मिल मालिक मजदूर के बकाया धन के बारे में या उसकी किसी चीज के बारे में रिट में जाता है तो कोई क्वालीफायिंग क्लाज उसके लिये लगा दिया जाता कि वह रिट तब तक लायी नहीं करेगी जब तक उसकी बकाया रकम जमा न कर दें न्यायालय में या उसकी सेक्योरिटी न दे दें तब तक रिट नहीं होगी। इसलिये न्यायालय के जुरिडिक्शन को बार किया जाय अन्यथा यही होगा कि मामले न्यायालय में पड़े रहेंगे और मजदूर मरते रहेंगे। तो माननीय श्रम मंत्री जी ने जिस भावना से इसको रखा है, उस भावना का हनन हो जायेगा और वह भावना उनकी दब जायेगी और मजदूरों पर अत्याचार होता रहेगा और वकीलों की फीस बनती रहेगी और मजदूरों के हितों का हनन होता रहेगा। तो इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिये, आपकी उद्देश्य और भावना की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो सुझाव मेरे द्वारा दिये गये हैं अगर उनको माना जायेगा तभी मजदूरों के हितों की रक्षा हो पायेगी। तो इस आशा के साथ और इन

सुझावों के साथ इस विधेयक का जो उद्देश्य है, उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि शासन मेरी बातों पर विचार करेगा ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशन आंग्ल भारतीय)—

मि0 चेयरमैन, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और 2/3 बातें भी उसी के साथ कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे मंत्री जी भी कानपुर के हैं और मैं भी कानपुर का हूं। हमारे यहां लोगों का ख्याल था कि हमारे श्रम मंत्री जी की तरह कोई लीडर कानपुर में पैदा नहीं हुआ ।

एक सदस्य—

वह ऐसा पहले था—अब नहीं ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक के बारे में बहुत सी बातें तो बहुत से लोग पहले ही कह चुके हैं। लेकिन यह बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज के लिये विधेयक बना है। जो 15 आदमियों पर 50 हजार की बात है तो वह कितने साल में होगा। इसमें व्यवस्था बड़ी इण्डस्ट्री के लिये की गयी है, छोटी इण्डस्ट्री के लिये नहीं । उसके लिये भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह जो कि कानपुर में बहुत डिफिकल्टी पैदा करती है जब आदमी इ0 एस0 आई0 में जाता है। वहां पर दवा की बड़ी दिक्कत है। उनको तीन रोज या 5 रोज का मेडिकल सार्टीफिकेट तो मिल जायेगा जो कि मेडिकल असिस्टेन्ट्स दे सकते हैं। लेकिन दवा मिलना गैरमुमकिन है। डाक्टर वहां पर मिलते ही नहीं हैं। टी0 बी0 हास्पिटल में भी वही स्थिति है। लंग्स ट्रबुल की कानपुर में हाइयेस्ट परसेंटेज है।

मैंने 30 साल इसी मिल में काम किया। दूसरे जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसका प्राविडेन्ट फंड 6 महीने बाद मिलता है। जब कोई वर्कर बीमार होकर मिल छोड़ कर चला जाता है तो 6 महीने तक वह जिन्दा ही नहीं रह पाता है और उसका प्राविडेन्ट फण्ड इस तरह से मारा जाता है। मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे तभी वर्कर्स के साथ इंसाफ हो सकेगा। वर्कर चाहता यह है कि उसे कपड़ा पहनने की और छप्पर सर के ऊपर मिल सके लेकिन आज लेबर कालोनी, कानपुर में क्या हो रहा है? 99 फीसदी लेबर कालोनीज लेबरर्स के हाथ में नहीं हैं, दूसरों को मकान एलाट हो जाते हैं जिनकी आय 500 से 1000 रु0 के ऊपर होती है। मंत्री महोदय इसमें दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा वेलफेयर सेन्टर्स जो हैं 10,15 साल पहले जब यह खुले थे तो एडल्ट एजूकेशन तथा प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ काम किया लेकिन आज क्या हो रहा है? बाबूपुरवा में जहां पहले बच्चे खेलते थे वहां आज भैंसे चरती दिखाई देंगी। वेलफेयर डिपार्टमेन्ट में डिफेक्ट है। इसको मंत्री जी को देखना चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर मंत्री जी कुछ संशोधन ला सकते हैं तो ले आयें और छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो अच्छा होगा ।

* श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मजदूरों से सम्बन्धित इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। इस विधेयक से यह दिखाई पड़ता है। कि वास्तव में हमारी जनता पार्टी की सरकार के मन में मजदूरों के प्रति बड़ी हमदर्दी और सहानुभूति है। मैं कहती हूं कि हिन्दुस्तान का कौन सा व्यक्ति है जिसमें मजदूर के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति न हो और जिसमें दान व धर्म का माद्दा न हो। जब कोई भूख से तड़पते हुए किसी भिखारी को देखता है तो कौन सा व्यक्ति है जो उसके कटोरे में एक टका न डाल देता हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह विधेयक इसी बात को बतलाता है। एक भूखे कुत्ते के दुख से व्याकुल हो कर जैसे कोई अपनी झूठन का एक टुकड़ा उसके आगे डाल देता है, एक अन्धे भिखारी की कटोरी में एक टका डाल देता है। एक बिल्ली जो भूख से तड़पती है उसके आगे दो चम्मच दूध डाल देते हैं। उसकी याद यह विधेयक दिलाता है। मजदूर के सामने या यह कहना चाहिए कि एक कुत्ते के सामने एक रोटी का टुकड़ा डाला गया है, एक भिखारी के कटोरे में एक टका डाला गया है। इससे हम मजदूरों की समस्याओं को हल कर सकेंगे, यह मेरी समझ के बाहर है।

इस विधेयक में जो विशेष बात कही गई है · · · (व्यवधान)। आप कितना ही व्यवधान क्यों न डालें, वट इट डजन्ट डिस्टर्व मी। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मान्यवर, इसमें 50 हजार की बात लिखी गई है। जब तक 50 हजार रुपया बकाया नहीं हो जायगा, चाहे वह एक साल में हो, दो साल में हो या तीन साल में हो, जितना भी समय लगे, तब तक वह मजदूर भूख से तड़पता रहेगा। उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी मजदूर हो, उसका किसी भी तरह से 15 दिन से ज्यादा बकाया नहीं रहना चाहिये। यह बात इस विधेयक में आनी चाहिए थी। इसे सरकार जैसे भी मैनुपुलेट करे। यह भी हो सकता है कि पहले से ही सरकार अपने कोष में 50 हजार या 1 लाख रुपये तक रखे और जिस किसी मजदूर का 15 दिन का पैसा बकाया हो जाय, उसे तुरन्त उस कोष में से मिलना चाहिये ताकि वह भूख से न मरे और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सके। इससे उसको आन्दोलन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो समझती हूं कि मजदूरों के वेतन का जितना भी पैसा हो उसका अन्दाजा लगाकर मिलों से पहले ही वसूल लेना चाहिये और सरकारी कोष से मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए जिस तरह से कि अध्यापकों ने किसी तरह से लड़-झगड़ कर बीसों वर्षों में सरकार को मजबूर किया है कि उनका वेतन सरकारी कोष से दिया जाय। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम मजदूर की परेशानी को हल नहीं कर सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कानपुर में जो घटना हुई उसके लिये आपको भी अफसोस है और सबको अफसोस है। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में दान-धर्म, सहानुभूति और गरीबों के लिये प्यार मोहब्बत न हो। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी नौबत क्यों आये। जहां पूंजीपतियों का एक स्थान है वहां मजदूरों की भी अपनी अहमियत है। उनके आपस में कोआर्डिनेशन न होने की वजह से यह सारी घटनायें होती रहेंगीं। हमें देखना है कि इसका क्या कारण है। उसे दूर करना होगा, यह तभी हो सकता है कि जब हम उनकी बेसिक समस्याओं को बेसिक तरीके से डील करें। किसी फटे चिथड़े में पैबन्द लगाकर वह नया नहीं हो जायेगा। यह वैसे ही है जैसे कि उस फटे कपड़े को अंधी आंखों से सीना हो उसमें फूल-बूटे बनाना हो। कपड़ा तो फटा है, कितनी ही कारीगरी उसमें की जाय वह स्थायी नहीं रह सकेगा। यह जो घटना कानपुर में घटी, वह 6 दिसम्बर को हुई और आर्डिनेंस 12 दिसम्बर को हुआ, जब कि मजदूर मर चुका था। मैं यह भी मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट अभी तक आयी या नहीं आयी और नहीं आई, तो क्यों नहीं आई ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि कानपुर की स्वदेशी काटन मिल में जो घटना हुई उसमें अभी 54 आदमी लापता है उनकी कहीं खबर नहीं है। उन फेमिलीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जो मजदूर लापता है वह तो भगवान के घर चले गये यह जाहिर है लेकिन उनकी फैमिलीज के बारे में उनके दुख के निवारण के बारे में हमारी सरकार को कदम उठाना चाहियें। मैं एक महिला होने के नाते उनकी बेवाओं की तरफ से पूछना चाहती हूं कि जिनके अब आंसू भी नहीं रहे जिनके पति गोलीकांड में मर गये, उनके परिवार के विषय में भी सोचना पड़ेगा।

मैं महिलाओं के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है क्योंकि मैं यहां एक होपलेस माइनोरिटी में हूं अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी तो 'आई शेल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी'। क्या आपने

महिला मजदूरों के बारे में इसमें कुछ सोचा? आपने नहीं सोचा अपनी कलम की स्याही का एक बूंद भी इसमें उनके लिये नहीं डाला । कितने करोड़ आंसू महिलाओं के होंगे जितने कि सितारे भी नहीं होंगे जितने आंसू इस धरती पर महिलाओं ने बहाये हैं । उनके लिए आपने एक बूंद भी स्याही जाया नहीं की । हमारी औरत मजदूर चाहे खेतिहर मजदूर की बात ले लीजिये या दूसरी महिला मजदूरों की बात ले लीजिये आपने उनके लिये 6 रु0 मजदूरी रखी है लेकिन उनको मिलता कितना है यह आप जानते हैं चार रु0 भी नहीं मिलता । मैं आपके घरों का भेद नहीं खोलना चाहती हूं । खेत में अगर आप जायें तो धान काटने और बोने का काम मुख्यतः औरतें ही करती हैं । चक्की चलाने का काम औरतें ही करती हैं लेकिन उनकी मजदूरी क्या नियत की है? अगर नियत की भी है तो उसका पालन कराने के लिए क्या स्टेप आपने लिए हैं ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या यह महिलाओं के ऊपर भाषण हो रहा है या इस विधेयक पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

क्या महिलायें मजदूर नहीं हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूं । भारत की हर महिला जिसकी गोद में बच्चा है वह मजदूर है । इसके अलावा वह खेत में काम करती है मिलों में काम करती हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए आपने इस विधेयक में कौन सा वाक्य या शब्द जोड़ा है ?

अब आप शहरों में आईये । जो चिकन का काम करती हैं जो बुनाई का काम करती हैं, जो कढ़ाई का काम करती हैं जिस चिकन के कुर्ते को पहन कर साहब बहुत अच्छा लगता है शाम के समय घूमने में और इत्र लगा कर पान खाने में उसका आपने कभी ख्याल किया कि कितने आंसू और कितनी आंख की रोशनी जाया होती है उसकी तरफ आपने सोचा ? जो अपनी आंखों के आंसुओं से उसमें रंग भरती हूं उस मजदूर के साथ अपने कितना न्याय किया है ।

आप अगर जाइये और देखिये कि जहां पर चिकन का काम होता है, उन घरों में 50 परसेंट टी0 बी0 की मरीज नजर जायेंगी । वहां एक तरफ चिकन का काम होता है, दूसरी तरफ तसला रखा रहता है, जिसमें वे बार-बार उलटी करती रहती हैं । इस तरह से खिलौने बनान वाली औरतें हैं, वे अपने सम्पूर्ण जीवन और शक्ति को उसमें लगा देती हैं और देवताओं की खूबसूरती को अंकित करने वाली जो महिलायें हैं और जो मूर्तियां आपको मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं, उन महिलाओं को आप कितनी मजदूरी देते हैं ? क्या आपने कभी इस चीज पर सोचा है । इसके साथ में इस प्रस्तुत विधेयक का सख्त विरोध करती हूं । मैं समझती थी कि एक बड़ा क्रांतिकारी विधेयक यहां इस सम्बन्ध में आयेगा, लेकिन आजकल की भीषण महंगाई को देखते हुए, यह विधेयक बिलकुल बेजान है. . .

(व्यवधान)

जब तक पूंजीवाद रहेगा और जब तक मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तबतक आप मजदूरों की व्यथा को नहीं समझ सकेंगे और उनकी व्यथाओं का निदान नहीं कर सकेंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं बार-बार आपसे इसके लिए कह रहा हूं । आप महिला हैं तो स्वयं अपनी तरफ भी देखें, ऐसा न करें कि किसी को आपका अनादर करना पड़े ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आज मजदूरों की समस्याओं के हल को लेकर जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि उनकी समस्याओं के निदान के लिये यह जो विधेयक आया है, वह उसका मूल निदान नहीं है । मजदूरों की समस्या उत्पादन और शोषण से जुड़ी

[श्री मित्र सेन--]

हुई है। जब तक मजदूरों की मान्यता नहीं बदलती है, तब तक मजदूर मजदूर की हैसियत से रहकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

श्रीमन्, मजदूर उत्पादन करता है और जबतक वह अपनी पैदावार का मालिक नहीं होता तब तक अन्य व्यक्ति उसका मालिक रहेगा, उत्पादित वस्तु के वितरण में उसका हाथ या अधिकार नहीं रहेगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेंगी। जैसा अभी हमारी एक महिला सदस्य ने कहा, जैसे किसी भूखे के आगे रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है या नंगे को कपड़े का टुकड़ा द दिया जाता है, उसी तरह का यह विधेयक है। मजदूरों के लिये यह एक मीठी गोली है। यह उनके बढ़ते हुए असन्तोष को शान्त करने के लिए एक मामूली इलाज किया गया है। देखा यह गया है कि जब भी कोई असन्तोष बढ़ता है और उससे गम्भीर परिस्थिति पैदा होने की सम्भावना हो जाती है, तो उसके लिये कुछ न कुछ किया जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के देशों के अन्दर यही होता है। यह हमेशा मजदूरों के आगे टुकड़ा फेंकता रहता है। जब तक उत्पादन के मुनाफे और लागत का समुचित और न्यायसंगत संबंध नहीं रहेगा, तब तक उनका शोषण गहरा होता रहेगा और एक दिन उठते-उठते वह उस स्तर पर पहुंच जायगा कि हर जगह क्रतियां हो जायेंगी। इसकी मूल मंशा यह है कि आज तक मजदूरों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो असन्तोष है, जो उमड़कर सड़क पर आ रहा है, उसको शान्त करने के लिये यह नयी सरकार का एक टुकड़ा है। इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। मजदूरों की समस्या तभी हल हो सकती है जब उत्पादन की लागत के बाद मुनाफे में उसको समान अधिकार मिले और उत्पादन के वितरण में बराबर का अधिकार मिले।

इस पूंजीवादी संकट से मजदूर को तभी बचाया जा सकता है, चाहे वह खेतिहर मजदूर हो या औद्योगिक मजदूर हो,आज कल देखें सारी दुनिया को कुदरत से लड़कर मजदूरों ने बनाया है, जो सुख सुविधाएं दूसरे लोग भोग रहे हैं, उनको बनाने वाला, उनका उत्पादन करने वाला मजदूर स्वयं नहीं पा रहा है। तब तक मजदूर लड़ता रहेगा जब तक उसको वह सुख सुविधायें नहीं मिलती चाहें वह हवेली हो, कारें हों, हवाई जहाज हों या सड़कें हों, जो कुछ आज दुनियां में दिखायी दे रहा है सबका निर्माण करने वाला मजदूर है जो भगवान के बराबर है, जो कुदरत से लड़ता रहता है। मजदूरों को भगवान के बराबर अधिकार मिलना चाहिये। उनको मजदूर कहना चाहिये। किसान ही किस लिए लड़ता है कि उसको उत्पादन की लागत नहीं मिल रही है, मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ जो मजदूर लगा हुआ है उसकी भी यही हालत है। मजदूरों की लड़ाई तब तक चलती रहेगी तब तक मजदूरों का आन्दोलन खत्म नहीं होता। 50 हजार की बकाया पर लगान की तरह वसूली करके मजदूरों में बांटा जायगा। मजदूरों की तनख्वाह की गारन्टी होनी चाहिये। जैसे माध्यमिक शिक्षकों की तनख्वाह की गारन्टी हो गयी है चाहें अनुदान मिले या न मिले उनको तनख्वाह बैंक से मिल जाती है। उसी तरह से मजदूरों की तनख्वाह की गारंटी होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होता समस्या का हल नहीं हो सकता। मजदूरों को तनख्वाह बैंकों से दे दी जाय। उसकी गारन्टी की जाय। लेकिन मूल समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक मजदूर को मुनाफा और वितरण में समान अधिकार नहीं मिलता तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यह ठीक है अभी मजदूर आन्दोलन की मंजिल पर नहीं है। तब तक मुनाफा वगैरह चल सकता है। लेकिन एक दिन आयेगा जब मजदूर इस दुनिया को उलटेगा अपने सही हकों को लेने के लिए। इस तरह से कोई हल मिलता नहीं है। वह महसूस करता है कि उसके अन्दर कमजोरियां है, उन कमजोरियों को दूर करने के बाद उसको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी।

अभी हमने सुना, मजदूरों की समस्याओं के बारें में बहुत सी घटनायें बतायी गयी। चाहे कानपुर की घटना हो या अन्य मिल की घटना हो, जो घटना पिछले साल घटित हुई थी जो

दुनिया के अन्दर मशहूर हुई, वह चासनाला घटना है, जिस घटना में कोयले की खानों में कितनी ही मजदूर मरे। ऐसी घटनाएं मजदूरों के साथ होती हैं। उनकी जिन्दगी और उनके परिवार की क्या गारन्टी है जो मजदूर कोयले की खानों में मर गये, उनके बच्चों और परिवारों का क्या हस्र हुआ, कोई पता नहीं है। उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों की जिन्दगी के साथ, हिन्दुस्तान की पूंजीवादी सरकार ने क्या किया है? मजदूरों की जिन्दगी इतनी प्यारी है जो दुनिया को बनाता है, जो कुदरत से लड़ता है, उसकी जिन्दगी के बारे में सोचा न जाय। मजदूर की लड़ाई तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक मजदूर को उत्पादन की लागत के बाद मुनाफे और वितरण में समान अधिकार नहीं मिलता। तब तक मजदूर का आन्दोलन नहीं बन्द हो सकता तब तक जो इलाज किये जा रहे हैं, इससे फोड़े का निदान नहीं हो सकता।

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों को उनकी तनख्वाह देने की गारन्टी होनी चाहिये और उनकी तनख्वाह बैंकों के माध्यम से दी जानी चाहिये जिस तरह से अध्यापकों को तनख्वाह बैंकों से दी जाती है। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक मिल मालिक के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं.....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरे ऊपर भी कृपा हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री राम अधार राय को बुलाया है, इसक बाद आपको मौका मिलेगा।

*श्री राम अधार--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने मजदूरों की समस्याओं के बारे में अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक श्रम विभाग का सम्बन्ध है। स्वदेशी काटन मिल, गाजियाबाद के मजदूरों का मामला और बोनस का सवाल जो है वह उससे सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि समय पाकर हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया होता तो कानपुर में जो गोलीकांड हुआ, वह न होता। अगर मिल में ताला बन्दी हो गयी तो यह मामला श्रम विभाग का हो जाता है, लेबर को काम नहीं मिलता है तो यह मामला श्रम विभाग का हो जाता है और अगर बिजली में कटौती हो जाती है तो यह मामला बिजली विभाग का हो गया। कानपुर में जो गोली काण्ड हुआ वह केवल श्रम मंत्री जी से ही सम्बन्धित है। आज जो स्थिति है उसके अन्तर्गत हमारी सरकार को सोचना चाहिये। हमारी सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है या मजदूरों का कोई संगठन नहीं है जिससे हमारी सरकार अपनी नीति को उन तक पहुंचा सके। विरोधी दल के लोग मजदूरों को उकसाते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपने विभाग को समय पाकर, इसके पहले कि मजदूरों और मालिकों के संबंध बिगड़े, अपने विभाग के जरिये पंच समझौते के जरिये उनकी समस्याओं पर विचार करें। बीड़ी मजदूर दिनभर काम करते हैं और उनके साथ उनके बच्चे और औरतें भी काम करती रहती हैं। यह भी श्रम विभाग से ही सम्बन्धित है, लेकिन उन बेचारों को यह भी पता नहीं है कि लबर विभाग का अधिकारी कहां पर बैठता है। मैं कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामग्रधार—]
चाहता हूं कि 30 साल के कांग्रेसी शासन में मजदूरों की उपेक्षा की गयी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देगी। पिछली गलतियां जो हुई हैं उनको हमारी सरकार दूर करेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राम अधार—

कानपुर के अन्दर कितने लोग मारे गये यह एक कहानी बनी हुई है, कुछ कहते हैं कि 50 मरे हैं, कुछ कहते हैं कि 100 मरे हैं लेकिन सरकार की घोषणा है कि 13 मरे हैं। कुछ भी हो जो घटना वहां पर हुई है उसकी मैं निन्दा करता हूं। जिस प्रकार से एमरजेंसी में मीसा और डी0 आई0 आर0 में लोग पकड़े गये हैं वैसे ही वहां पर हमारी सरकार ने मजदूरों के साथ ज्यादती की है। यह जनता विरोधी रवइया है। मैं चाहूंगा कि जहां भी लोग गोली से मारे गये हैं और शहीद हुए हैं, उन सबके परिवार को प्रति परिवार के हिसाब से कम से कम 5 हजार रुपया अवश्य मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री व अन्य सारे मंत्री इस बात पर विचार करके तय करें कि सारे मजदूरों को 5 हजार रुपया प्रति परिवार दिया जाय।

श्री बाबू बदरे—

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में जो विधेयक प्रस्तुत है, उसका समर्थन तो मुझे करना ही पड़ेगा और कर भी रहा हूं। जहां तक मजदूरों की नीति सम्बन्धी मामला है किसी चीज को ताकत देने के लिये विधेयक लाये जाते हैं। बुनियादी तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों की जिन्दगी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस शासन ने जितने भी कानून बनाये वे मजदूर को दीमक की तरह से खाते गये। मिसाल के तौर पर टेम्पोरेरी भर्ती का कानून बनाया, प्लेआफ का कानून बनाया जिससे मजदूरों की बेकारी बढ़ी। हमारे माननीय मंत्री जी हमारे मजदूरों के नेता हैं (आवाजे-अब नहीं हैं)। हां, आजकल सिर्फ मिनिस्टर हैं। अगर इस प्रकार का विधेयक लाया जाता कि ट्रेड यूनियन में कोई आउटसाइडर नहीं रहेगा, बाहर का आदमी न रहेगा और ट्रेड यूनियन में एक ही यूनियन को रैकगनाइज किया जायगा, दूसरे को नहीं, तो हर उद्योग में प्रदेश के मजदूरों का फायदा होता। जैसे सूती मिलों में एक ही यूनियन को मान्यता दी गयी थी उसी तरह आप विधेयक लाकर हर उद्योग में एक यूनियन को मान्यता दें।

श्री अध्यक्ष—

इस बिल से यूनियन का क्या ताल्लुक? आप तो सारी श्रम नीति की समालोचना कर रहे हैं। आप अपने को इस बिल तक ही सीमित रखें।

श्री बाबू बदरे—

मान्यवर, जहां तक स्वदेशी मिल की बात कही गयी है, उनके बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वदेशी मिल में दोनों भाइयों में धन के मसले को लेकर झगड़ा हुआ पर उसको दबाया गया है। कहा गया कि जनता पार्टी इस प्रदेश में कुछ काम नहीं कर रही है। उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मिल में जनता पार्टी की सरकार ने खुलकर गोली चलवायी और मजदूरों को मारा। 30 साल के कांग्रेस के राज मे एक भी मिल में गोली नहीं चली, अंग्रेजों के जमाने में जरूर कुछ मारे गये। जो मौजूदा विधेयक लाया गया है इससे मजदूरों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अगर हमारी जनता पार्टी की सरकार वास्तव में मजदूरों को राहत देना चाहती है तो मैं एक सुझाव उनको देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का एक विधेयक सदन में लाये जिससे ट्रेड यूनियन में कोई आउट

साइडर न रखा जाय और अगर हो भी तो वह किसी भी मिल का ही व्यक्ति हो । बाहर के जो लोग होते हैं उनसे मजदूरों को नुकसान पहुंचता है । लाल बहादुर शास्त्री जी की एक मिसाल कायम है, माननीय श्रम मंत्री जी को चाहिये था कि जब वहां पर मजदूर मारा गया, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था । वह स्वयं कहते थे कि अगर उनके परिवार के लोग लिख कर भेजें कि उनके पति का या उनके लड़के का पता नहीं है, मर गया है, तो उसको मोआवजा दिया जायगा । तो इस तरह से अध्यक्ष जी एक नीति होनी चाहिये । . . . .

श्री अध्यक्ष--

बाबू बदरे अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू बदरे--

एक शेर कह कर हम समाप्त करते हैं:--

"मुझे नफरत न थी अंग्रेज के कौम और सूरत से,
मुझे नफरत जो थी, वह थी अंदाजे हुकूमत से,
जो अपनों की हुकूमत आज रहबर हो नहीं सकती,
तो अपनों की भी सूरत से,
मोहब्बत हो नहीं सकती ।"

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, समय का अभाव है पहले मैं इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे संशोधनों पर अपने विचार प्रकट किये हैं । माननीय मंत्री जी से मैं यह आशा करता हूं कि जिस तरीके से दोनों तरफ के बैठने वाले सदस्यों ने एक ही बात पर बल दिया है, यह मजदूरों की जेबों में रुपया मिल जाय । इस बिल में वह फोर्स नहीं है । लक्ष्य यह है कि मजदूरों को रुपया मिल जाय, लक्ष्य यह नहीं है कि उसको रेवेन्यू की शक्ल में वसूल करें । तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी स्वयं अपना विचार । प्रकट करेंगे इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं ।

(श्री श्याम दत्त पालीवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

पालीवाल जी, अब इस पर अवसर नहीं है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, आज आपकी विशेष अनुग्रह मानता हूं जो आपने मुझे बहुत सी बातों का, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनका उत्तर देने का समय दिया । मुझे तो डिबेट में ऐसा मालूम हुआ कि जो अमेन्डमेन्ट मैं लाया हूं, इसको छोड़ के बाकी श्रमिक संसार से संबंधित हर एक बात करीब-करीब कह डाली । अब इसके बारे में मान्यवर, एक बात तो मुझे यह कहनी है कि जिस वक्त माननीय सदस्य यह कहते थे कि 50 हजार से नीचे वालों का क्या होगा, तब तक मैं आश्चर्य करता था कि पेमेंट वेजेज ऐक्ट को क्या सदन के जितने वक्ता हैं सबके सभी को स्मरण नहीं है, क्षण भर के लिये, 50 हजार तो अलग रहा, 5 रुपये के लिये पेमेंट वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत आप रिकवरी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं । यह तो एक विशेष परिस्थिति के लिये है । जैसे कि स्वदेशी काटन मिल है, 25 लाख रुपये का माहवार वेज बिल है, जितनी बड़ी-बड़ी मिल हैं उनमें 50 हजार की कोई कीमत नहीं होती है बाकी रह जाना एक लाख के ऊपर मैंने सजा, जेल मिल मालिकों के लिये दिया है । छोटे-छोटे कारखानों के लिए, मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए छोड़ देना चाहिये नहीं तो मारे डर के मालिकान भाग जाते हैं । यह एटम बम जो है यह कोई छोटी-छोटी चीटियों को मारने के लिये नहीं है ।

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी—]

एक चीज और मैं बतला देना चाहता हूं। यह आशंका आप अपने दिल से निकाल दीजिये कि जहां यह बिल आ गया है इसलिये वह पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट रद्द हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। 50 हजार से नीचे के लिये जो ऐक्ट है उसमें भी मंजूरी के लिये मैंने वह दिल्ली भेज दिया है और मैं क्या करूं, वहां 3–4 महीनों से कई हमारे संशोधन विधेयक पड़े हैं। मैं दुखी हूं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जो मैं भेज चुका हूं उसके अन्दर एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर भू-राजस्व के तौर पर जो बकाया वेतन है वह वसूल करने की व्यवस्था 50 हजार से कम के लिये है। कम क्या, हर एक के लिये मौजूद है। इसलिये उस विषय में कोई चिन्तित होने की जरूरत नहीं है।

दूसरे रियासत हुसैन साहब ने कहा कि हम हर दफा, जब भी कभी वेजेज थोड़े से एरियर्स में रह जायं, तो हम अपने राजकीय कोष से पहले पैसा दे दिया करें और फिर जब एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूली हो तो कोष में उसे रख लिया करें देखिये, तीन तरह के हमारे पास कारखाने हैं। एक तो पब्लिक अन्डरटेकिंग में, डिपार्टमेंटली रन कारखाने हैं। वहां तो ऐसा प्रश्न उठता नहीं है। जो निगम हैं जिनको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट्स और यह गवर्नमेन्ट चलाती है वहां भी नहीं उठता प्रश्न। कानपुर में स्वदेशी मिल 1911 में बना। 1946 में जयपुरिया के पास आया। तब से आज तक कभी ऐसी परिस्थिति नहीं उठी जैसी कि दिसम्बर में उठी। इसलिये आगे भविष्य म उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई बड़ा मिल-मालिक मजदूरों के वेतन को, पैसे को रोक न सके और रोके तो जेल से बच नहीं सके, इसके लिये यह विधेयक है और इसका खौफ ही काफी है पेमेंट करने के लिए।

आज एक चीज और आप से बतलाना चाहता हूं। वह यह है कि आपका यह कहना कि हम कोष से पेमेंट करें, इसके लिये बिल में किसी प्राविधान की जरूरत नहीं है। यह तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से दे सकते हैं स्वदेशी काटन मिल में 66 लाख रुपया वेतन दिया है। करीब 28 लाख के 26 अक्तूबर को जब वहां घेराव हुआ उसके बाद भी दिया। कोई विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इतनी बात जो कही हैं वह इसमें आती नहीं हैं। अब बातें तो इतनी कही गयी हैं कि मुझको आश्चर्य होता है। मुझको यह बहिन जी ने कहा कि स्त्री वर्कर्स के हित को, उनके दुख को मैं नहीं जानता। मैं 35 वर्षों से विधुर हूं। मगर स्त्री वर्कर्स की बात थोड़ा बहुत तो ध्यान में है ही, बिलकुल तो नहीं भूल गया हूं। अभी 1976 में इफ्वल पेमेन्ट आफ वेजेज का स्त्री पुरुषों के लिये ऐक्ट आया है, उसके अनुकूल हम काम करते रहे हैं। जहां कहीं भी कोई शिकायत होती है उसी काम के लिए, उसी कारखाने में स्त्रियों को कम वेतन मिलता है तो तत्काल उस मामले को हम देखते हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो भी ये भाषण दे रहे हैं उसका इस विधेयक से कोई ताल्लुक ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री मुकीमुर्रहमान—

अध्यक्ष जी, हम बैठ जाते हैं, मगर यह जरूर बतावें कि यह भाषण किस मुताल्लिक है?

श्री अध्यक्ष—

मैं उत्तर दे रहा हूं जो आलोचना की गयी।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मुझको माननीय सदस्य ने अपने भाषण से चकित कर दिया। थोड़ी देर हुई, मैं सोचता रहा कि कौन सा कानून है जो अछूता रह गया या श्रमिकों के सम्बन्ध मे कौन सी बात है जो आपने नहीं कही, सिर्फ उसका मतलब बिल से नहीं था और मेरा अभ्यास कुछ ऐसा है; मेरी कमजोरी है कि मैं उसके बाहर जा ही नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रोवोकेशन हो। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो जो बातें उससे संबंधित कही गयी हैं मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा।

इसमें यह लिखा गया है कि लेबर कमिश्नर यह तय करेगा कि कितना अमाउन्ट देना है। पेमेन्ट की जो ताकत आज के दिन हमारे पास है वह उसमें नहीं है कि हम मिल मालिकों को मजबूर कर सकें कि वह हमको अपने खाते दिखायें और फिर हम उनके खातों को देख कर यह निकाल सकें कि कितने मजदूरों का वेतन बकाया है। स्वदेशी काटन मिल में यही कमी थी। जुलाई 1975 से जुलाई 77 तक 20 मुकदमें पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत श्रम विभाग ने स्वयं खाते देखकर दायर किये। जुलाई, 1977 से दिसम्बर 5, 1977 तक 18 प्राभियोजन स्वदेशी काटन मिल के खिलाफ श्रम विभाग ने दायर किये। 5 महीनों के अन्दर जितने प्राभियोजन श्रम विभाग ने दायर किये उतने शायद ही उत्तर प्रदेश के कुल कारखानों में 12 महीनों में दायर हुये हों। स्वदेशी काटन मिल में ही 1911 से आज तक कभी इतने मुकदमें दायर नहीं हुये। हमारे पास कुर्की कराने की ताकत नहीं थी और जेल में बन्द करने की भी कानूनी ताकत नहीं थी। उसके लिये हमने आर्डिनेन्स बनाया था। 8 अक्तूबर से बनाना शुरू किया था और 12 दिसम्बर को यह लागू हो गया था। वही यह विधेयक है। अगर 6 दिन पहले फायरिंग हो गयी तो इसके यह माने नहीं हैं कि हमने दो माह पहले शुरू नहीं कर दिया था। जितनी पूर्वगामिता श्रम विभाग से हो सकती थी, हुई है। उससे अधिक करना असम्भव है। माननीय सदस्यों को इसके बारे में तफसील से ज्ञान नहीं था इसलिये यह समझा गया कि श्रम विभाग कुछ कर सकता था मगर उसने कुछ किया नहीं। इसलिये गोली चल गयी। जिन लोगों ने 6 दिसम्बर को घेराव किया और गोली चली, वे स्वयं नहीं जानते थे कि उस दिन होना क्या है। जब कोई चीज अचानक हो जाती है तो उसके यह अर्थ नहीं होते हैं कि उन्होंने प्लान किया था घेराव करने का, या गवर्नमेन्ट ने प्लान किया था गोली चलाने का, मेरा दुर्भाग्य यह है कि जो तीन बातें श्रम विभाग से ताल्लुक ही नहीं रखतीं, उन्हीं तीन बातों को लेकर श्रम विभाग की आलोचना की गयी है। मसलन अगर कहीं गोली चलती है तो वह ला एण्ड आर्डर का मसला है, गोली श्रम विभाग का मसला नहीं है..... (व्यवधान)

श्री बाबू बदरे—

[× × × × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्रीमन्, बाबू बदरे मेरे उन सैकड़ों शिष्यों में से एक हैं जिन्हें मैंने श्रम कानून के विषय में 25-30 वर्षों तक काफी सिखाया है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिये।

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अगर कोई मिल बन्द होती है तो उसको फिर से चलाने की जिम्मेदारी भी हरगिज न श्रम विभाग की है.....

(श्री बाबू बदरे के पुनः खड़े हो ने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय बाबू बदरे, बार-बार खड़े न हों।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

तीसरी चीज बेकारी की है जिसके बारे में भी श्रम विभाग की आलोचना की गयी।

हमको अकेले, श्रम विभाग को न बेकारी से मतलब है, न ला-ऐण्ड-आर्डर के जो कदम लिये जाते हैं उससे मतलब है और न ही हमारी अकेले क्लोज्ड मिल को चलाने की जिम्मेदारी है। लिहाजा तीनों चीजों को अच्छी तरह से हृदयंगम करके आलोचना करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त कीजिये, समझ गये हैं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्रीमन्, कुछ इस सिलसिले में कहा गया होता तो मैं भी कहता। मैं तो बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत जी, क्या आप संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के बयान से मुतमुईन नहीं हूं कि आपके बिल के अन्दर इतनी शक्ति है कि मजदूरों को उनकी तनख्वाह या बोनस का पैसा मिल सके। इसलिये मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 9 तक

2—इस अधिनियम में—

परिभाषायें

(क) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान से है जिसमें वस्तुएं प्रयोग, परिवहन या बिक्री के उद्देश्य से उत्पादित, प्रसंस्कृत, अनुकूलित या विनिर्मित की जाती हैं;

(ख) "श्रम आयुक्त" में इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक श्रम आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी भी सम्मिलित हैं ;

(ग) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में, "अधिष्ठाता" का तात्पर्य ऐसे अधिष्ठान में नियोजित मजदूरों के नियोजक से है और इसमें उस स्थिति में, जहां नियोजक कम्पनी है, वहां प्रबन्ध निदेशक और जहां कोई फर्म है, वहां फर्म द्वारा इस निमित्त पदाविहित भागीदार और किसी अन्य नियोजक की स्थिति में ऐसा कोई अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे उसकी सम्मति से, नियोजक ने इस निमित्त पदाभिहित किया हो और जिसका नाम नियोजक द्वारा श्रम आयुक्त को विहित प्रपत्र में विहित दिनांक तक सूचित किया गया हो ;

(घ) "मजदूरी बिल" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा अपने मजदूरों को देय मजदूरी की कुल धनराशि से है ;

(ङ) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में दिया गया है ;

(च) "मजदूर" का वही अर्थ होगा जो उसे संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में दिया गया है ;

(छ) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता को मजदूरी संदाय में व्यतिक्रम करने वाला समझा जायगा, यदि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 में उपबन्धित अवधि के भीतर ऐसी मजदूरी का भुगतान न किया गया हो।

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी की भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली

3--(1) जहां श्रम आयुक्त का समाधान हो जाय कि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता ने मजदूरी के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जिस मजदूरी बिल के सम्बन्ध में ऐसे अधिष्ठाता, ने व्यतिक्रम किया है वह पचास हजार रुपए से अधिक का है, वहां वह धारा 5 और 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने हस्ताक्षर से, सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा देय मजदूरी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेज सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि और उसके अतिरिक्त दस प्रतिशत की दर से वसूली खर्च, उस औद्योगिक अधिष्ठान से वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानों ऐसी धनराशि भू-राजस्व की बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूल की गई धनराशि, वसूली खर्च काट कर श्रम आयुक्त के व्ययन पर रख दी जायगी जो उसके हकदार मजदूरों में बांटेगा या बटवायेगा।

(4) जहां इस प्रकार वसूल की गई धनराशि ऐसे मजदूरी बिल से, जिसके सम्बन्ध में अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है, कम ठहरे, वहां श्रम आयुक्त मजदूरों के विभिन्न प्रवर्ग में मजदूरी का ऐसा अनुपात या क्रमिक अनुपात, जैसा वह ठीक समझे, बांटे जाने का प्रबन्ध करेगा।

(5) मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में प्रत्येक मजदूर के प्रति अधिष्ठाता अपने दायित्व से उस धनराशि की सीमा तक उन्मुक्त हो जायगा जिसका संदाय इस धारा के अधीन ऐसे मजदूर को कर दिया जाय।

श्रम आयुक्त की शक्तियां

4—किसी अधिष्ठान के मजदूरी बिल, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया गया है, को अभिनिश्चित करने के लिये श्रम आयुक्त को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उनका बयान लेने और दस्तावेजों को पेश करने के लिये बाध्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त है और श्रम आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा।

शास्ति

5—(1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान का अधिष्ठाता किसी समय एक लाख रुपये से अधिक किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध

6—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी ओर से कोई उपेक्षा के कारण हुआ है, तो उस कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

7—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना से ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित हो। किये गये कार्य का संरक्षण

8—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 20, 1977

9—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

खंडों में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये सबको एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978

औद्योगिक शांति बनाये रखने के हित में, बड़े औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी का यथासमय संदाय और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 12 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन में विचारार्थ लेने पर आपत्ति

(स्वायत्त शासन मन्त्री के पुकारे जाने पर।)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषय कैसे आ गया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं दूसरा विधेयक ले रहा हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इसी के संबंध में तो आपत्ति है। नियमावली देख लें। मान्यवर, नियम 22 को और 161 को देखें। यह विधेयक श्रीमन्, अभी आ रहा है विधान परिषद् से, और दफा 161 के अन्तर्गत, आपके समक्ष नियमावली होगी, उसमें लिखा हुआ है कि 'जब कोई विधेयक परिषद् में पुरःस्थापित तथा पारित हुआ हो और सभा में प्राप्त हो तो विधेयक सचिव द्वारा यथाशीघ्र पटल पर रक्खा जायगा।' यह पटल पर रखा गया है। अब 161/62/63 में आज इसको पटल पर रखना चाहिये था। हमें सूचना मिलती तो हम संशोधन देते। लेकिन मौका नहीं है संशोधन देने का। प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया है। तो हमें बताया जाय कि किस तरह से हम संशोधन दे सकेंगे और किस तरह से आप स्वीकार करेंगे ? 163 में लिखा है 'जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें'। पता नहीं, निर्देश हो गया है तो कैसे ? क्या हम लोगों का अधिकार लेकर निर्देश दिया है। यह तो अधिकार इस सदन का है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी, ऐसा लगता है कि कल आप उपस्थित नहीं थे।

श्री श्यामधर मिश्र—

था।

श्री अध्यक्ष—

जब हम उठ रहे थे उससे पहले सचिव ने सूचना दी थी कि यह बिल विधान परिषद् से पारित होकर आ गया है और सदन के पटल (टेबिल) पर रखा जाता है। इसलिये आपत्ति ठीक नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, हम यह नहीं मान सकते कि वहां जो विधेयक गया उसमें संशोधन हुए या नहीं। हम यहां विधान सभा के रूप में बैठे हैं हमें नहीं मालूम कि विधान परिषद् में क्या संशोधन हुए ? संशोधित रूप में आया कि नहीं ? यदि संशोधित रूप में आया तो उसमें फिर संशोधन देना चाहिये। फिर से वह हमारे सामने नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

कल की कार्यवाही के कार्यवृत में लिखा है कि "सचिव विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखा।" श्री मिश्र, आप जानते हैं और आप भी मौजूद थे तो यह बात आप नैतिक रूप में स्वीकार करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, संशोधन किस प्रकार हम दें, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

संशोधन यदि आप देना चाहते हैं तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में केवल एक क्लाज है, उसका समय बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1978 कर दिया जाय। यदि इसका विरोध आप करते हैं तो संशोधन यदि देंगे, तो मैं उसको मंजूर कर लूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जो सदन की परम्परा रही है कि समय पर एक कापी मिल जाय बिल की और उसको पढ़ने के समय मिल जाये लेकिन जैसा आपने कहा और यह सही है कि तारीख बढ़ाने की बात है किन्तु उसके पीछे कितनी बड़ी प्रजातंत्र को धक्का लगने वाली बात है कि चार-चार बार तारीख मुल्तवी कर कहा कि 31 दिसम्बर, 1978 तक ले जाना चाहते हैं। तो तारीख मुकर्रर हो गई लेकिन बहस का भी मौका नहीं मिलगा क्योंकि सदन के उठते समय काउन्सिल से वह बिल आया और सचिव महोदय ने पढ़ दिया। हम कापियां भी पीजन होल से लाये हैं। चाहे उसमें एक लाईन हो या दो लाईनें, जो भी हैं उसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता जिसके जरिये सारे सदस्यों को कुछ न कुछ कहने का मौका इस पालिसी पर मिलता। इससे हम वंचित हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

उससे हम आपको वंचित नहीं करेंगे। रियासत जी कल कार्य मंत्रणा समिति में जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रश्न दिया तो केवल आपकी आपत्ति यह थी कि इसको हम कार्यसूची में कैसे लें। संभव है कि परिषद् इसको खारिज कर दे। मैंने कहा था कि खारिज कर देगी तो लेने का प्रश्न ही नहीं है। आपने बचन दिया था कि पारित हो जाता है तो कल इस पर विचार कर सकते हैं। तो यह तो आपस में जो वायदा हो जाता है उस पर फिर नहीं कहना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, विचार करने की कुछ प्रक्रिया तो होगी ?

श्री अध्यक्ष--

वायदा खिलाफी आप करने लगें तो कैसे काम चलेगा ?

श्री श्याम धर मिश्र---

आप जानते हैं कि आपस में वायदा खिलाफी तो हो ही नहीं सकती है और न हम लोग कर रहे हैं। मान्यवर, हम सहमत हैं तो उसके तरीके से सहमत हैं। यदि इस पर विचार करने को सहमत हैं तो उसके तरीके की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये, तो सहमत हैं। यह नहीं कि बिल, हम तो जानते ही हैं कि पास हो जायेगा, बजट पास हो जायेगा, यदि ऐसा है तो फिर 24 दिन का अनुदान न लिया जाय। एक दिन में ही कर दिया जाय हां ना कर के। आप कहेंगे कि वायदा है, तो जो प्रक्रिया है उसमें वायदे की बात न करें।

श्री अध्यक्ष---

आपने स्वयं पढ़ा, 162 में अध्यक्ष को अधिकार दिया है, 313 में भी अध्यक्ष को अधिकार है। 162 में विशेष परिस्थिति होने के कारण मैंने तो इसकी अनुमति दे दी। कल आपने वायदा किया था। आप इस पर बोलियेगा ऐसा नहीं है कि मैं आपको उससे वंचित कर रहा हूं।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाय जब तक कि आज का कार्य पूरा न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि आज की कार्य सूची का कार्य पूरा न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन, अगर आप चाहें तो संशोधन रख सकते हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जैसा आपने इजाजत दी, मैं संशोधन रख रहा हूं। आपकी इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। श्रीमन्, जिन हालात में माननीय मंत्री जी ने यह बिल प्रस्तुत किया है एक लाइन का है और मैं समझता हूं इस विधान सभा के इतिहास में शायद इससे छोटा बिल आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

पहले भी बहुत विधेयक इसी तरह के मेरे सामने पेश हो चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था। लेकिन इस एक लाइन के विधेयक के पीछ क्या कुछ है उसको आप देखें तो पता चल जायगा। 31 मार्च, सन् 77 तक का समय था जब कि चुनाव हो जाने चाहिये थे, स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं के, लेकिन अब उसके लिए यह 31 दिसम्बर, 78 तक ले जाना चाहते हैं। पिछले सत्र में जब हम बैठे थे तो प्रश्नों के जरिये और समय समय पर जब भी यह प्रश्न उठा तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र इनका चुनाव करा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद नवम्बर की तारीख रखी थी, 20 नवम्बर या कुछ ऐसी ही तारीख रखी थी।

मैंने अपने सप्लीमेंटरी में स्पष्ट रूप से प्रश्न किया था कि क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से आश्वासन दे सकते हैं कि 20 नवम्बर तक नगरपालिका और स्थानीय निकायों के चुनाव करा देंगे। तब उन्होंने कहा था कि मेला आ रहा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने आगे बढ़ाने के लिये कहा है। तो मैंने फिर कहा था कि क्या दस दिन का समय बढ़ा कर 30 तक करा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम चुनाव कराना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी करायेंगे। उस आधार पर जिला के चुनाव दफ्तर ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी कि नामीनेशन की यह तारीख होगी, विदड्राल की यह होगी। आप देखें कि एक बार मुल्तवी किया, दोबारा मुल्तवी किया। फिर इसके बाद कहेंगे चौथी बार अखबारों में पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रशासनिक दिक्कतों और परेशानियों के कारण हम यह चुनाव नहीं करा सकेंगे और कुछ मुल्तवी करते हैं। तो, मान्यवर, इससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरपालिकायें हैं और उनमें रहने वाली जो जनता है उनके साथ यह अन्याय हो रहा है, क्योंकि बहुत सी नगरपालिकाओं में 15/20 साल से सुपरसेशन है जैसे कि मेरे मुरादाबाद में 20 साल से वह सुपरसीडेड पड़ी है और अफसरों के हाथ में है। जहां बोर्ड कायम भी थे, उसको भी इस जनता पार्टी की सरकार ने मान्यवर, इस आश्वासन के साथ भंग कर दिया कि हम जल्द से जल्द चुनाव करायेंगे। ठीक है, दुबारा चुनाव का भरोसा प्रदेश की जनता को था। उसने तसलीम कर लिया क्योंकि प्रजातंत्र के अन्दर जनता पार्टी विश्वास दिखला रही है। इनका मेनीफेस्टो भी उसी तरह का है। लेकिन उसी जनता पार्टी के जमाने में ही ब्यूरोक्रेसी के हाथ में स्थानीय निकाय दे दिये गये और जिला परिषद् दे दिये गये और सदन के अन्दर बार बार आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द फरवरी के अन्दर गांव सभाओं के चुनाव करा देंगे और अप्रैल के अन्दर जिला परिषदों के करा देंगे, इस महीने के अन्दर टाउन-एरियाज के करा देंग, उस महीने के अन्दर बोर्ड के करा देंगे। लकिन वे सब वायदे ही रह गये।

मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता को भ्रम में रखा गया और आज स्थिति क्या है? आज अगर माननीय मंत्री जी ऐलान भी कर दें कि फलां तारीख को चुनाव करायेंगे तो पूरे प्रदेश की जनता उस पर यकीन नहीं करेगी कि चुनाव होगा। कोई इनकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिये हर जिले के लिये तैयारी करने के लिये क्योंकि वहां मेहनत करनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत अच्छा है कि खर्च नहीं करना पड़ेगा और चुनाव हो जावेगा।

श्री रियासत हुसैन—

अगर वैसा हो जाय मान्यवर, तो फिर तो ठीक है। शासन चल ही रहा है, उसको आई0 ए0 एस0 चला ही रहे हैं चाहे नगरपालिकायें रहें या म्युनिसिपल बोर्ड रहें या न रहें कहीं गन्दगी पड़ी है।

[श्री रियासत हुसेन]

तो पड़ी है, अंधेरा है तो है। जनता के लिये कोई सुविधायें हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं। मान्यवर, ये डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात करते हैं। मैं तो मान्यवर, खुश हूंगा अगर ये घोषणा कर दें आज की तिथि से डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स पर इनका विश्वास नहीं रहा। अगर ऐसा हो जाय तो बात खत्म हो गयी। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अफसोस और खेद इसी बात का होता है कि बार बार यकीन दिलाया जाता है और आज भी कह रहे हैं कि 31 दिसम्बर की बात। मुझे तो विश्वास हो गया है कि मेरे ख्याल से जब तक जनता पार्टी की सरकार रहेगी, यह चुनाव नहीं होगा। ये इस पोजीशन में नहीं हैं, मान्यवर, कि चुनाव करा लें। आज जनता के अन्दर इनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर वोट मांगें। इसीलिये, मान्यवर, ये चुनाव को हटा रहे हैं। आप आदेश दें। डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स 24 घंटे के अन्दर तैयार बैठे हैं। एक हफ्ते के अन्दर इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। जितना मसाला है तैयार है। केवल आदेश दें। लेकिन आपके अन्दर हिम्मत नहीं है। आप स्वयं अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, उसक लिये।

तो श्रीमन्, इस बिल के जरिये नगर में रहने वाली जनता के साथ खुला हुआ विश्वासघात कर रहे हैं। उनको हकूक से वंचित कर रहे हैं। जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़ और बरेली आदि जिलों में नगरपालिकायें 15/20 साल से भंग हैं। उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और यह ज्यादती आपके हक में अच्छी नहीं साबित होगी। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि मेरे सुझावों पर गौर किया जायेगा।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं भी रखना चाहता हूं। वह यह है कि 31 दिसम्बर तक जो प्रशासनिक अवधि इस विधेयक के द्वारा बढ़ायी जा रही है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह अवधि 30 जून, 1978 कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें क्योंकि मैंने माननीय शुक्ला को बुला लिया।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत साहब ने कहा कि जब तक जनता पार्टी का शासन रहेगा तब तक शायद नगरमहापालिका और नगरपालिका के चुनाव नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी सही है कि रियासत साहब भी एक अखिल भारतीय पार्टी के महामंत्री हैं, शायद.....

एक सदस्य—

अकेले हैं क्या.....

श्री बाबू राम शुक्ल—

लेकिन खेद इस बात का है कि शायद उनकी पार्टी शासन में आने वाली है नहीं .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन आप याद रखें कि उनकी पार्टी में कोई डिसिडेन्ट नहीं है। सर्वसम्मत पार्टी है।

श्री बाबू राम शुक्ल—

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जनता पार्टी ने ही इस देश में फिर से प्रजातंत्र को कायम किया है। आज प्रशासन के कारणवश नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित करने पड़ रहे हैं और इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि चुनाव स्थगित कर दिये जायं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस अवसर का लाभ उठा कर मैं शासन और स्वायत्त शासन मन्त्री जी के सम्मुख कुछ सुझाव और कुछ तकलीफें रखना चाहता हूं। कानपुर से आता हूं वहां का प्रतिनिधि हूं। मैं जानता हूं कि कानपुर नगर महापालिका जहां कि प्रशासक हैं वहां किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा है। कानपुर नगर में आप किधर ही चले जाइये आप को कूड़े का अम्बार सड़क पर देखने को मिलेगा, आप को चारों तरफ सिवेर बिखरा दिखाई पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में कृष्णानगर · · · ·

श्री अध्यक्ष—

बाबूराम जी इस वक्त केवल प्रश्न यह है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाय। आप तो अपने शहर की स्थिति बता रहे हैं।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रशासक या ऐडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुये हैं, वे ठीक प्रकार से काम नहीं कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस प्रशासक के ऊपर सख्ती करें और उनके काम की निगरानी ज्यादा की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय के सामने सुझाव रखना चाहूंगा कि जब तक नगरमहापालिकाओं के चुनाव नहीं होते हैं प्रदेश की पांच नगर महापालिकाओं के जन प्रतिनिधियों को लेकर सलाहकार समिति गठित करें। जो सलाहकार समिति प्रशासक को सलाह देती रहे और नगर प्रशासन ठीक प्रकार से चल सके।

इन शब्दों के साथ मैं जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

अध्यक्ष जी, यह जो विधेयक लाया गया है इसमें जो पांच महानगरी हैं उन पांच महानगरियों के प्रशासकों को 31 दिसम्बर, 1978 तक टाइम देने की बात पर मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसे 31 दिसम्बर के बजाय 30 जून, 1978 कर दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताता हूं कि जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई इस प्रदेश में तो जून, 1977 में महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में बिलकुल स्पष्टतः कहा था, क्योंकि राज्यपाल जी का भाषण भविष्य की नीतियों पर प्रकाश डालता है कि हम स्वायत्त सेवी संस्थाओं के चुनाव जितना शीघ्र हो सकेगा, करायेंगे। वह बात केवल राज्यपाल के भाषण तक सीमित रही और इस प्रदेश की जनता यह महसूस करती रही कि जनता पार्टी के पास एक सेन्टेन्स बराबर यही है कि हमने प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की पुनः स्थापना की है। मैं समझता हूं कि दस महीने के बाद भी यही कहा जाता है। मुझे मालूम है कि लोकतंत्र की बात होती है लेकिन कथनी और करनी में कितना फर्क है (शोर) मैं जानता हूं कि लोकतंत्र की बात हो रही है और जून, 1977 में कहने के बावजूद अब 30 मार्च को प्रशासकों की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा रही है।

[श्री गुलाब सेहरा--]

मुझे याद है मंत्री जी ने पिछले दिनों जनवरी के महीने में इलाहाबाद प्रेस कान्फरेंस में यह कहा था कि हम स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव करायेंगे। जब पूछा कब करायेंगे तो उत्तर दिया जब उपयुक्त समय आ जायगा। उपयुक्त समय का मतलब यह है कि जब जनता आपके साथ आ जायगी तब यह चुनाव करायेंगे। लेकिन जो वायदे करके यह सरकार आई है उनमें से एक भी वायदा यह पूरा नहीं कर पा रही है। विकेन्द्रीकरण की बात करने वाली जनता पार्टी स्वायत्त संस्थाओं को काम करने के लिये पूरी आजादी देने जा रही थी लेकिन इस विधेयक के द्वारा उसी ब्यूरोक्रेसी की पूरी ताकत दी जा रही है जिसकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है, लाखों रुपये की चुंगी की चोरी हो रही है और जो निर्माण-कार्य हो रहे हैं महापालिकाओं के अन्तर्गत सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता देने का अधिकार मेनिस्फेस्टो और वोट लेने के लिये भाषणों तक ही सीमित है और जहां तक प्रैक्टिकल बात आती है वहां सब मामला मिल ही जाता है। आज यह विधेयक उस लोक-तंत्र की हत्या का प्रयास है जिसकी रोज दुहाई दी जाती है। अगर दिल साफ है तो जैसा मैंने अपने संशोधन में कहा है 30 जून, 78 तक की अवधि इस विधेयक की कर दें तब तो मैं समझता हूं कि इस सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव कराने की मंशा है वरना जैसा रियासत साहब ने कहा आपकी मंशा 31 दिसम्बर, 78 के बाद भी इन चुनावों को कराने की नहीं है और हमको उम्मीद नहीं है कि यह जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जनता के सामने उतर सकेगी, इसका ऐसा मुंह रह ही नहीं गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने स्वायत्त शासन मंत्री व मुख्य मंत्री से बड़ा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले जो स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा था कि जून के अन्त तक ये चुनाव हो जायंगे तो अवधि तो इस विधेयक के द्वारा भले ही दिसम्बर तक वह बढ़ा दें लेकिन इसके पास होने के बाद भी वह इस बात की कोशिश करेंगे कि आगे इसकी मियाद न बढ़ाना पड़े और रियासत भाई की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर देंगे, इन चुनावों को 30 जून तक करा कर। मैं विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और हर एक को अपने अरमान निकालने का भी मौका मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करने की बात है और इस उम्मीद के साथ अपने मुख्य मंत्री तथा स्वायत्त शासन मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो तिथि अब की मर्तबा मुकर्रर कर दी गयी है जून की उसी के अन्दर यथासंभव ये चुनाव करा दिये जायं। अभी सुबह भी और इस समय भी आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ था यदि इसका समय कुछ अधिक बढ़ता है तो क्या जनप्रतिनिधियों को उसमें हिस्सा दिया जायगा जिसका उत्तर स्वायत्त शासन मंत्री ने दिया कि बहुत जल्द चुनाव कराने का इरादा है, इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं है। जहां तक 18 साल आयु की बात है वोट देने के लिये मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि इस वक्त वह 18 वर्ष की बात एक तरफ रख दें, दूसरे कामों को भी एक तरफ रख दें बस जून में इन चुनावों को अवश्य करा दें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

शम्भूनाथ चौधरी जी, आपका संशोधन है जनमत संग्रह के लिये इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रवर समिति का प्रस्ताव पेश हो चुका है। लेकिन चूंकि आपने संशोधन दिया है इसलिये आप इस विधेयक पर अपने विचार रख सकते हैं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया):—

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो बातों की ओर अवश्य खींचना चाहूंगा। पहला तो यह है कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जिस मसविदे पर हम सब लोग यहां बैठे हुये हैं, स्थानीय निकायों के चुनावों के लिये वायदे किये हैं। तीन शब्द उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैधानिक, निश्चित अवधि और नियमित। हमने वायदा किया है कि हम वैधानिक रूप से निश्चित अवधि में नियमित रूप से चुनाव करायेंगे। किन्तु खेद है कि आपको अवधि बढ़ानी पड़ी जबकि हमारा वायदा था कि बिना अवधि बढ़ाये हम चुनाव करा देंगे। दूसरी बात की तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि चुनाव न होने से इन निकायों में मनमाने ढंग से तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं यहां लखनऊ में जहां हम बैठे हुये हैं। यहां पर जो हमें सूचना मिली है, ये नियक्तियां एक खास जिले के एक खास जाति के प्रति हुई हैं। इससे लोगों में बड़ा असन्तोष बढ़ता जा रहा है और इससे हमारे दल को हानि होने की सम्भावना है। इसी आशा से मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा और जैसा कि माननीय उदित नारायण जी शर्मा ने कहा है कि वे यह निश्चित कर लें कि हम अवधि पुन: नहीं बढ़ायेंगे और मैं कह देता हूं कि अगर अपने अवधि बढ़ाने की कोशिश की तो हमारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने वायदे पर कसम खायी है पुन: आप का साथ देने में अपना संकोच करेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् यह जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने तथा अन्य लोगों ने भी कहा है कि केवल एक शब्द की बात है 31 मार्च की जगह 31 दिसम्बर हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष —

श्यामधर जी, क्या आप अपना संशोधन रखना चाहते हैं कि 31 मार्च तक चुनाव समाप्त हो जायं।

श्री श्यामधर मिश्र —

मैं तो चाहता हूं लेकिन मैं आपको क्यों कष्ट दूं ? मैंने प्रस्ताव रखा है कि 31 मार्च, 1978 की जगह 30 जून, 1978 रखा जाय। यह संशोधन मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष —

यह संशोधन आपको पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह श्री सेहरा जी पेश कर चुके हैं। यह संशोधन खण्ड दो के अन्दर है और जब हम खण्ड लेंगे उसमें इसे लिया जायगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम के खण्ड दो की पंक्ति दो में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द और अंक, "30 जून, 1978" रख दिया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र —

मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो माननीय गुलाब सेहरा ने रक्खा है। मैं यह कहता हूं कि यह तारीख बढ़ाने के सिद्धान्त का मैं पक्षपाती नहीं हूं और न आज हूं और न पहले था .... (व्यवधान) माननीय मानसिंह जी दाद दे रहे हैं कृपया मेरी बात सुनें। आप यह देखें कि महापालिकायें जो हैं, वे कितने वर्ष से भंग हुई हैं और उनका सरकारी तन्त्र द्वारा शासन चल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]—

मैं इस बात पर आता हूं कि शासन बुरा है या अच्छा पर वह जन प्रतिनिधियों का हो। कहीं अच्छा हो सकता है और कहीं बुरा हो सकता है लेकिन मेरी समझ में जो जनप्रतिनिधियों का शासन नहीं है वह बुरा है। (श्री मान सिह आजाद के कुछ कहने पर (व्यवधान) मान्यवर, आप हमारी रक्षा करें, हमें बोलनें दें।

श्री अध्यक्ष —

श्यामधर जी, आप भाषण जारी रखें थोड़ी उपेक्षा कर दें। मान सिह जी थोड़ा धैर्य और संयम से काम करें।

श्री श्यामधर मिश्र —

मैं कह रहा था कि गवर्नर रूल अच्छा नहीं कहा जा सकता कहीं हो सकता है अच्छा भी हो लेकिन अपना शासन अपना ही होता है। जो जन प्रतिनिधि शासन है। वह उत्तरदायी शासन होता है आज यहां जन प्रतिनिधियों का शासन है चाहे वह जनता पार्टी का ही क्यों नहीं है उसकी आलोचना हो सकती है और तारीफ भी हो सकती है। यहां पर दोनों बातें हो रही हैं। लेकिन जब ये संस्थायें भंग भी की जायें तो यह होना चाहिये कि 6 महीने के अन्दर उनके चुनाव हो जायेंगे इसमें अगर यह बात होती तो मैं इसका सहर्ष स्वागत करता। ये तो बड़ी संस्थायें हैं लेकिन जो छोटी-छोटी संस्थायें हैं टाउन एरियाज हैं या म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी भी यही कहानी होने जा रही है। उनका भी समय आप बढ़ायेंगे अगर संशोधन के रूप में नहीं लायेंगे तो एक्जीक्यूटिव आर्डर से समय बढ़ायेंगे। जिला परिषदों का भी वही हाल है जैसा कि गुलाब सेहरा जी ने कहा। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, और मंत्री बैठे हैं तथा दूसरे सदस्यगण बैठे हैं याद कर लें कि पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे। जल्द से जल्द के माने हैं कि कम से कम उस साल के अन्त तक या जो फाइनेंशियल इयर बीत रहा है उस समय तक इलेक्शन हो जाने चाहिये। मेरी भविष्यवाणी यह है कि आगे भी यह चुनाव नहीं होंगे। (व्यवधान) कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उनका मैं विरोधी रहा हूं और आज भी हूं और अगर आप करते हैं तो आपका भी विरोधी हूं। आपकी भी पोजीशन वही हो जायगी जो कांग्रेस की हुई। कांग्रेस वाले उधर से इधर आ गये और यहां से आप उधर चले गये फिर कभी आप वहां से यहां आ जाओगे और अफसोस करोगे।

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्यों आप यह टाइम ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह पास हो जायगा क्योंकि इसका पास होना बहुमत और अल्पमत की बात है आप बहुमत में हैं हमारा तो सिर्फ विचार रखने की बात है। अगर आप अभी चुनाव नहीं कराते हैं तो कम मे कम जहां जहां पर आपने ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे हैं वहां पर जनप्रतिनिधियों को सलाहकार बना देते पांच महापालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं और जिला परिषदें हैं, कोआपरेटिव की बात मैं नहीं करता। इस वक्त वह बात उठाना ठीक नहीं है, उसमें जो सलाहकार समितियां बनाई हैं उसमें आपने अपने लोगों को और अपने अपने घटकों को रखा जो अन्यायपूर्ण है (व्यवधान) जैसा नारायण दत्त तिवारी जी का हाल हुआ, आपका भी होगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामधर जी बहुत देर बाद आपको यह बुद्धि आई।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, हम और आप शासन से करीब-करीब साथ-साथ गये। हम और आप शासन से करीब-करीब साथ रहित हो गए थे। अब आप शासन में बैठे हैं, यह आपका सौभाग्य है। हम विरोध में सन् 67 के बाद..... (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आपने दल भी बदला, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाये।

श्री अध्यक्ष—

आप और हम इन्दिरा जी के साथ विरोधी भी रहे हैं, लेकिन आप बहक गए।

श्री श्यामधर मिश्र—

जहां तक चौखम्भा राज्य का प्रश्न .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसमें चौखम्भा राज्य की बात कहां है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

उसमें का एक खम्भा ये म्युनिसिपैलीटीज हैं। औरों की बात आप मानिये या न मानिए, लेकिन कम से कम लोहिया जी की तो बात मानिए और उनके अनुसार इसको मजबूत बनाए रखिए और आप विधि का शासन रखिए। उसके लिये जरूरी है कि आप निजी ढंग से काम न कीजिए। आप जीत जाइये, अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं.....

(व्यवधान)

हो सकता है कि आप का बहुमत हो जाए, फिर आप डरते क्यों हैं। आप ट्राई कीजिए। लेकिन उस डर की वजह से दिसम्बर, 78 में जाइए और झूठी अपनी बदनामी लीजिए तारीख बढ़वा-बढ़वा कर यह कतई उचित नहीं है। इससे आपकी बदनामी होती है और लोकतन्त्र पर आघात होता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष, वैसे तो संशोधन विधेयक आया है, मैं समझता हूं चुनाव जल्दी हों। इस बात के लिये कोई लोकतन्त्र का हामी और जनतन्त्र का मानने वाला मना नहीं कर सकता है। मैं तो कहता हूं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, चुनाव दिसम्बर तक शीघ्र करायें, जुलाई तक करायें जितनी जल्दी हो सके, उतना अच्छा है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार को कराना चाहिए। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि यह सरकार चुनाव नहीं करा रही है, वह दिखा रहे हैं कि वह ज्यादा जनतन्त्र के हामी हैं और यह सरकार चलाने वाले जनतन्त्र के हामी नहीं हैं मैं साफ कह देना चाहता हूं कि चुनाव को टालने की कोई भी हमारी मंशा नहीं है किन्तु चूंकि जनता की और नवयुवकों की यह मांग बढ़ रही है कि 18 साल की आयु वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाय, अतः हमें उसे स्वीकार करने के लिये वोटर लिस्ट्स में संशोधन करवाना पड़ेगा और उसमें लाखों वोटर्स बढ़ेंगे और उसमें समय भी लगेगा। स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को अपनाने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन फिर भी शासन को जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहिये।

यह जो कहते हैं कि हम इधर आ जाएंगे और वह इधर आ जाएंगे, यह हमारे लिये कोई नई बात नहीं है। हम तो बहुत दिनों 20 साल वहां बैठे हैं..... (व्यवधान) आज देखिए रियासत हुसैन अकेले आदमी हैं, उनके पीछे कोई नहीं है और श्यामधर जी जो 8 आदमियों को लेकर बैठे हैं, उनमें से भी कितने उनके वफादार हैं यह किसी को पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है, और नारायणदत्त जी यहां बैठते ही नहीं है, उनकी औकात अपनी जगह पर है। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव चाहे आज हों या कल, यह बात निश्चित है कि एक भी नगरपालिका या टाउन एरिया आपके हाथों में आने वाली नहीं है। अगर लग जाय तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिये। जो आपकी हैसियत है.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो लोकतन्त्र के विरुद्ध है कि आप इतना बड़ा संकल्प ले।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। हां, इतनी बात साफ है आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। यह सरकार का तरीका भी अच्छा नहीं लगता कि जिस तारीख को लगाओ उस तारीख को चुनाव न हो। चुनाव नहीं टालना चाहिये। जिस तारीख को निश्चित करें उस तारीख को चुनाव किसी कीमत पर न टालें। ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ जनता है, प्रदेश के नागरिक हैं, इन थोड़े से लोगों की बात सुन कर लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। उनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। जितने लोग आज सदन में बैठे हैं उतने म्युनिसिपल बोर्ड में टाउन एरिया में, गांव सभाओं में और उतने ही जिला परिषदों में चेयरमैन होंगे। जनता सरकार इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। जितनी आप कहते हैं, सारी बातों को हम समझते हैं और मजबूती के साथ शासन को स्वच्छ तरीके से चलाने के लिये कटिबद्ध हैं। जितनी बात आप लोकतन्त्र और जनतन्त्र की करते हैं, हम जिन्दगी भर लोकतन्त्र के लिये लड़े हैं, जेलों में गये हैं, लाठियां और डंडे खाये हैं और आज भी बताना चाहते हैं कि अगर सरकार कभी लोकतंत्र या जनतन्त्र की हत्या करेगी तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा, इस सरकार के खिलाफ बगावत करूंगा। आज इस बारें में कोई गलत काम सरकार नहीं कर रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि चुनाव जल्द से जल्द करवायें। इसकी वह स्पष्ट घोषणा सदन में करें। जब कभी मैं मथुरा, अलीगढ़ या दूसरी जगह जाता हूं और लोग पूछते हैं कि चुनाव कब होंगे तो हम भी आपकी भाषा में बोलते हैं। आप साफ ऐलान कर दें और जो तारीख दें उस पर चुनाव करवायें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा और सरकार से कहूंगा कि स्पष्ट घोषणा निश्चित तारीख की करें।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जो आज जनतंत्र की यहां बात करते हैं वह अपने गरेबां में देख, आइने में अपना मुंह देखें, उन्होंने पिछले तीस सालों में 45 बार विधान सभायें भंग करवायीं और उत्तर प्रदेश में 16–16 साल के बाद नगरपालिकाओं के चुनाव करवाया है। हमारे सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आठ साल में चुनाव हुआ है। 1972 में हरिद्वार नगरपालिका के चुनाव करवाने की यहीं घोषणा की गयी उसको भंग करवाया उस चेयरमैन की सिफारिश पर जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो चुका था, उसकी सिफारिश पर हरिद्वार की नगरपालिका को दो साल के लिए भंग किया गया। 1974 में फिर दो साल के लिए मियाद आगे बढ़ा दी गयी। 1976 में फिर मियाद बढ़ा दी गयी। आज कांग्रेस द्वारा लाया गया ऐडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी वहां बैठी हुई है। यह उनकी दशा है जो लोकतंत्र का नारा बुलन्द करते हैं। 1976 में जिस समय हम लोग जेलों में थे कांग्रेस ने जेल में बन्द किया हुआ था, हमने अखबार में पढ़ा कि यह तय किया गया है कि लोक सभा का चुनाव नहीं होगा। एक साल तक नहीं कराया। क्या यह लोकतन्त्र की हत्या नहीं की गयी। 1977 में जेलों में हमने फिर पढ़ा कि लोक सभा के चुनाव 1978 में होंगे उसके लिए संशोधन पेश किया गया। यह लोकतन्त्र की हत्या नहीं थी? इस प्रकार कांग्रेसियों के मुंह स लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कहना उसी तरह से जैसे वेश्या को अपने

लिए पतिव्रता कहना। चोर को अपने को चरित्रवान कहना और बिल्ली को अपने को दूध की रक्षक कहना, यह इसलिए उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने कहा है कि चुनाव 30 जून तक होने चाहिए उसका भी समर्थन करता हूं।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उससे मुझे ताज्जुब नहीं हुआ है। जनता पार्टी ने जो वायदे किये थे उनमें एक वायदा और जुड़ गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करने के लिये उन्हें जिला परिषद् के चुनाव कराने चाहिए। आज इनको मालूम है कि जिस दिन इन महापालिकाओं के चुनाव होंगे उस दिन जनता पार्टी भंग हो जावेगी इसीलिए यह डर रहे हैं। उनमें नैतिकता और साहस नहीं है। जब चुनाव होंगे तो एक बहुत बड़ा घटक उभर कर आवेगा। यही वजह है कि शासन महापालिका के चुनाव कराने में कतरा रहा है। आज जिस तरह से महपालिका और नगर महापालिकायें भ्रष्टाचार का गढ़ बनी हुई हैं जिससे गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में पैसा जा रहा है। उन्होंने वायदा किया था कि हम जनतंत्र की रक्षा करेंगे। अगर वह जनतंत्र की रक्षा करना चाहते थे तो अच्छा होता कि अगर यह चुनाव करवा दिये होते। चुनाव करायेंगे तो उनकी परीक्षा होगी, अगर उनमें कमजोरी नहीं है तो क्यों 31 दिसम्बर की तिथि घोषित किया है। 30 जून तक चुनाव करा लें तो पता चल जावेगा कि जनता किसके साथ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से सुनिए।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

यह तो समय बतायेगा कि जनता किसके साथ है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि झूठे वायदे से काम चलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ हमारे उप नेता श्री गुलाब सेहरा जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण सुरक्षित रखिए।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आज के लिए ?

श्री अध्यक्ष—

आज के लिए नहीं बाद के लिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह इस चीज की व्यवस्था करें कि जब भी चुनाव करावें चाहे 31 दिसम्बर के बाद करावें तो उनमें जो वोटर लिस्ट हो उसमे 18 साल के लोगों को भी मतदान में भाग लेने की सुविधा दी जाये। अगर शासन ने यह कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि यह जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव नहीं कराना चाहती, तो यह उस पार्टी की सरकार नहीं है जिसके नाम पर लोग तेरे नाम की जै, तेरे काम की जै, तेरी सुबह की जै तेरे शाम की जै का नारा लगाते हैं। यह उन लोगों की सरकार नहीं है। जनता पार्टी का एक-एक सिपाही, एक-एक विधायक जम कर अपना वादा पूरा करने से हटेगा नहीं। हम सत्ता के लिए नहीं बैठेंगे। अगर जनता पार्टी को कुचल कर देश को आगे बढ़ाया जा सके तो जनता पार्टी उस फैसले को शिरोधार्य करेगी। क्योंकि मान्यवर, जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन हम जन समर्थन खो देंगे, हममें इतना नैतिक साहस है कि हम सत्ता में बैठने का दिवा स्वप्न नहीं देखेंगे। मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इसके लिए लम्बी अवधि मिल रही है तो 18 वर्ष तक के सभी लोगों को मताधिकार अवश्य प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन के साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और वह यह है कि जब इसका समय बढ़ाया जा रहा है तो उसके बीच में नौकरशाही पर नगरपालिकाओं को छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। जहां तक नौकरशाही का प्रश्न है आप देखेंगे कि कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर्स के बंगलों का सुन्दरीकरण हो रहा है और जहां पर आम पब्लिक चलती है, वहां पर सड़कें टूटी-फूटी-पड़ी हैं, उनकी ओर देखने का उनके पास समय ही नहीं है। अगर शीघ्र चुनाव न कराये जायं तो मेरी प्रार्थना है कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाय जो नौकरशाही को सलाह दे लेकिन नौकरशाही पर छोड़ने से जनता पार्टी की इमेज खराब हो जायेगी, नगरपालिकाओं में और भविष्य में हम इस लायक नहीं रह जायेंगे कि चुनाव जीत सकें। इसलिए जो सही बात है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।

आज जो विरोध में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आज करा लीजिए तो हार जायंगे, वे यथार्थता को नहीं जानते। उन्हें याद होगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वालों के समय में जनता पार्टी का जन्म उसी प्रकार से हुआ था जिस प्रकार जेल में देवकी जी के पुत्र का जन्म हुआ था। यह जनता पार्टी खून से सींची हुई पार्टी है इसलिए आप बजाय हमारी कमजोरी को देखने के स्वयं को देखें कि आपके पास कौन से रचनात्मक कार्यक्रम हैं। आप हरगिज भी यह न सोचें कि हम में फूट है और आप सत्ता में आ जायेंगे, भूल जायं उसे। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर पब्लिक में आयें, तभी आप शासन में आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे नगर पालिकाओं को नौकरशाही के ऊपर न छोड़ें ?

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर काफी विवाद हो चुका है। अन्य विधेयकों में 1 घंटा और 1/2 घंटे का समय लगा। अत: आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको समाप्त किया जाय क्योंकि इस पर कोई नया विचार नहीं आने वाला है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने सदन में जो शंकायें व्यक्त की हैं, मंत्री जी उनका निराकरण करें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, कुल 11 सदस्यों ने, इस पक्ष के और विपक्ष के, इस विधेयक पर और साथ ही साथ जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं । इसमें यह कहा गया है कि 31 दिसम्बर, 1978 के अन्दर चुनाव करा दिये जायेंगे,लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पूर्व चुनाव नहीं कराये जायेंगे । इस संबंध में माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने सुझाव दिये हैं, उनके संबंध में कार्यवाही अवश्य की जायेगी । मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक से माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम हो गया है क्योंकि अधिकतर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि चुनाव टाले जा रहे हैं । तो यह विचार माननीय सदस्य का बिलकुल ही निराधार है, क्योंकि चुनाव टालने का प्रश्न वहां पर उपस्थित होता है, जहां पर चुनाव की कोई तिथि निर्धारित हो । चूंकि वर्तमान में कोई तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिये चुनाव टालने का कोई प्रश्न नहीं है । मान्यवर, यह जो विधेयक है और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, यह केवल नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित है । 1959 में जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे,उस समय नगरपालिका का नियम पारित हुआ था, तब से जनवरी, 77 तक, बीच की अवधि को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इस बीच पांच बार नगर पालिकाओं का चुनाव कराया जाना चाहिये था । 1959 में कराये गये थे चुनाव उसके बाद 69 में कराना चाहिये था, वह नहीं कराया गया बल्कि नगरपालिका का कार्यकाल दो मर्तबा बढ़ाने की साजिश की गयी और 65 के बाद से फिर चुनाव नहीं कराया गया और 65 के बाद 68–69 में बाकी चार नगरपालिकाओं के चुनाव हुए । 70 में इलाहाबाद नगरपालिका का चुनाव हुआ, फिर पांचों नगरपालिकाओं को अवक्रमित कर दिया गया । वर्तमान शासन निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही नहीं, यह कहावत है कि फौरन से पेश्तर, चुनाव को करायेगी ।

यहां पर इस बात की भी चर्चा की गयी कि जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने से कतरा रही है । तो मैं अभी जो विधान सभा के चुनाव हुए हैं, उस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विभिन्न प्रदेशों में जनता पार्टी की सरकार ने ही चुनाव कराया उत्तर प्रदेश में तीन विधान सभा के उपचुनाव हुए, इनमें से जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी हुए और लखनऊ में जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते-जीतते रह गया और जिस विधान सभा में आज हम बैठे हैं, जनता पार्टी, आप जानते है कि पिछली मर्तबा जो समय था, उससे पहले चुनाव कराया जो डाक्टर कौशल ने शंका व्यक्त की, उनका विचार है कि जिस दिन जनता पार्टी चुनाव करा देगी, उस दिन जनता पार्टी शायद टूट जायेगी, इस विषय में माननीय उदित नारायण शर्मा जी कह चुके हैं कि जिस दिन चुनाव होगा, उस दिन सामने आ जायेगा । जो लोग जनता पार्टी को टूटने के लिये कहते हैं, वे स्वयं टूट गये । कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हो गये, एक रेड्डी की कांग्रेस और दूसरी इंदिरा की कांग्रेस, जो सारे देश में हिंसा का वातावरण पैदा करने पर लगी हुई है ।

मान्यवर, सुबह भी इस विषय में प्रश्न किये गये थे, सूचना भी दी थी कि जब तक चुनाव न हो जाय, तब तक गैर सरकारी कमेटी बना दी जाय । मैंने उस समय यही उत्तर दिया था कि चूंकि शासन का इरादा बहुत शीघ्र ही, फौरन से पेश्तर चुनाव कराने का है, इसलिये गैर सरकारी समिति नहीं बनाई जायेगी । केवल इस बात से पूरा विश्वास आप लोगों को हो जाना चाहिये कि इस संबंध में जो चुनाव हैं, वह बहुत शीघ्र ही कराये जायेंगे । इस संशोधन का कदापि यह आशय नहीं है कि दिसम्बर तक ही चुनाव कराये जायेंगे ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

चुनाव में तो विलम्ब हो ही गया । क्या आप सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसा कि रवींन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा कि क्या जो विलम्ब हो रहा है,आप एक नयी लिस्ट मताधिकार की बना रहे हैं, क्या यह 18 वर्ष के मताधिकार की लिस्ट आप बना रहे हैं ?

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

यदि यह माननीय सदन सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय कर ले, तो सम्भव हो जावेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है, उसमें काफी समय लगेगा और उस प्रक्रिया को अपनाने में दो बार संशोधन लाने पड़ेंगे । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जनता पार्टी ने जब घोषणा-पत्र में लिख ही रखा है, उसको किया भी है, तीन प्रदेशों में गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में किया है और जैसा मैंने सुबह कहा था, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस पर विचार कर रही है । लेकिन जो निकट भविष्य में चुनाव कराये जायेंगे उनमें यह संभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी मतदाता सूची को रिवाइज करने में काफी समय लगेगा। (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

उधर के अधिकतर सदस्यों ने इस बात की चर्चा की कि चुनाव अकारण टाले जा रहे हैं । रियासत हुसेन जी जिस जिले से आते हैं, उनको कदाचित ज्ञात होगा कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो 15–16 वर्षों से मुरादाबाद में चुनाव नहीं कराये । अलीगढ़ में भी 15–16 वर्षों से नहीं कराये । मेरठ में 1970 से नहीं कराये गये । लेकिन मैं फिर बहुत नम्रातापूर्वक निवेदन करता हूं कि चुनाव बहुत शीघ्र करा दिये जायेंगे और यह जो संशोधन है बहुत ही निर्दोष संशोधन है । केवल एक शब्द का है, 'मार्च' के स्थान पर केवल 'दिसम्बर' को रखना है । इसलिये इस संशोधन को आप लोग स्वीकार कर लें और सर्वसम्मति से इसको पारित हो जाने दें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं एक सवाल करना चाहता था । मैंने उनके तर्कों से यह समझा कि वह जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो 31 दिसम्बर, 1978 की तारीख रखी । वह तो रखने को रखा लेकिन उसके पहले ही चुनाव कराने का विचार है, ऐसा उनके तर्क से लगा, यह मैं समझा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आप ठीक समझें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

और उन्होंने यह भी कहा कि फौरन से पेश्तर भी करा देंगे । तो हम "बहुत फौरन" नहीं कहते हैं, हमने एक संशोधन दिया है जोकि "फौरन से पेश्तर" नहीं, जून, 1978 तक का है । 3–4 महीने बाकी हैं, उसको मान लिया जाय, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, जब आपका संशोधन आयगा तो कहियेगा ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

बहुत से वक्ताओं ने 18 वर्ष की आयु में वोट दिये जाने के अधिकार का जिक्र किया और कुछ हमारे साथियों ने आश्वासन भी मांगा और शायद अगर मैं गलत नहीं समझ पाया तो मंत्री जी ने कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया जाय तो हो सकता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी संविधान में नया परिवर्तन हो गया है जिससे राज्य ही 18 वर्ष की आयु वाले को मत का अधिकार दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इस विधयक से संबंधित नहीं है । जब केंद्र में रिप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में तरमीम होगी तब आप पढ़ लेंगे और इस वक्त 18 वर्ष की आयु का वह उत्तर दे चुके हैं ।

*श्री रियासत हुसेन—

मैं इस माननीय सदन के दोनों ही पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये । दोनों तरफ से शंका व्यक्त की गयी कि मामला कुछ टालने वाला हो रहा है । माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने हमको कहा कि इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाय, हमको तस्लीम है । अगर माननीय मंत्री जी कोई ऐसा तरीका बिल में ऐलान कर दें जिससे हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाय तो हमको स्वीकार हैं । लेकिन अगर टालने का इरादा नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि टालने की डैफिनीशन कौन सी होगी ? महामहिम राज्यपाल ने 1977 के भाषण में इस माननीय सदन में कहा था, आप लोगों ने बहस में बार-बार अपने सवाल किये। जवाब में बार-बार और अपने बयानों में कहा गया कि हम चुनाव इन इन तारीखों पर करायेंगे और अब 1978 का महामहिम राज्यपाल का फिर दूसरा अभिभाषण हो गया । एक साल गुजर गया और इस एक साल के बीच की जो अवधि हुई वह टालने वाली हुई .....

श्री अध्यक्ष —

आप दोहरा रहे हैं । जो बात आप अपने पहले भाषण में कह चुके हैं उसी को दोहरा रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

इस अवधि को बढायेंगे नहीं तो और कौन सी बात होगी ? माननीय मंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि हम फलां तारीख तक चुनाव करा ही देंगे । इसलिये मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं । आशा है सदन उसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

वापस लेने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय पौने 6 बजे हैं, 12 नहीं? (हंसी)

श्री रियासत हुसैन—

मेरे सर पर तो श्रीमन्, लाल टोपी है । (हंसी)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

श्रीमन्, हम आह भी करते हैं तो हो जाते है बदनाम, यह कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश प्रधिनियम संख्या 9, सन् 1977 की धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 7 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1978" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि श्री गुलाब सेहरा अपने भोषण में खण्ड 2 में संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं, उस पर मैं मत ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 की पंक्ति 2 में शब्द व अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द व अंक "30 जून, 1978" रख दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधयक, 1978

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

सचिव, विधान सभा, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में सूचना देंगे।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपके निदेशानुसार मैं कार्य मंत्रणा समिति की आज की बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना सदन को दे रहा हूं।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 30 मार्च, 1978 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन का उपवेशन 13 मई, 1978 को, जो कार्य द्वितीय शनिवार अवकाश का दिन है, भी हो तथा सदन के 4 अप्रैल, 1978 से 13 मई, 1978 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम रखा जाय:—

मंगलवार—4 अप्रैल, 1978 (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।

(3) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।

(4) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान, (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।

दिनांक 5, 6, 7 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

दिनांक 8, 9, अप्रैल, 1978 को बैठक नहीं होगी।

दिनांक 10, 11 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

दिनांक 12, 13, 14 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

दिनांक 15, 16 अप्रैल, 1978 को बैठक नहीं होगी।

दिनांक 17, 18, 19, 20 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

दिनांक 21, 22, 23 अप्रैल, 1978 को बैठक नहीं होगी।

दिनांक 24, 25, 26, 27, 28 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

[सचिव, विधान सभा]

दिनांक 29, 30 अप्रैल, 1978 को बैठक नहीं होगी ।

दिनांक 1,2, 3, 4, 5 मई, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978–79 क आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

दिनांक 6,7 मई, 1978 को बैठक नहीं होगी ।

दिनांक 8, 9, 10, 11 मई, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

दिनांक 12 मई, 1978 को 4 बजे अपरान्ह तक वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

4 बजे अपरान्ह से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर बिचार एवं उसका पारण ।

दिनांक 13 मार्च, 1978 को असरकारी कार्य ।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि डेढ़ दिन का असरकारी दिवस जो शेष रह जाता है उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में लिया जायगा ।

(1) दिनांक 10 अप्रैल, 1978 को श्री नरेश चन्द्र वर्मा तथा श्री राजेंद्र कुमार आदि द्वारा प्रस्तावित एवं श्री मन्ना लाल तथा श्री रामचरन शाह आदि द्वारा समर्थित गन्ने की पेराई तथा उसका समुचित मूल्य न होने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत 2 घंटे की चर्चा ।

(2) दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा की बढ़े हुए लगान की वसूली के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर दो घंटे की चर्चा ।

(3) दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को श्री शम्भूनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा का सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिये 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के संबंध में गत सत्र में नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकृत 2 घंटे की चर्चा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो सिफारिशें की हैं और जिसकी सूचना सचिव ने सदन को अभी दी है, उससे यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो सिफारिशें की हैं और जिसकी सूचना सचिव ने सदन को अभी दी है, यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

अब मैं नियम 51 के प्रस्ताव ले रहा हूं । आज श्री राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री रवींद्र सिंह, श्री पुरुषोत्तम कौशिक और श्री श्रीराम द्विवेदी ने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी है तथा इसी विषय पर रियासत हुसैन ने काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किया था और अविलम्बनीय

लोक महत्व के रूप में नियम 51 की सूचना को मैंने स्वीकार किया है और आज सुबह मैंने निर्देश दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी मुरादाबाद में सम्भल में हुए साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में पूर्ण विवरण प्राप्त करने के बाद सदन के अन्दर वक्तव्य देंगे।

संभल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 28 मार्च, 1978 को महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने अध्यापकों तथा कुछ छात्रों एवं छात्राओं को होली की उपाधियां प्रदान की। दिनांक 29 मार्च, 1978 को लगभग 11 बजे पूर्वान्ह एक श्री मंजर शफी नामक व्यक्ति ने दो मुसलिम छात्राओं को दी गई कथित अनुचित उपाधियों के विरोध में लगभग 30 व्यक्तियों का जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बाजार बन्द कराने की चेष्टा की। हिन्दुओं के एक वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके फलस्वरूप दोनों पक्षों में तनाव पैदा हुआ। स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया तथा मंजर शफी व 6 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच भीड़ हिंसात्मक हो गई और पथराव करने लगी तथा दुकानें लूटने और जलाने लगी। रेजिडेंट परगनाधिकारी, सम्भल ने कर्फ्यू के आदेश दिये और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को सूचना दी क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दौरे पर थे। घटना क्रम में कस्बे के कुछ भागों में लूट तथा आगजनी की और घटनायें हुईं। भीड़ के कुछ व्यक्तियों ने बनवारी लाल ओम प्रकाश गर्ग के खण्डसारी के कारखाने पर हमला किया उसमें आग लगा दी तथा 9 लोगों की हत्या कर दी और उन्हें जला दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिये तथा जन जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिये दो स्थानों पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ीं। सूचना मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तत्काल सम्भल पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त जिला मिजिस्ट्रेट (प्रशासन) भी अतिरिक्त फोर्स लेकर मुरादाबाद से सम्भल पहुंच गये थे। मोहल्ला कोट गरबी तथा शर्की में पथराव हुआ तथा कुछ छतों से फायर किये गये। अतः पुलिस को उस स्थल पर भी गोली चलानी पड़ी। कुल मिलाकर तीन स्थानों पर 19 राउण्ड गोली चलाई गई। पुलिस फायरिंग से किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है। लगभग 50 दुकानें लूटी तथा जलाई गईं। क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। झगड़े में 21 व्यक्तियों को चोटें आने की सूचना है। इनमें से चार व्यक्तियों की हालत गम्भीर थी और एक मर गया है। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल, मुरादाबाद भेज दिया गया। 6 व्यक्तियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शेष व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। झगड़े में कुल हताहतों की संख्या 13 है। जिला मजिस्ट्रेट तथा सात पुलिस कर्मचारियों को भी पथराव में चोटें आई हैं। किसी की हालत गम्भीर नहीं है। इस समय तक कुल 84 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अब स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। आयुक्त, बरेली मण्डल और पुलिस उप महानिरीक्षक भी सम्भल में ही है। नियंत्रण के लिये समुचित कार्यवाही हो गई है। आज पुलिस महानिरीक्षक, प्रादेशिक, सशस्त्र पुलिस भी सम्भल चले गये है।

मान्यवर, यह घटना जिस तरह से हुई है वह बहुत चिन्ताजनक है। अभी पिछले दिनों होली के अवसर पर जिस प्रकार से वहां के नागरिकों ने बिना भेदभाव के सभी हिन्दू और मुसलमानों ने होली मनायी, एक दूसरे से गले मिले और जो वातावरण पैदा किया वह बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके पश्चात् एक घटना हो गयी, उससे बड़ी चिन्ता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, एक बात मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह इस मामले में इस बात का ध्यान रखें कि उनके मन में इस तरह की कोई भावनायें वहीं पैदा होनी चाहिए जिससे प्रदेश के दूसरे स्थानों में यह स्थिति पैदा हो जो कि हमारे लिये

[श्री राम नरेश यादव—]

लज्जाजनक बात होगी। इसलिये सभी बातों को ध्यान में रखकर माननीय सदस्य स्वयं इस पर विचार करें। जहां तक शासन का सवाल है तो हम पूर्णरूप से सजग हैं और स्थिति को आगे नहीं बढ़ने देंगे तथा जो भी अवांछनीय तत्व होंगें उनको किसी को भी हम बाहर नहीं रहने देंगे। एक बात जरूर है कि शासन की तरफ से जो मौतें हुई है उनके लिये 5–5 हजार रुपये की व्यवस्था और घायलों को 2 हजार रुपयों तक की व्यवस्था की गई है। अधिकारी वहां लगे हुये है और स्थिति नियंत्रण में है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं . . ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न न करें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य, श्री रियासत हुसैन ने जो सुझाव रखा है और मुख्य मंत्री जी ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जो कहा है उसमें कोई प्रश्न न किया जाय। पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि पत्रों के अन्दर वह कोई उत्तेजना पूर्ण शीर्षक न दें जिससे प्रदेश की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े और इसलिये सभी संयम से काम लें।

अब हम उठते हैं और 4 अप्रैल, 1978 को 11 बजे पूर्वान्ह फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 58 मिनट पर मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
30 मार्च, 1978।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 875 पर)

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मांगों की सूची

1—वेतनमान में वृद्धि की जाय ।

2—पदोन्नति के रास्ते प्रसस्त किये जायं ।

3—सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया जाय ।

4—अपरेन्टिस काल में 250 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाय ।

5—डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं की कमियों को पूरा करके स्थायी मान्यता तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

6—फोर्मेसिस्टों का पंजीकरण जीवन में केवल एक बार किया जाय ।

7—जिला स्तर पर हास्पिटल फार्मेसी की स्थापना की जाय ।

8—डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम में समानता लाकर साढ़े तीन वर्ष के समय में पूरा किया जाय ।

9—ई0 एस0 आई0 तथा लेप्रोसी अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्टों को डाक्टरों की भांति भत्ता दिया जाय तथा चिकित्सालयों के वार्डों एवं स्टोरों में दवाओं का वितरण प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों द्वारा कराया जाय ।

10—पंजीकृत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को कन्डेन्स कोर्स कराकर प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों के लिये स्वीकृत वेतन मान दिया जाय तथा फार्मेसी अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 1976 को लागू न किया जाय ।

11—चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मेसिस्टों को आवास की सुविधा दी जाय अन्यथा उन्हें यात्रा भत्ता तथा आवास भत्ता दिया जाय ।

12—डाक्टरों के समान फार्मेसिस्टों को भी नान प्रेक्टिसिंग भत्ता दिया जाय तथा जहां पर चिकित्सक न हों वहां पर फार्मेसिस्टों को 50 प्रतिशत चार्ज भत्ता दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 891 पर]

संलग्नक

अधिकारी

1—डा0 ए0 के0 बोस
2—डा0 एम0 पी0 शुक्ला
3—डा0 यू0 के0 प्रसाद
4—डा0 बी0 के0 वोहरा
5—डा0 ए0 एन0 सिंह
6—डा0 एम0 एल0 श्रीवास्तव

कर्मचारी (प्रेरक)

1—श्री सीताराम, सहायक अध्यापक
2—श्रीकृष्ण प्रसाद, अध्यापक
3—श्री सीताराम, लेखपाल
4—श्री जयराम लेखपाल
5—श्री हरी प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक
6—श्री हरगुना मिश्रा, कैन यूनियन सुपरवाईजर
7—श्री दशगई, अध्यापक
8—श्री हरनारायण, मिश्रा, केन यूनियन सुपरवाईजर
9—श्री बशीर अली, एन0 एम0ए0
10—श्री सुधाराम, सुपरवाईजर
11—श्री सुजीत, अमीन
12—श्री कैलाश नाथ, एम0 एन0 डब्लू0
13—श्री विक्रमादित्य प्रसाद, लेखपाल
14—श्री मक्खन लाल, लेखपाल
15—श्री लक्ष्मण प्रसाद, लेखपाल
16—श्री मुहम्मद शरीफ, बी0 एच0 डब्लू0
17—श्री गुलाम रसूल, बी0 एच0 डब्लू0
18—श्री एच0ओ0 चौरसिया, बी0एल0 डब्लू0
19—श्री राज मंगल तिवारी, लेखपाल
20—श्री यू0 पी0 राय, बी0 एल0 डब्लू0
21—श्री आर0 के0 एल0 श्रीवास्तव. लेखपाल
22—श्री एल0 एल0 श्रीवास्तव, कलेक्शन अमीन
23—श्री राम नाथ पाण्डे, बी0 एल0 डब्लू0
24—श्री नरसिंह, सप्लाई इंसपेक्टर
25—श्री एम0 एल0 मणि, लेखपाल
26—श्री सत्य नारायण, लेखपाल
27—श्री चन्द्रभानु चौबे, लेखपाल
28—श्री त्रिलोकी नाथ, बी0 एल0 डब्लू0
29—श्री साहबुद्दीन, ए0 डी0 ओ, कोआपरेटिव
30—श्री राम सुमिरन चौधरी, बी0 एल0 डब्लू0
31—श्री एम0 एस0 अन्सारी, अध्यापक
32—श्री एन0 एस0 दुबे, अध्यापक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

33—श्री एस0 एन0 प्रसाद, अध्यापक
34—श्री आर0 के0 विश्वकर्मा, अध्यापक
35—श्री एस0 के0 गुप्ता, अध्यापक
36—श्री प्रभु नाथ, स्वास्थ्य निरीक्षक
37—श्री चन्द्र देव प्रसाद, स्वास्थ्य सहायक
38—श्री ध्रुवेन्द्र राय, बी0 एच0 डब्लू0
39—श्री भगवन्त सिंह, लेखपाल
40—श्री आर0 पी0 तिवारी, लेखपाल
41—श्री ए0 शुक्ला, हेडमास्टर
42—श्री पी0एन0 सिंह, कोआपरेटिव सुपरवाइजर
43—श्री सुखराऊ, बी0एल0डब्लू0
44—श्री बी0एन0 मिश्रा, बी0एल0डब्लू0
45—श्री एम0 चन्द्र, अध्यापक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 893 पर ।]

तालिका—क

दिनांक 16–17 जुलाई, 1976 को कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया । स्थिति संक्षेप में निम्न प्रकार है:—

फर्म का नाम	गुप्त गोदामों से 14-7-76 को बरामद की गई नकली दवाओं तथा अन्य सामग्री की अनुमानित कीमत	न्यायालय के समक्ष समर्पण करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा समर्पण की तारीख
1	2	3
(क) यू0 पी0 ड्रग हाउस, कानपुर ..	2.5 लाख रुपये	21 जुलाई, 1976 को दो व्यक्ति ।
(ख) श्याम मेडिकल एजेंसीज, कानपुर ..	25 हजार रुपये	23 जुलाई, 1976 को एक व्यक्ति ।

उक्त तीनों व्यक्ति बन्दी बनाकर जेल भेजे गए । केस की जांच के बाद दिनांक 11 अगस्त, 1977 को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है, उपरोक्त दोनों फर्मों के लाइसेन्स भी समाप्त कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 893 पर]

तालिका 'ख'

जून, 1976 के दूसरे सप्ताह मे फीलखाना, कानपुर में कोई छापा नहीं मारा गया था।

दिनांक 3 जून, 1976 को जूही, कानपुर में एक व्यक्ति श्री रामसेवक बाजपेई को नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा 4 जून, 1976 को हीरागंज, कानपुर में मेसर्स पब्लिक मेडिकल स्टोर्स के मालिक को अस्पतालों की लगभग 50 हजार रुपये मूल्य की औषधियों को बेचने के लिए स्टाक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 14 जुलाई, 1976 को बिरहाना रोड, कानपुर की एक फर्म मेसर्स आर0 के0 फार्मा के छिपे अवैध गोदाम पर छापा मार कर कुछ दवायें बरामद की गई और इस अभियोग में फर्म के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1976 में कानपुर में लगभग 6 लाख रुपये मूल्य की नकली दवायें एवं सम्बंधित सामग्री बरामद की गई है। 1 जनवरी, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि में कोई नकली दवा नहीं पकड़ी गई है। वर्ष 1976 में नकली दवा के संबंध में निम्नलिखित 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। उपर्युक्त मेडिकल स्टोर्स के सेल्समैन तथा मेसर्स आर0 के0 फार्मा, बिरहाना रोड, कानपुर के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की स्वीकृति दिनांक जुलाई, 1977 को दी जा चुकी है:—

वर्ष 1976 में नकली दवा के संबंध में की गई गिरफ्तारियों का विवरण—

(क)	3 मार्च, 1976 ..	(1) श्री दस्तगीर केमिस्टो मेडिकल सेण्टर, कानपुर।
		(2) श्री रशीद अहमद भाई, ग्वाल टोली, कानपुर।
		(3) श्री मोती लाल वर्मा, आर0 के0 नगर, कानपुर।
(ख)	3 जून, 1976 ..	(4) श्री राम सेवक बाजपेई।
(ग)	4 जून, 1976 ..	(5) श्री छुन्नूलाल गुप्ता, मालिक मेसर्स पब्लिक मेडिकल स्टोर्स, कानपुर।
(घ)	13 जुलाई, 1976 ..	(6) श्री सूर्य शंकर अवस्थी, फीलखाना, कानपुर।
(ङ)	14 जुलाई, 1976 ..	(7) श्री नवल किशोर तिवारी, आर0 के0 फार्मा, कानपुर।
(च)	21 जुलाई, 1976 ..	(8) श्री ओ0पी0 सोनी, यू0पी0 ड्रग हाउस, कानपुर।
		(9) श्री पी0पी0 सोनी, न्यायालय के समक्ष समर्पण।
(छ)	23 जुलाई, 1976 ..	(10) श्री श्याम लाल त्रिपाठी, मालिक श्याम मेडिकल एजेन्सीज, कानपुर—न्यायालय क समक्ष समर्पण।
(ज)	23 जुलाई, 1976 ..	(11) श्री इन्द्र प्रकाश अस्थाना, मेसर्स राज चेम्बर्स, कानपुर।

नकली दवा बनाने की रोकथाम के लिए छापा मारने तथा दोषी व्यक्ति को कठोरतम दण्ड दिए जाने हेतु व्यवस्था है। औषधियों में अपमिश्रण को रोकने हेतु दिनांक 2 तथा 3 सितम्बर, 1977 को औषधि बिक्रेताओं आदि के यहां अकस्मात छापा मारने के आदेश जारी किए गए। अभियान के दौरान लिये गये नमूनों के विश्लेषण परिणाम मालूम हो जाने पर आवश्यकतानुसार दण्ड दिए जाने के प्राविधान लागू होंगे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 907 पर)

मुख्य शिकायतों का विवरण

(1) कालेज से सम्बद्ध कृषि फार्म में उत्पन्न अनाज एवं उसकी आय में घोटाला ।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से प्रधानाचार्य द्वारा घरेलू कार्य लिया जाना ।

(3) औषधियों को एक निश्चित दुकान से क्रय किया जाना जिससे प्रधानाचार्य को कमीशन मिलता है एवं उनका दुरुपयोग ।

(4) अस्पताल में नियुक्त हाउस आफिसरों के उनके अनुपस्थिति रहने पर भी पूरे मास का वेतन दिया जाना ।

(5) अस्पताल के रोगियों को पानी मिश्रित दूध दिया जाना ।

(6) छात्रों की जमानत का धन स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देय धनराशि में न लौटाकर वृक्षारोपण आदि योजना कार्यक्रम के लिये कटौती कर लेना ।

(7) एम्बुलेंन्स का निजी कार्य में उपयोग करना ।

(8) काय चिकित्सा के अध्यापक न होने पर भी स्वयं उक्त विषय का आन्तरिक परीक्षक बनाना तथा आन्तरिक परीक्षक के रूप में ऐसे अध्यापकों की संस्तुति भेजना जो कि संबंधित विषय के अध्यापक नहीं हैं ।

(9) एम्बुलेंस की मरम्मत के संबंध मे 500 रु0 का जाली बिल बनवाकर उसे सत्यापित करने के लिये ड्राइवर पर दबाव डालना ।

(10) श्री सी0पी0 त्रिपाठी, डिमांस्ट्रेटर के माध्यम से कालेज के हरबेरियम के सात आठ हरे पड़ कटवाकर जिनकी कीमत लगभग 1,000 रु0 थी उन्हे सूखे पेड़ दिखाकर केवल 37 रु0 में नीलम कराया जाना ।

(11) श्री मंसाराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उनके दो टी0 ए0 बिलों पर हस्ताक्षर कराये गये किन्तु भुगतान नहीं किया गया ।

(12) स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर जिला मुजफ्फरनगर के छात्रों से चतुर्थ वर्ष में प्रवेश हेतु 300 रु0 से लेकर 500 रु0 तक रिश्वत लेना ।

(13) दिनांक 4 मई, 1977 की रात्रि में शहर में कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के बीच हुई मारपीट में प्रधानाचार्य का हाथ होना ।

(14) डा0 सर्व देव उपाध्याय एवं डा0 सत्यपाल गुप्त द्वारा स्थापित रक्त कोष के लिये छात्रों से चन्दे के रूप में ली गयी धनराशि के हिसाब में घोटाला ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 913 पर)

सूती मिल मजदूर संघ उझानी बदायूं के पत्र दिनांक 26-10-77 में उठाये गये मुद्दे तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण।

मुद्दे	कृत कार्यवाही का विवरण
(1) श्रमिकों को बैठकी की अवधि का भुगतान नहीं किया गया है ।	(1) जुलाई, 1977 तक की बैठकी के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है । अगस्त, 1977 से मुआवजे का भुगतान धनाभाव के कारण शेष है ।
(2) श्रमिकों के कार्य दिवसों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।	(2) श्रमिकों के कार्य दिवसों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।
(3) अनिवार्य बचत योजना की देय किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है ।	(3) सेवायोजकों द्वारा अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत समस्त धनराशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के खाते में जमा कर दी गई है । इस धनराशि की वापसी हेतु आवश्यक पत्रजात तैयार किये जा रहे हैं ।
(4) त्याग-पत्र देने वाले श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है ।	(4) इस श्रेणी के 18 श्रमिक ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं । धनाभाव के कारण इन्हें केवल आंशिक भुगतान किया गया है ।
(5) कृपापात्र श्रमिकों को उनकी नियुक्त की तिथि से ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है जब कि अन्य श्रमिकों को वर्ष 1951 से उनकी नियुक्त मान कर भुगतान किया गया है ।	(5) प्रतिष्ठान 1949 से अक्तूबर, 1951 तक बन्द रहा और नवम्बर, 1951 से पुन: चालू हुआ । यदि किसी श्रमिक को ग्रेच्युटी के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है तो वह सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
(6) सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री प्रेम प्रकाश गोयल को पुन: कार्य पर रक्खा गया है ।	(6) सेवायोजकों ने इस कर्मचारी को प्रतिष्ठान में आवश्यक कार्य को सम्पन्न करने के लिये नियुक्त किया है ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ट 915 पर)

परिशिष्ठ 'क'

छात्र महासंघ की मुख्य शिकायतें

1—बोर्ड ने ऐसे कालेजों को मान्यता दी है, जिसमें कि पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है।

2—बोर्ड ने कालेजों में शिक्षा दीक्षा एवं परीक्षाओं को लेने के लिये एक संकाय का गठन किया जो बनाये गये नियमों के विरुद्ध है।

3—बोर्ड ने होम्योपैथिक ऐक्ट, 1951 जो 1974 में संशोधित हुआ की धारा 41 की अवहेलना करके फैकेल्टी को समाप्त कर दिया जब कि उच्च न्यायालय ने नियम 41 (क) के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया है।

4—मनमाने ढंग से परीक्षकों की बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाती है।

5—बोर्ड के परीक्षाफल निकालने के नियम है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और मनमाने ढंग से परीक्षा फल निकाले जाते हैं।

6—प्रांत के बाहर होम्योपैथिक कालेजों को खोलना, जो कि उनके अधिकार में नहीं हैं।

7—बिहार के एक होम्योपैथिक कालेज में परीक्षा लेना।

8—बोर्ड के रजिस्ट्रार एवं मेम्बर पेपर आउट करके पैसा कमाते हैं।

9—बोर्ड ने कुछ कालेजों को स्थाई एवं कुछ को अस्थाई मान्यता प्रदान की है जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं है।

10—बोर्ड के आदेश हैं कि छात्रों की भर्ती कालेज में बेड के आधार पर की जाय लेकिन कालेजों मे भर्ती 300 तक की जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ठ 'ख'

होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में घोर अनियमिततायें की जाती थीं और छात्रों की शिकायतों के उपरान्त भी इस परीक्षा व्यवस्था का सुधार पिछले कई वर्षों से लम्बित रहा। शासन ने इस विषय पर सम्यक विचार करके होम्योपैथिक परीक्षाओं की व्यवस्था कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया है। एतदर्थ उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट एवं विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके कानपुर विश्वविद्यालय को होम्योपैथिक छात्रों की परीक्षा हेतु अधिकृत कर दिया गया है। शीघ्र ही ये परीक्षायें कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जावेंगी। कानपुर विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जा चुका है कि वह छात्रों की परीक्षायें शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करें ताकि छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो।

2—होम्योपैथिक बोर्ड की घोर अनियमिततायें शासन की जानकारी में लायी गयीं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद शासन ने होम्योपैथिक बोर्ड के स्थान पर अधिनियम द्वारा एक प्रधिकृत नियंत्रक की नियुक्त कर दी है जो बोर्ड के प्रशासन को चुस्त निष्पक्ष तथा प्रगतिशील बनायेगा। होम्योपैथिक बोर्ड के पूर्व कार्यकलापों की जांच कराने के लिये विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति गठित कर दी गयी है जो इस संबंध में जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को देगी।

3—शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी थी कि गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु कोई निर्धारित नीति नहीं अपनाई जा रही थी और बिना पूरी साज-सज्जा के नये नये होम्योपैथिक कालेज प्रदेश में खुल रहे थे जो भारी संख्या में विद्यार्थियों की भर्ती कर रहे थे जिनके लिये इन कालेजों में व्यवहारिक शिक्षा के लिये कोई प्रबंध नहीं था। शासन ने इस बात पर गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त अब यह आदेश निर्गत कर दिये हैं कि भविष्य में शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेज को मान्यता प्रदान न की जाय और वर्तमान 15 प्राइवेट कालेजों की प्रवेश संख्या भी सीमित कर दी जाय और छात्र सम्बद्ध अस्पताल में उपलब्ध शय्याओं के 2 : 1 अनुपात में ही भर्ती किये जायं। भर्ती भी केवल मेरिट एवं योग्यता के आधार पर की जाय। होम्योपैथिक शिक्षा एवं चिकित्सा के विकास के लिये सुझाव देने हेतु एक सात सदस्यीय समिति भी विशेष सचिव चिकित्सा की अध्यक्षता में गठित करा दी गई है जिसमें भारत सरकार के होम्योपैथिक एडवाइजर के अतिरिक्त वित्त न्याय एवं नियोजन विभाग के प्रतिनिधियों को भी सम्मलित किया गया है। यह समिति सभी होम्योपैथिक कालेजों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 922 पर)

प्रदेश में अन्धेपन की रोक थाम हेतु भारत सरकार की सहायता से एक योजना चलायी जा रही है यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक 20 वर्षीय लम्बी अवधि की योजना है इस योजना को कई चरणों में विभाजित किया गया है। वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये थे जिनकी स्वीकृत शासनादेश संख्या 9222 (8) / 5–78–16–1063–77, दिनांक 22 फरवरी, 1978 द्वारा प्राप्त हुई है इस योजना का प्रारम्भ गोरखपुर मंडल से किया जा रहा है। अतः निदेशालय द्वारा अपने पत्र संख्या ग्यारह फ/144–54–77–78 (5)/3628, दिनांक 27 फरवरी, 1978 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल एवं निदेशालय के संबंधित अनुभागों को आवश्यक निर्देश पारित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में गोरखपुर मंडल में जनसाधारण को वर्ष 1977–78 से नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्त होगी:—

1—गोरखपुर मंडल के 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक एक आई टेक्नीशियन।

2—गोरखपुर मंडल के ही चारों जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक में एक चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स, एक आई टेक्नीशियन तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

3—नेत्र रोगियों के लिये 20–30 शैय्यायें मंडल के प्रत्येक चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जायेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त गोरखपुर मंडल को एक मोबाइल यूनिट भी वर्ष 1978–79 में उपलब्ध कराई जायगी क्योंकि 77–78 में झांसी मंडल को मोबाइल यूनिट दी गयी है जिससे वहां पर भी नेत्र रोगियों को इसी वर्ष से नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

योजना के इसी चरण में वर्ष 1978–79 में झांसी मंडल के 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक-एक आई टेक्नीशियन की नियुक्त होगी तथा मंडल के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में गोरखपुर मंडल की ही भांति एक चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स, एक आई टेक्नीशियन तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्त होगी।

वर्ष 1978–79 में जो मोबाइल यूनिट भारत सरकार से प्राप्त होगी उसे गोरखपुर मंडल को दिया जायगा।

उपरोक्त कार्यों के लिये भारत सरकार से निम्न सहायता प्राप्त होगी जो कि अनावर्तक रूप में होगी :—

	रु0
1—प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,000
2—प्रति जिला चिकित्सालय	50,000

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1978–79 में झांसी मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग का भी सुदृढ़ीकरण कराया जायगा। इसके लिये वहां पर 7 फैकल्टी मेम्बर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा नेत्र रोगियों के लिये 75 शैय्याओं का प्राविधान किया जायगा। वर्ष 1978–79 में ही सीतापुर

व अलीगढ़ में 2 क्षेत्रीय नेत्र संस्थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। इन दोनों कार्यों के लिये भारत सरकार से जो वित्तीय सहायता अनावर्तक रूप में प्राप्त होगी वह मेडिकल कालेज के लिये 5,00,000 रुपये तथा क्षेत्रीय संस्थान के लिये 10,00,000 रुपये होगी। मोबाइल यूनिट को शत प्रतिशत सहायता भारत सरकार से ही प्राप्त होगी।

उपरोक्त कार्यों के लिये अतिरिक्त 20 वर्ष की अवधि में इस योजना का व्यापक प्रसार करने का है जिससे प्रत्येक क्षेत्र के जन साधारण तक इसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। वर्तमान समय में प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में रोहा नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिससे नेत्र रोगों की रोकथाम में सहायता मिलती है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 925 पर)

गोरखपुर जनपद के विकास खंड बड़हल गंज के उन 30 ग्रामों की सूची जिनकी जनसंख्या एक हजार से ऊपर है (1971 जनगणना पुस्तिका के अनुसार)।

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	विवरण
(अ)	उन दस ग्रामों के नाम जिनका विद्युतीकरण हो चुका है:—	
	1—परसाड़	
	2—बेदौली	
	3—तिहा मुहम्मदपुर	
	4—भैरावली	
	5—सिधुवापार	
	6—संसारपार	
	7—नहर पुर	
	8—पटना	
	9—बेलखड़ी	
	10—कोल्हुआ	
(ब)	उस एक ग्राम का नाम जिससे 15 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं।	
	1—टांडा	विद्युतीकरण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
(स)	उन 19 ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है और नहीं विद्युत् लेने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।	
	1—नेवादा	
	2—बुरहटा	
	3—महुलिया पायल	
	4—रामपुर गढ़वा	
	5—कोहिला	
	6—ओझवली	
	7—खजुरी पाण्डेय	
	8—बुढ़नपुरा	
	9—खंडसरी	
	10—मोहाल बलकल	
	11—पिड़हनी	
	12—परसिया तिवारी	
	13—बैरिया खास	
	14—छपरा	
	15—खुटभार	
	16—सैमरा खुर्द	
	17—डुमरी	
	18—सिधगौर	
	19—गोनघाट	

टी0एस0यू0पी0—ए0पी0 33 विधान सभा 20-7-78—(1240)—1978—810 (हिन्दी)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा